लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

14-10-92

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14, शुक्रवार, 10 मार्च, 1978/19 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 14 Friday, March 10, 1978/Phalguna, 19, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ।	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 245, 246, 259, 262 और 264	Starred Question Nos. 245, 246, 259, 262 and 264	1-18
प्रश्नो के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 247 से 258, 260, 261 और 263	Starred Question Nos. 247 to 258, 260, 261 and 263 . . .	18-27
अतारांकित प्रश्न संख्या 2287 से 2352, 2354 से 2357, 2359 से 2370 और 2372 से 2486	Unstarred Question Nos. 2287 to 2352, 2354 to 2357, 2359 to 2370, and 2372 to 2486. . . .	27-138
सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE . .	139
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
सिक्किम के विलय के बारे में प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported statement by the Prime Minister about the Merger of Sikkim	140-142
श्री सौगत राय	Shri Saugat Roy . . .	140
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai . . .	140
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh . . .	141
सभा का कार्य	Business of the House . . .	142-144
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma . .	142
मिजोरम बजट, 1978-79	Mizoram Budget, 1978-79 . . .	144-145
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	144

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मिजोरम), 1977-78—	Supplementary Demands for Grants (Mizoram), 1977-78—	
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	145
रेलवे बजट, 1978-79—सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1978-79—General Discussion	145—152
श्री श्रीकृष्ण सिंह	Shri Shrikrishna Singh . .	145
डा० आर० रोथुअम	Dr. R. Rothuama .	146
श्री अहमद हुसैन	Shri Ahmed Hussain .	146
डा० वसन्त कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit .	147
श्री छीतूभाई गमित	Shri Chhitubhai Gamit .	148
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	148
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate . .	148
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—13वां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Thirteenth Report adopted.	152
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(एक) श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन)	(i) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule) by Shri C.K. Chandrappan .	152
(दो) श्री के० रामामूर्ति का कारखाना (संशोधन) विधेयक, (धारा 2 का संशोधन)	(ii) Factories (Amendment) Bill (Amendment of Section 2) by Shri K. Ramamurthy . . .	152—153
(तीन) श्री विनायक प्रसाद यादव का मूल्य निर्धारण विधेयक,	(iii) Price Fixation Bill by Shri Vinayak Prasad Yadav	153
(चार) श्री विनायक प्रसाद यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 का प्रतिस्थापन)	(iv) Constitution (Amendment) Bill (Substitution of article 16) by Shri Vinayak Prasad Yadav . .	153
(पांच) श्री जी० एम० बनतवाला का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44 का लोप)	(v) Constitution (Amendment) Bill (Omission of article 44) by Shri G.M. Banatwalla . .	153—154
(छः) श्री बलदेव सिंह जसरोटिया का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 80 का संशोधन)	(vi) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill (Amendment of Section 80) by Shri Baldev Singh Jasrotia	154
(सात) डा० भगवान दास राठौर का होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन)	(vii) Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill (Amendment of Section 2) by Dr. Bhagwan Das Rathor	154
(आठ) श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101 का संशोधन)	(viii) Constitution (Amendment Bill (Amendment of Article 101) by Shri C.K. Chandrappan . .	155
(नौ) डा० रामजी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 102, 103 आदि का संशोधन)	(ix) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 102, 103 etc.) by Dr. Ramji Singh . .	155

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(दस) डा० रामजी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 83क का अन्त:स्थापन)	(x) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 83A) by Dr. Ramji Singh . . .	155
(ग्यारह) डा० रामजी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 84 और 326 का संशोधन)	(xi) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 84 and 326) by Dr. Ramji Singh . . .	156
(बारह) डा० रामजी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 13क का अन्त:स्थापन)	(xii) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 13A) by Dr. Ramji Singh . . .	156
(तेरह) श्री सौगत राय का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 78क का अन्त:स्थापन)	(xiii) Representation of the People (Amendment) Bill (Insertion of new section 78A) by Shri Saugata Roy	156
(चौदह) श्री सौगत राय का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 329ख आदि का अन्त:स्थापन)	(xiv) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new articles 329B, etc.) by Shri Saugata Roy . .	157
श्री हरि विष्णु कामत का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 352) by Shri Hari Vishnu Kamath . . .	157–160
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan . .	157
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar . .	158
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	159
बेरोजगारी भत्ता विधेयक	Unemployment Allowance Bill . .	160-164
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	160
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	Shri Balwant Singh Ramoowalia	161
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasana Bhattacharyya	162
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan . .	163
श्री बी० पी० कदम	Shri B.P. Kadam . . .	163
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar . .	164

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 10 मार्च, 1978/19 फाल्गुन, 1899 (शक)

Friday, March 10, 1978/*Phalguna* 19, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मंत्रियों के बंगलों की सजावट पर व्यय

*245. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में विभिन्न मंत्रियों के बंगलों की सजावट पर उनके मंत्रालय तथा/अथवा उससे संबद्ध विभागों द्वारा निर्माण तथा आवास विभाग द्वारा खर्च की गई तथा संसद् के विगत सत्र में बताई गई राशि के अतिरिक्त कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) प्रत्येक मंत्री के निवास स्थान पर अलग-अलग कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No expenditure has been incurred by the Ministry of Tourism and Civil Aviation and/or its departments in decorating any Minister's bungalow in 1977.

(b) Does not arise.

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मंत्री जी को अन्य मंत्रालयों से मंत्रियों के कार्यालयों तथा बंगलों को सजाने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा उनके मंत्रालय के अन्य विभागों को उपयोग में लाने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

श्री पुरुषोतम कौशिक : हमें इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । मुख्य रूप से यह कार्य निर्माण और आवास मंत्रालय का है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे और प्रश्न नहीं पूछना है ।

अमरीका में गांधी टोपी की लोकप्रियता

*246. **श्री एस० एम० सोमानी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में गांधी टोपी लोकप्रिय होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई क्रयादेश प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि संयुक्त राज्य अमरीका में गांधी टोपी लोकप्रिय होती जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।/

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri S. S. Somani: Mr. Deputy Speaker, Sir, the importance of Gandhi Cap is linked with our National Movement and the feelings of lakhs of people in our country. Will the Hon. Minister be pleased to state whether the Gandhi Cap is becoming unpopular in our country and if so, the reasons therefor ?

Mr. Deputy Speaker: If it were unpopular it would have not been seen here.

Shri S. S. Somani: Are there any rules governing wearing of the Gandhi Cap ?

Shri Arif Beg: There are no such rules.

Shri Balbir Singh : Whether it is fact that Gandhi Cap lost its respect because the Congress people compelled peons to wear it and the Congressmen wearing Gandhi Caps indulged in corrupt practices and the respect towards this Cap turned into hate ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस का इस प्रश्न से कोई संबंध है, क्योंकि चपरासी भी तो आदमी ही होते हैं।

Shri Balbir Singh : I said the manner in which this Cap was used, reduced its respect. If they wear it willingly that was another thing. But it has not been used in a proper manner.

विभिन्न राज्यों में विभिन्न वस्तुओं पर विक्रय कर में समानता

*259. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश में और उसके पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विभिन्न वस्तुओं पर विक्रय कर लगाने की नीति समान नहीं है और विभिन्न राज्यों में कर विभिन्न दरों पर लगाए जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्यों की सरकारों को यह सुझाव देने का है कि वे आपस में परामर्श करके विभिन्न वस्तुओं पर विक्रय कर समान दर से लगाने का प्रयत्न करें ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी भी राज्य में माल की खरीद अथवा बिक्री पर कर लगाना, राज्य सरकार का विषय है । इसलिये राज्यों में बिक्री कर को अलग-अलग दरों में संगति तथा एकरूपता लाने के लिए, राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने का विचार है ।

Shri Kachrulal Hemraj Jain: Mr. Deputy Speaker, Sir, even 30 years after independence, the tax structure in the country is different and as a result thereof there is discontent in the country and a slogan is being raised that corruption should be eradicated. In Maharashtra, no tax is imposed on chillies, whereas 7 percent tax is imposed on chillies in Madhya Pradesh and since these states have common border, the people resort to tax evasion. A decision should be taken in regard to sales tax after consulting all the states.

Mr. Deputy Speaker: You ask the Question.

Shri Kachrulal Hemraj Jain : I want to know whether any Common taxation policy will be evolved in the country and if so, when, ?

श्री एच० एम० पटेल : संविधान के अन्तर्गत यह राज्यों का विषय है और इसलिये जब तक सभी राज्य इसके उन्मूलन के लिये सहमत नहीं हो जाते तथा इसके स्थान पर किसी अन्य रूप में कर निर्धारित नहीं किया जाता तब तक हम संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें इसे रखना होगा। किन्तु फिलहाल जैसा कि मैंने पहले कहा है हम राज्य सरकारों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे इस कर को समाप्त कर दें और इसके लिये कोई और व्यवस्था करें।

Shri Kachrulal Hemraj Jain : Mr. Speaker, at the time of Lok Sabha elections, the Janata Party in their election manifesto had declared that sales-tax is the root of corruption and they would make it elastic. Keeping this assurance in view, I want to know from the Hon. Minister by what time sales-tax will be abolished in those states which have Janata Governments and how much time will it take ?

श्री एच० एम० पटेल : इस मामले को अखिल भारतीय आधार पर निपटाना है और कोई प्रभावी कदम उठाने से पहले हमें सभी राज्य सरकारों को इसके लिये राजी करने का प्रयास करना होगा।

डा० बसंत कुमार पंडित: क्या माननीय वित्त मंत्री बतायेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार किसी एक चरण पर कुल उत्पादन पर कर लगाने और मूल्य सम्मिलित कर के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। और क्या चुंगी तथा विक्रय-कर को समाप्त करने के लिये इन दो योजनाओं पर विभिन्न राज्यों के साथ बातचीत की गई है ?

श्री एच० एम० पटेल : मूल्य सम्मिलित कर तथा कुल उत्पादन पर कर के प्रश्न पर विचार किया गया है। श्री झा० की अध्यक्षता वाली समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। हम उन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। किन्तु विक्रय कर से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है विक्रय-कर अपने आप में पृथक कर है। झा० समिति ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों को इसे समाप्त करने के लिये राजी करने में कठिनाई होगी और इसलिये इससे बहतर बात यह होगी कि कुछ चुनींदा वस्तुओं के संबंध में राज्य सरकारों को समान कर नीति के लिये राजी किया जाये। हमें इसके लिये कोशिश करनी चाहिये और हम इस दिशा में कोशिश कर भी रहे हैं। यह एक दूसरा तरीका है जो हम अपनायेंगे।

Shri Om Prakash Tyagi: Mr. Deputy Speaker, Sir, the Janata Party has accepted the abolition of sales-tax in principle. It is also true that this is a state subject but has he called the Chief Ministers and persuaded them for this purpose ? Which of the states have agreed to abolish it and which states have not agreed to do so ? Has he made efforts in this regard and whether he has thought of any alternative thereof ?

श्री एच० एम० पटेल : यदि राज्य सरकारें इसके लिये राजी होतीं तो इसके लिये कोई विकल्प निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब स्थिति यह है कि जो राज्य तथा राज्य सरकारें इसके उन्मूलन पर विचार करने के लिये तैयार हो सकती थीं, अब वे भी ऐसा करने की इच्छुक नहीं हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Deputy Speaker, Sir, my Question is different. I had asked whether Government have made efforts in this regard ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से मिला हूं और उनके साथ इस प्रश्न पर विचार किया गया है किन्तु आम उत्तर अत्यधिक निराशाजनक रहा है ।

श्री आर० वेंकटरमन : श्रीमन, माननीय वित्त मंत्री को पता है कि राज्यों के राजस्व का एकमात्र लचीला स्रोत केवल विक्रय-कर है और एक चरण पर तथा विभिन्न चरणों पर विभिन्न मात्रा में कर लगा कर वे अपना राजस्व बढ़ा पाते हैं ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके । यदि माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि कर में एकरूपता होनी चाहिये तो क्या वह सभी राज्यों में एक चरण पर कर लगाने पर जोर देंगे और क्या इससे वह राज्यों के आम आय कमाने के अधिकार को छीन नहीं लेंगे ? अतः जब आप कहते हैं कि केवल विभिन्न चरणों पर कर लगाया जाना चाहिये तो इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी अतः मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब वह कहते हैं कि करों में समानता होनी चाहिये तो उनके दिमाग में कराधान की वह कौन सी एकरूपता है जिसे वह लागू करना चाहते हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : इस मामले में कुछ गलतफहमी है । मेरा सबसे पहला प्रयास विक्रय-कर को समाप्त करने का है । मुझे इस बात का पूरा पता है कि राज्य सरकारों के कर का यही एकमात्र लचीला साधन है । और यही कारण है कि इस संबंध में हुई बातचीत में मैंने जो कुछ कहा है वह यह नहीं है कि यदि उन्हें मुआवजा देना है तो उन्हें उनके राजस्व को पूरा करने के लिये मुआवजा विक्रय-कर समाप्त करने के लिये हुए समझौते की तिथि को विद्यमान दर पर दिया जायेगा । किन्तु इस तरह की धनराशि को निर्धारित करने के प्रयास में विक्रय-कर की दर में होने वाली वृद्धि को भी ध्यान में रखना होगा ।

किन्तु चूंकि इस बात को आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है, अतः हम झा० समिति के एक सुझाव को मान सकते हैं ।

उनका यह सुझाव है कि कुछ नई वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम विभिन्न राज्यों में दरों में एकरूपता ला सकते हैं । अन्यथा यदि इससे दरों में विभिन्नता पैदा हो जाती है तो इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । ऐसी बात नहीं है । मैं किसी अन्य तरह की एकरूपता का सुझाव नहीं दे रहा था जैसे कि क्या कर एक चरण पर से अथवा विभिन्न चरणों पर विक्रय-कर को पूरा करने के लिये ये विकल्प हैं। इस पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जबकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जायें कि विक्रय-कर को समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों को मनाना संभव नहीं है ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मंत्री जी ने कहा है कि वह अभी तक सभी राज्य सरकारों को राजी करने में सफल नहीं हुए हैं । शायद इसका अर्थ यह है कि वह अब ऐसी स्थिति पर पहुंच गये हों कि अब वह इस मामले को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहते हों । मेरा विचार है कि शायद उनके लिये ऐसा करना उचित होगा । विक्रय-कर के मामले में यह पूर्णतया कराधान का एक उपाय नहीं है । इसमें निश्चित ही कुछ राजनीतिक पहलू भी अन्तर्ग्रस्त हैं । इस समय राज्यों तथा केन्द्र के बीच कुछ समस्यायें हैं, जिसका मुख्य पहलू आर्थिक तथा वित्तीय है।

इस पृष्ठभूमि में क्या राज्यों के इस एकमात्र लचीले आय स्रोत को त्यागने पर विचार करना बुद्धिमानी होगी ? क्या इससे अधिक जटिल स्थिति उत्पन्न नहीं हो जायेगी ? वह स्वयं कहते हैं कि वह अभी तक सभी राज्य सरकारों को मनाने में सफल नहीं हो पाये हैं । मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्थिति आयेगी जबकि सभी राज्य सरकारें इस बारे में सहमत हों । अतः सरकार के लिये यह अधिक बेहतर तथा बुद्धिमानी की बात होगी कि वह सामने आकर यह कह दें कि उन्होंने यह विचार त्याग दिया है।

श्री एच० एम० पटेल : यह एक सलाह है जिस पर समुचित रूप से ध्यान दिया जायेगा क्योंकि यह विचार एक अनुभवी व्यक्ति ने प्रकट किया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Hon. Minister has just now said that the sales-tax cannot be abolished unless all the State Governments are agreeable to it. Shri Chavan has said that it should be abolished because there are many other sources of income. The Election Manifesto of the Janata Party was prepared in February, 1977 and at that time you know that sales-tax cannot be abolished without the consent of all the State Governments. When you provided it in March, 1977, at that time no constitutional amendment was made in this regard. Therefore, I want to know whether sales-tax will be abolished in those states, where Janata Party has its Governments. Secondly, will you abolish Central sales-tax or will you start abolishing sales-tax on one or two items in the beginning so that people know that the Government is seriously pursuing the matter.

श्री वयालार रवि : यह एक वहुत अच्छा सुझाव है ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं नहीं समझता कि सुझाव क्या है, सुझाव यह है कि मुझे राज्यवार कार्यवाही करनी चाहिये । हो सकता है कि कुछ राज्य इसके लिये राजी हो जायें । इसलिये उन राज्यों को इसे समाप्त करने के लिये कहना पड़ेगा । क्योंकि इस स्थिति में मुझे केन्द्रीय विक्रय-कर का विकल्प ढूंढना होगा । जो उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा उसके लिये मुझे उन्हें मुआवजा देना होगा । इसका अर्थ यह होगा कि मुझे इस लिये कोई संवैधानिक व्यवस्था करनी होगी । जब तक सभी राज्य सरकारें ऐसा करने के लिये तैयार नहीं होतीं तब तक ऐसा करना संभव नहीं है । ये कठिनाइयां हैं । इसलिये यदि आप यह कहें कि मैं अब जनता पार्टी से इन सब कठिनाइयों पर विचार करने को कहूं तो मैं ऐसा करूंगा । परन्तु मैं समझता हूं यह आवश्यक नहीं है क्योंकि आप सब यहां उपस्थित हैं और मेरा विश्वास है कि ये सब कठिनाइयां आप पार्टी को बतायेंगे । हमें कुछ धैर्य रखना चाहिये ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं स्पष्ट कर दूं । मेरे माननीय मित्र को इस परिवर्तन की पूरी जानकारी नहीं है । यह कहा गया है कि बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन-कर लगाया जाये । मैं इससे सहमत हूं । मैंने 15 वर्ष पहले ऐसा करने का प्रयत्न किया था । तीन वस्तुओं के संबंध में ऐसा हो तो गया परन्तु बाद में उसे भी समाप्त करने की इच्छा प्रकट की गई । और ऐसा करने की अनुमति दे दी गई । यहां प्रश्न बिक्री-कर को उत्पादन-कर में बदलने का है । एक राज्य सरकार तो माने और अन्य न मानें तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ? इसे अंशतः लागू नहीं किया जा सकता ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम ऐसा करना नहीं चाहते ।

श्री मोरारजी देसाई : यह सच है । मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमारी सरकार का क्या विचार है ?

श्री मोरारजी देसाई : आप अपने विचारों में ही इतने क्यों खोये हैं ? इस सम्बन्ध में आप और उत्सुकता से विचार क्यों नहीं करते ? मैं इसे जनता पार्टी की सरकारों या कुछ सरकारों में कैसे लागू कर सकता हूं ? मान लीजिये एक के बजाय अन्य सब मान जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? क्या वहां मैं बिक्री-कर समाप्त कर उत्पादन कर लगा दूं ? अन्य राज्यों पर यह किस प्रकार लागू किया जा सकता है ? उनके यहां अतिरिक्त उत्पादन-कर और बिक्री-कर दोनों हो जायेंगे । इस का भार कितना होगा ? आप कठिनाई को नहीं समझ रहे हैं । यह कर, वह कर कहना बड़ा आसान है । हम करना चाहते हैं, परन्तु कुछ विरोधी हित हैं । उन्हें भी ध्यान में रखना होगा ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय बिक्री-कर समाप्त करना बहुत ही अराजनीतिक होगा क्योंकि इससे राजनीतिक उलझनें पैदा हो जायेंगी । बिक्री-कर ही राज्यों के पास आय का एक लचीला साधन है । इसलिये जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र का यह भाग अव्यवहारिक है । अतः इससे छोड़ दिया जाये ।

Shri Ramanand Tiwari : Janata Party must have this thing in mind while including the idea of abolishing the sales tax that States will not agree to it. Then, why the Central Government are not issuing the orders regarding abolishing sales tax ?

Shri Morarji Desai : I said this at that very time that it can be introduced only when all the States agree. We will try for this.

श्री विनोद भाई बी० शेठ : क्या सरकार 'बिक्री' की परिभाषा बदलने पर विचार कर रही है जिससे कन्साइनमेंट बिक्री को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सके क्योंकि कन्साइन्मेंट बिक्री की आड़ में बड़ी मात्रा में अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर बचाया जाता है ? इससे चार करोड़ रुपये की हानि अकेले गुजरात को हुई है ।

श्री एच० एम० पटेल : हम इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

श्री हरिकेष बहादुर : बिक्री-कर विभाग के लगभग सभी अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं । क्या वित्त मंत्री इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राज्यों को कोई उपाय सुझा रहे हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : इस पर हम निश्चय ही विचार करेंगे ।

श्री राघवलु मोहनरंगम : राज्यों को बिक्री-कर और चुंगी-कर समाप्त करने के लिए कहा गया है । जब बिक्री राज्यों के लिए कामधेनु है तब इसे समाप्त करने की क्या आवश्यकता है । क्या यह राज्यों के और अधिकारों को लेकर केन्द्र को देने की दिशा में पहला कदम है ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे अब पता चला है कि यह राज्यों के लिए 'कामधेनु' हैं इसलिए इसका जो भी विकल्प होगा वह भी 'कामधेनु' ही होगा । अतः माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त रहें कि कुछ भी जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा जिससे राज्यों को हानि हो ।

Shri Raghavji : Is it not a fact that State Governments are not abolishing sales tax because they have not been suggested its alternative? Can you suggest any alternative so that sales tax may be abolished ? Whether Central Government will take the initiative by abolishing the Central sales tax ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम विकल्प दे रहे हैं । हम क्या देंगे यह हमारा सिर दर्द हैं, राज्यों का नहीं—परन्तु वे इस बात से आश्वस्त रहें कि उन्हें उतनी आय होगी जितनी बिक्री-कर से होती थी और उन्हें हानि नहीं होगी । केन्द्रीय बिक्री-कर और राज्य बिक्री-कर एक ही बात है तथा उस पर भी विचार किया जायगा । जब वे सहमत हों तभी इस क्षतिपूर्ति पर विचार किया जा सकता है ।

श्री कृष्ण कान्त : विपक्ष के नेता ने जो कहा है वह गलत है । जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी यह कहा गया है कि राज्यों के परामर्श से बिक्री-कर समाप्त किया जायेगा । दूसरे जिस रूप में बिक्री-कर अब लगा हुआ है, उससे राज्यों को आय कम होगी । यदि यह एक स्थान पर लगाया जाए तो राज्यों को जो अब मिल रहा है उससे अधिक मिलेगा, क्योंकि इस समय भ्रष्टाचार है और और कर्मचारियों पर अधिक रुपया खर्च होता है ।

श्री एच० एम० पटेल: जो कुछ श्री कृष्ण कान्त ने कहा वह सही है। आशा है सदस्यों को सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। जो कुछ भी किया जाएगा वह राज्यों के परामर्श से किया जाएगा।

श्री पी० जी० मावलंकर: मैं इस बात से सहमत हूं कि यह बड़ी कठिन समस्या है और सब, रजयों के सहमत हुए बिना इसे हल नहीं किया जा सकता पर क्योंकि वे बड़े आशावादी हैं और राज्यों को राजी करने को जोर डालते ही रहेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके यह कहने का क्या अर्थ है कि पहले राज्य सरकारें बिक्री-कर समाप्त करने को सहमत हों तब उसके विकल्प पर चर्चा होगी। क्या सरकार ने उनसे परामर्श करके और विकल्प के सुझाव देकर कोई ठोस कदम उठाये हैं और राज्य सरकारों को सहमत करने के लिए उन्होंने क्या नीति अपनाई है? वह हमें यही बताते रहते हैं कि पहले उत्पादन किया जायेगा तभी वह कोई कदम उठाएंगे।

श्री एच०एम० पटेल: मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि राज्य सरकारों के साथ हुई बातचीत उन्हें बताई जाये। मैंने वस्तुतः ये सब बातें की हैं। किसी को सुझाव देने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसे समाप्त कीजिए और फिर उन्हें बताएं कि यह काम किस तरह से किया जाना है। मैंने यह सब अलग अलग कहा है उन्हें इन बातों पर समग्र रूप से विचार करना चाहिए कि मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। जब हम ऐसी बात पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं तो हम कोई बात मनवाने के लिए उन्हें सहमत करने का प्रयास करते हैं। हम उन्हें सहमत या कायल करने के लिए हर आवश्यक तर्क देते हैं जिसका यह अर्थ है कि यदि वे यह जानना चाहें कि उनकी क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी तो हम उन्हें यह भी बताने का प्रयास करते हैं। इसकी मात्रा ही मुझे इतनी अधिक चिंता में डालती है।

श्री के० लकप्पा: इस प्रश्न पर 20 मिनट व्यय हो गये हैं और इससे राज्यों को असन्तोष हो रहा है। मैंने सरकार से सीधा प्रश्न किया है। इस दल का उद्देश्य और राजनीतिक अभिप्राय राज्यों को वित्तीय रूप से ही नहीं अपितु आर्थिक रूप से भी कमजोर बनाना है और उन्हें नगरपालिकाएं बनाकर छोड़ना है, उनके सभी अधिकार छीन कर उन पर केन्द्र का आधिपत्य स्थापित करना है। यह राजनीतिक प्रयोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि आप का उद्देश्य राज्यों को केन्द्र के अधीनस्थ बनाने का है और राज्यों को नगरपालिकाएं बनाकर सारी शक्तियां केन्द्र में ही स्थित करना है? क्या यह सच नहीं है........ (**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल: वह यह नहीं समझते हैं कि विपक्षी नेता द्वारा दिए गए संकेत को विपक्षी सदस्य इतनी तीव्रता से ग्रहण करेंगे। उन्होंने यह बता दिया है कि इस साधारण आर्थिक प्रस्ताव को इतनी शीघ्र राजनीतिक रंग दे दिया जायेगा।

Shri Vijay Kumar Malhotra : There is no Sales tax on three items, only excise duty has been imposed. It was decided in the National Development Council to add one or two items in this list. I want to know from the hon. Minister, whether he would consider to add one or two items on experimental basis ? If there is some advantage to the states, the experiment could be successful. Will the hon. Minister ask the State Governments whether they are agreeable to add one or two items on experimental basis ?

श्री एच० एम० पटेल: मैं समझता हूं माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं हैं। फिर भी यदि इस सुझाव पर अमल किया जाये तो भी इससे अधिक लाभ नहीं होगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: राज्य सरकारों को सहमत करने के लिए मंत्री महोदय उनके सम्मुख क्या विकल्प रखेंगे?

श्री एच० एम० पटेल: उत्पाद शुल्क ही विकल्प है, जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री वी० अरूणाचलम: पहले तो राज्य सरकारें सूती कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर कर लगाने के अपने अधिकार का त्याग करने के लिए सहमत हो गई थीं और इन वस्तुओं से होने वाली आय राज्यों को नहीं जाती हैं। क्या सरकार का राज्य सरकारों के हिस्से में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री एच० एम० पटेल: यह सारा हिस्सा राज्य सरकारों को ही जाता है।

इलाहाबाद बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के विरूद्ध जांच

*262. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इलाहाबाद बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के विरुद्ध की गई जांच की रिपोर्ट क्या है;

(ख) जांच किसने की और इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या यह सच है कि दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) (ख) और (ग) सरकार ने इलाहाबाद बैंक के विरुद्ध कोई जांच नहीं की है। यदि माननीय सदस्य इलाहाबाद बैंक के उन लेनदेनों का उल्लेख कर रहे हों, जो कि उक्त अल्प सूचना प्रश्न संख्या 14 की की विषयवस्तु थे जिसका उत्तर मैंने 8 जुलाई, 1977 को इसी सदन में दिया था, तो उत्तर यह है कि बैंक ने अपने मुख्य कार्यालय के एक अधिकारी को इन लेन-देनों की जांच करने के लिए तैनात किया था। निदेशक मंडल की एक समिति ने भी इस मामले की जांच की है। बैंक संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है।

इसी प्रकार सरकार ने सेंट्रल बैंक के विरुद्ध भी कोई जांच नहीं की है। अलबत्ता, इस बैंक द्वारा कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को मंजूर की गई ऋण सुविधाओं की जांच करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री डी० एन० घोष की एक सदस्यीय समिति का गठन सरकार द्वारा किया गया था। सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो विचाराधीन है।

श्री कंवर लाल गुप्त: माननीय मंत्री ने विवरण में बताया है कि निदेशक मण्डल की एक समिति ने इस मामले की जांच की है और बैंक संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहा है। यह मामला इलाहाबाद बैंक से संबंधित है।

सैंट्रल बैंक के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि बैंक द्वारा कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को मंजूर की गई ऋण सुविधाओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है और समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो विचाराधीन है। मेरा प्रश्न है इलाहाबाद बैंक और सेंट्रल बैंक के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट की गई थी और इन दोनों मामलों में आपने क्या कार्यवाही की है? किसी अधिकारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जांच करने के लिए क्यों नियुक्त किया गया?

श्री एच० एम० पटेल : मैं समझता हूं, जहां तक इलाहाबाद बैंक का सम्बन्ध है, बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित शाखा ने दिसम्बर 1976 से मार्च 1977 के दौरान 6.45 करोड़ रुपये की राशि 17½ प्रतिशत ब्याज पर एक वर्ष के लिए जमा की जबकि बैंक की एसोसियेशन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 13½ प्रतिशत ब्याज पर राशि जमा की जानी थी और दलाली का 1.22 लाख रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, बैंक की शाखा रिजर्व बैंक की निर्देशों के विरूद्ध कांगड़ा सहकारी बैंक के चालू खाते पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। जुलाई, 1976 से मई 1977 के दौरान बैंक की इसी शाखा ने पंजाब और सिंध बैंक को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेटों और फिक्सड डिपोजिट के रूप में 3.44 करोड़ रुपया कांगड़ा सहकारी बैंक से ऋण दर से भी कम ब्याज दर पर उधार दिया। यह पता चला है कि इन सभी निवेशों में एक ही दलाल को संरक्षण प्राप्त था। इस मामले की जांच की गई है और समुचित कार्यवाही की गई है। जहां तक सैंट्रल बैंक का सम्बन्ध है.....।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक सैंट्रल बैंक का सम्बन्ध है एक अधिकारी से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए अपना पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि उन टेक्सटाईल एककों की स्थिति क्या है। जिनका प्रबन्ध तथा ऋण देने सम्बन्धी अधिकार बैंकों द्वारा स्थायी तौर से अपने हाथों में ले लिया गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या कार्यवाही की गयी ? इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक इलाहाबाद बैंक का सम्बन्ध है, संबंधित अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और इस पर विचार हो रहा है। दूसरा मामला अभी भी विचाराधीन है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I asked a question during last session about the number of embezzlement and misappropriation cases worth more than Rs. Five lakh in the nationalised banks during the last 8 years. In reply to that it was stated that total amount of embezzlement of more than Rs. 5 lakh, during the last 3 years was Rs. 8 crores. The nationalised banks are embezzling and misappropriating the money, which is a serious matter. There must also be embezzlement cases of less than Rs. 5 lakhs. My estimate is that during the last 3 years Rs. 15 crores were embezzled by the nationalised banks. A number of corruption cases also came to light. The main reason for this state of affairs is that Directors, Managing Directors and Managers have been given many discretionary powers. I want to know the steps being taken to check such malpractices. Will any committee be constituted to suggest necessary measures to be taken in the matter ?

श्री एच० एम० पटेल : ये सब बातें हमारे विचाराधीन हैं। रिजर्व बैंक ने बैंक शाखाओं के शीघ्र विस्तार तथा सामने आने वाली कठिनाईयों को ठीक करने आदि के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : गबन के बारे में क्या किया गया ?

श्री एच० एम० पटेल : गबन के बारे में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि गबन अधिकारियों के स्तर अपमिश्रण से होता है। यह अपमिश्रण शाखाओं के शीघ्र विस्तार से हुआ है। यह समूचा प्रश्न विचारणीय है। गबन तो केवल लक्षण है जो सामने आता है। अतः हमें इसकी जांच करनी होगी। कारण अनेक हो सकते हैं। इन पर हम विचार करेंगे और कर भी रहे हैं। हम यह देखने का प्रयास भी कर रहे हैं कि कर्मचारियों का सुधार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किया जाये। हम यह प्रयास भी कर रहे हैं कि पर्याप्त पर्यवेक्षण हो। इन सब बातों पर विचार किया जाना है।

श्री वयालार रवि : यहां सेंट्रल बैंक ग्राफ इण्डिया के बारे में विशेष प्रश्न है लेकिन मंत्री महोदय ने केवल कोहिनूर बैंक को दिये गये अग्रिम धन का जिक्र किया है। सभा में चेयरमन के विरुद्ध भी कुछ सदस्यों ने ग्रारोप लगाये थे क्योंकि उन्होंने 16 करोड़ रुपये का अग्रिम धन दिया था। हो सकता है कि मेरी यह बात त्रुटिपूर्ण हो.... ।

एक माननीय सदस्य : 28 करोड़ रुपये।

श्री वयालार रवि : 28 करोड़ रुपये तो इन कपाड़िया कम्पनी वालों को उन दिनों के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा दिये गये थे ग्रौर ग्रारोप विशेषतः चेयरमैन के विरुद्ध ही थे। जब ग्राप बैंक के विरुद्ध जांच कर रहे हैं तो चेयरमैन को छोड़ देना उचित नहीं होगा। सरकार ने ग्रनेक बैंकों के चेयरमैनों को बदल दिया है ग्रौर केवल इसी चेयरमैन को नहीं बदला गया। क्या मैं जान सकता हूं कि इस चेयरमैन को क्यों नहीं बदला गया जबकि उसके विरुद्ध इतने गम्भीर ग्रारोप हैं। क्या चेयरमैन को बदल कर कोई उचित जांच करायी जायेगी ?

श्री एच० एम० पटेल : ग्रारोप लगातार लगाये जाते हैं ग्रौर यदि हम लोगों को इन ग्रारोपों के ग्राधार पर निकालते जायं तो इसका कोई ग्रन्त नहीं होगा लेकिन हमने लगाये गये ग्रारोप पर गम्भीरता से विचार किया है ग्रौर जांच समिति का भी गठन किया है।

श्री वयालार रवि : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चेयरमैन, श्री पालकीवाला के द्वारा ग्रापको प्रभावित कर सकता है ? हम जानते हैं इसीलिये मैं कह रहा हूं, कि श्री पालकीवाला ग्रापको प्रभावित कर रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने कहा है कि रिपोर्ट ग्रा गयी है ग्रौर मैं यहां सभा पटल पर विवरण रखूंगा।

Shri Kishore Lal: I want to know the percentage of expenditure on entertainment, furnishing and travelling in the nationalised banks and whether any limit has been fixed ? I have given him photostat copies of wine bills and other vouchers of stay of Manager in the five star hotel. They passed them and paid to the Manager thousands of rupees. I want to know the limit fixed for the expenditure, by the Managers of these Banks in and other facilities provided to them. I would also like to know the action taken on these photostat copies ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने कई बातें मिला दी हैं ग्रौर कई प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न फोटो स्टेट कापी के बारे में है। यह व्यय बैंक बोर्ड की बैठक, जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि भी थे, के समय किये गये व्यय से संबंधित है (**व्यवधान**)।

श्री कंवर लाल गुप्त : कौन सी सुविधायें ? शराब के लिये पैसा दिया गया। मैंने इसे प्रधानमंत्री को भेजा ग्रौर प्रधानमंत्री ने इसे वित्त मंत्री को भेजा। यह एक फोटो स्टेट कापी थी। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी इस बात को मानेंगे कि मैंने फोटो स्टेट कापी भेजी थी। शराब का पैसा दिया गया। कम से कम इसे तो बन्द कीजिये।

श्री एच० एम० पटेल : ग्राप जोश में न ग्रायें। मैं कह रहा हूं कि फोटो स्टेट कापी मेरे पास ग्रायी थी। "शराब" वाली बात महत्वपूर्ण है। झे अपना उत्तर पूरा करने दें (**व्यवधान**)।

Chaudhry Balbir Singh : This is an important point. The Prime Minister also wants that there should be prohibition.

Shri H.M. Patel : You should also understand the context in which I used the term 'important'.

मैंने बताया है कि इसे व्यय की मद के रूप में दिखाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी ने इसका समर्थन किया है या कहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। हमने बैंक के चेयरमैन का ध्यान इस ग्रोर दिलाया है और कहा है कि ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। हमने यह भी कहा है कि बैठकों इत्यादि पर फिजूलखर्ची न की जाए। हमने उन्हें यह निदेश भेजा है। जहां तक उधार दर का मामला है, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य के मन में क्या है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् इलाहाबाद : बैंक के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि कार्यवाही की गई है। जिस कदाचार का उल्लेख अब किया गया है, वह बहुत गंभीर है। क्या एकाधिकारी फर्जी दलाल को दलाली देने, फर्जी बैंक द्वारा ब्याज की कम दरों पर पैसा लेकर उसे ऊंची दरों पर आगे देने आदि के मामलों में सरकार ऐसे कदाचारों की जांच के लिए एक समिति बैठाएगी जो ऐसे कदाचारों के विरूद्ध संरक्षण की सिफारिशें करेगी। क्या स्टाफ के एक या दो सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही करके यह मामला रफा-दफा कर दिया जायगा ?

श्री एच०एम० पटेल : परेशानी इसलिए पैदा हुई क्योंकि पूरा उत्तर नहीं दिया गया। मैंने बताया था कि अधिकारी मुअत्तल किए गए थे। उनमें से एक अधिकारी ने अपनी मुअत्तली के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया। यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है और ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। ब्यूरो जो भी जानकारी मांगेगा, बैंक को वह जानाकरी देनी होगी। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने सभी अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निदेश जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकों द्वारा सहकारी समितियों तथा कम्पनियों सहित अन्य बैंकिंग कम्पनियों से जमा राशि प्राप्त करने के लिए दलाली या कमीशन देने पर मनाही है। यह एक ऐसी चीज है जो उन्हें बिलकुल नहीं करनी चाहिए थी।

श्री यादवेन्द्र दत्त : माननीय वित्त मंत्री ने अभी कहा है कि यह एक गम्भीर मामला है और गम्भीर कार्यवाही की जा रही है। क्या उन्होंने इलाहाबाद बैंक और सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को मुअत्तल किया है जो इन सभी अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : हमने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है क्योंकि यदि हम इस ढंग से काम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने पद पर बना नहीं रह सकता। इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन का मुख्यालय कलकत्ता में है। यह विशिष्ट कार्य एक छोटी सी शाखा में हुआ है। इस बैंक की कई शाखाएं हैं और बैंक की विभिन्न शाखाओं में होने वाले कार्य के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता बशर्ते कि यह पता लगे कि जब मामला उसके ध्यान में लाया गया था तो उसने कोई कार्यवाही नहीं की। हमने इस मामले की गम्भीरतापूर्वक जांच की है। हमने दूसरे मामले में भी ऐसा ही किया है। यदि किसी को विशिष्ट ढंग से कार्य करना है और वह उस ढंग से कार्य नहीं करता है तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

Shri Ram Murti : Is he aware that in the banks, which are being opened in rural areas, sophisticated teak wood is being used and this teak wood is being purchased from Delhi and Lucknow. It creates a bad impression in the minds of simple people. Does he propose to check the use of sophisticated teak wood ?

श्री एच० एम० पटेल : यदि ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों की शाखाओं में अधिक खर्चीला फर्नीचर लगाया जा रहा है तो हम बैंकों को भविष्य में ऐसे फर्नीचर का प्रयोग करने के लिए मना कर देंगे। फिर भी उपयोगी फर्नीचर तो लगाना ही पड़ेगा हालांकि हो सकता है कि ग्रामीण इसके आदि न हों। बैंकों को अन्य बैंकों की तरह ही काम करना होता है। अतः हम खर्चीले फर्नीचर से तो बच सकते हैं, पर दूसरे फर्नीचर से नहीं।

Shri Hukam Dev Narain Yadav : The hon. Finance Minister has stated that the matter has been referred to C.B.I. I would like to know as to when the matter was referred to C.B.I. and what is the progress made by the C.B.I. ?

If a person misappropriates Rs. 100 or Rs. 400 he is put behind the bars under the Indian Panel Code or Criminal Procedure Code but if any bank official misappropriates crores of rupees, he is not apprehanded and in case he is caught, he is suspended and he can secure anticipatory bail from the court. I would like to know what is the difficulty for the Government to prosecute and arrest such persons under Indian Panel Code or Criminal Procedure Code ?

श्री एच० एम० पटेल : इस मामले में धन की कोई हानि नहीं हुई। केवल कुछ कार्य ऐसा हुआ है जो बैंक के नियम के अनुकूल नहीं था। ब्याज की अधिक दर दी गई जो कि बैंक के दृष्टिकोण से अविवेकपूर्ण और अनुचित तरीका था क्योंकि यदि अधिक ब्याज की दर पर ऋण लिया जाता है और उसे ब्याज की कम दर पर आगे दिया जाता है तो हम इसे लाभकारी व्यापार नहीं कह सकते। अतः इस मामले की जांच की जा रही है कि ऐसा क्यों किया गया।

जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश नीति

*264. **श्री आर० कोलनथाइवैलू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी निवेश के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम की नीति क्या है;

(ख) गत बारह महीनों में किये गये पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धन वर्गों के लिये मकान बनाने के क्षेत्र में जीवन बीमा निगम ने क्या योगदान दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क, में जैसी कि वह जीवन बीमा निगम पर लागू होती है, जीवन बीमा निगम की निवेश संबधी नीति का सांविधिक ढांचा दिया गया है। पांचवीं आयोजना की अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम की नियंत्रित निधि की निवल वृद्धियों के निवेश के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित प्रणाली का अनुमोदन किया है :--

समाजोन्मुख क्षेत्र	नियंत्रित निधि की प्रतिशतता
(1) केन्द्रीय सरकार की बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में कम से कम . . .	25 प्रतिशत
(2) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों तथा उपर्युक्त (1) सहित सरकारी गारंटी शुदा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में कम से कम . . .	50 प्रतिशत
(3) समाजोन्मुख क्षेत्र में, जिसमें सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, पालिसी धारकों द्वारा गृह निर्माण, "अपने मकान के मालिक बनिए" योजना आदि तथा उपर्युक्त (II) शामिल हैं---कम से कम	75 प्रतिशत

समाजोन्मुख क्षेत्र		नियंत्रित निधि की प्रतिशतता
(ख) अन्य निवेश		
(1)	गैर-सरकारी क्षेत्र	10 प्रतिशत
(2)	पालिसी धारकों को ऋण	8 प्रतिशत
(3)	जीवन बीमा निगम द्वारा अचल संपत्ति का निर्माण और खरीद	2 प्रतिशत
(4)	मागस्थ राशियां जो निवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं	5 प्रतिशत
		100 प्रतिशत

वर्ष 1976-77 में और 1-4-1977 से 31-1-1978 तक की अवधि में जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्रमशः 593.79 करोड़ रुपए और 530.06 करोड़ रुपए की सकल पूंजी लगाई गई। उक्त अवधि में जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दिया गया है।

जीवन बीमा निगम द्वारा आवास के विकास के लिए 31 मार्च, 1977 तक दिए गए अंशदान का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है :—

		दी गई रकम (करोड़ रुपए)
(1)	राज्य सरकारों को उनकी विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण	263.33
(2)	शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को ऋण (इसमें अनसूचित जातियों/जनजातियों की आवास सहकारी समितियों के लिए कर्नाटक सरकार को दिया गया ऋण शामिल हैं)	274.82
(3)	राज्य आवास बोर्डों को ऋण	10.15
(4)	आवास और नगर विकास निगम को ऋण	33.00
(5)	जीवन बीमा निगम की विभिन्न बंधक आवास योजनाओं के अन्तर्गत संवितरित ऋण	129.61
(6)	कर्मचारी क्वार्टरों और बस्ती विकास के लिए जीवन बीमा निगम का मकान बनाने का अपना कार्यक्रम	17.65
	जोड़ :	728.56

उपर्युक्त (2) से (4) तक की राज्य सरकारों की संस्थाओं को आवास-विकास के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में किए गए अंशदान में समाज के कमजोर वर्गों के लिए अलग से किसी खास रकम की व्यवस्था नहीं की गई है। यह काम राज्य सरकारों और उन सस्थाओं का है कि वे जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण को मध्यम आय वर्गों, कम आय वर्गों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की एक या एक से अधिक योजनाओं में बांटें। जीवन बीमा निगम के पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे जीवन बीमा निगम द्वारा इन संस्थाओं को मकान बनाने के लिए दिए गए ऋणों में से समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए ऋणों के अनुपात का पता चल सके।

अनुबन्ध 'क'

वर्ष 1976-77 में भारत में किए गए सकल निवेश का वर्गवार विवरण

(करोड़ रुपए)

वर्ग	सकल निवेश
क. (1) समाजोन्मुखी क्षेत्र	
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	172.40
2. राज्य सरकारें तथा सरकारी गारंटी शुदा अन्य बिक्री योग्य प्रतिभूतियां :	
(1) राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	41.41
(2) नगर निगमों की प्रतिभूतियां	0.49
(3) बिजली बोर्डों के बांड	45.05*
(4) भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्र	14.92
(5) औद्योगिक वित्त निगम, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम सहित वित्तीय निगमों के बांड।	24.85
(2) समाजोन्मुखी क्षेत्रों में अन्य निवेश	
(1) राज्यों के बिजली बोर्डों को ऋण	83.83*
(2) आवास स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण	22.06
(3) नगर पालिकाओं की जलपूर्ति तथा जल निकासी के लिए ऋण	30.62
(4) ग्रामीण जलपूर्ति की स्कीमों के लिए जिला परिषदों को ऋण	5.01
(5) आवास तथा नगर विकास निगम सहित सहकारी आवास वित्तीय समितियों को ऋण	44.50
(6) सहकारी चीनी कारखानों को ऋण	5.54
(7) औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण	1.78
(8) सहकारी कताई मिलों को ऋण	0.10
(9) 'अपने घर के मालिक बनिए' और 'अपने एपार्टमेंट के मालिक बनिए' स्कीमों आदि के अंतर्गत पालिसी धारकों को ऋण	8.85
ख. अन्य निवेश	
1. कम्पनियां	
(1) कम्पनियों को सावधि ऋण	18.78
(2) कम्पनियों के शेयर और ऋणपत्र	19.01
(3) साझेदारी ऋण	19.93
2. पालिसियों पर ऋण	27.79 निवल निवेश
3. रिहायशी वाणिज्यिक आवास के लिए सम्पत्ति के गिरवी रखने पर ऋण	2.92
4. भारत में गृह सम्पत्ति और भूमि	2.79 निवल निवेश
5. बैंकों आदि में सावधि जमा रकमें	1.16
	593.79

*मैसूर विद्युत निगम लिमिटेड सहित।

अनुबन्ध 'ख'

1 अप्रैल, 1977 से 31 जनवरी, 1978 के दौरान संविदागत सकल निवेश का वर्गवार विवरण

(करोड़ रुपए)

वर्ग	किए गए सकल निवेश की राशि
क. (1) समाजोन्मुखी क्षेत्र	
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	223.32
2. राज्य सरकारों की और सरकारी गारंटी शुदा अन्य बिक्री-योग्य प्रतिभूतियां :	
(1) राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां . . .	55.61
(2) नगर निगमों की प्रतिभूतियां . . .	1.56
(3) बिजली बोर्डों के बाण्डस . .	45.05*
(4) भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्र	17.39
(5) औद्योगिक वित्त निगम, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम सहित वित्तीय निगमों के बाण्ड	14.79
(2) समाजोन्मुखी क्षेत्र में अन्य निवेश	
(1) राज्यों के बिजली बोर्डों को ऋण	33.83
(2) आवास स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण . . .	—
(3) जलपूर्ति और जल निकासी स्कीमों के लिए नगर पालिकाओं को ऋण . (4) ग्रामीण जलपूर्ति स्कीमों के लिए जिला परिषदों को ऋण . .	12.40
(5) आवास तथा नगर विकास निगम सहित सहकारी आवास वित्तीय समितियों को ऋण	27.76
(6) सहकारी चीनी कारखानों को ऋण	5.18
(7) औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण .	0.61
(8) सहकारी कताई मिलों को ऋण	—
(9) 'अपने घर के मालिक बनिए' और 'अपने एपार्टमेंट के मालिक बनिए' स्कीमों के अन्तर्गत पालिसी धारकों को ऋण . . .	**

वर्ग	(करोड़ रुपये) किये गए सकल निवेश की राशि
ख. अन्य निवेश	
(1) कम्पनियां	
(1) कम्पनियों को सावधि ऋण .	17.96
(2) कम्पनियों के शेयर और ऋण-पत्र	17.75
(3) साझेदारी ऋण . . .	56.85
2. पालिसियों पर ऋण	**
3. रिहायशी/वाणिज्यिक आवास के लिए सम्पत्ति को गिरवी रखने पर ऋण . .	**
4. भारत में गृह सम्पत्ति और भूमि . . .	**
5. बैंक खातों में सावधि जमा रकमें	**
जोड़ :	530.06

*मैसूर विद्युत निगम और दामोदर घाटी निगम के ऋणपत्रों सहित

**आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

श्री आर० कोलनथाईवेलु : हमारा देश गरीब एवं कृषि प्रधान है। हमारे देश में कई कृषि पम्प सैटों तथा बिजली की मोटरों की चोरी हो रही है। कई बार बाढ़ों के कारण मोटरें पानी में डूब जाती हैं और कायल जल जातें हैं। क्या निर्धन और सीमान्त कृषकों के लिए बीमे की कोई नीति जीवन बीमा निगम के पास है ?

श्री एच० एम० पटेल : यदि उनका अर्थ निवेश से है तो सरकार ने निश्चय ही ऐसी नीति बनाई है कि जीवन बीमा निगम किस प्रकार धन राशि का निवेश करे। जीवन बीमा निगम की नियंत्रित निधि की शुद्ध वृद्धियों के निवेश के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित प्रणाली का अनुमोदन किया है :—

	नियंत्रित निधि की प्रतिशतता
(क) समाजोन्मुख क्षेत्र	
(1) केन्द्रीय सरकार की बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में कम से कम	25 प्रतिशत
(2) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों तथा उपर्युक्त (1 सहित) सरकारी गारंटीशुदा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में कम से कम	50 प्रतिशत
(3) समाजोन्मुख क्षेत्र में जिसमें सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, पालिसी धारकों द्वारा गृह निर्माण, अपने मकान के मालिक बनिए योजनाआदि तथा उपर्युक्त (2) शामिल हैं कम से कम	75 प्रतिशत
(ख) अन्य निवेश	
(1) गैर-सरकारी क्षेत्र में	10 प्रतिशत
(2) पालिसी धारकों को ऋण	8 प्रतिशत
(3) जीवन बीमा निगम द्वारा अचल संपत्ति का निर्माण और खरीद	2 प्रतिशत
(4) मार्गस्थ राशियों जो निवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं	5 प्रतिशत

इस प्रकार निवेश-योग्य सभी राशियां जीवन बीमा निगम के निवेशों में वितरित की जाती हैं।

श्री कोलनथाईवेलु : मंत्री महोदय ने मेरी बात को नहीं समझा है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार कृषकों के लिए बिजली मोटरों एवं पम्प सैटों का बीमा करने संबंधी नीति बनाना चाहती है ?

श्री एच० एम० पटेल : सम्भवत: जीवन बीमा निगम इस उद्देश्य के लिए ऋण नहीं दे सकता।

श्री कोलनथाईवेलु : क्या कृषक बिजली की मोटरों और पम्प सैटों का बीमा जीवन बीमा निगम से करवा सकते हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : जीवन बीमा निगम इसमें क्या कर सकता है ? यह काम तो सामान्य बीमा निगम का है।

श्री ए० सी० जार्ज : तीन या चार वर्ष पूर्व जीवन बीमा निगम केरल सहित अन्य स्थानीय निकायों द्वारा भेजी जाने वाली उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उदारता से ऋण दे रहा था जो योजनाएं ग्रामीण एवं नगरीय जल सप्लाई तथा अन्य विकास कार्यों से संबंधित थी और जिसका लाभ लोगों को होना था और जिनके लिए राज्य सरकार ऋण देने में असमर्थ थी। क्या निवेश संबंधी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है क्योंकि निगम जल सप्लाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय निकायों द्वारा भेजे गए ऋण आवेदनों पर तकनीकी आपत्तियां उठा रहा है। ये आपत्तियां ऐसी योजनाओं पर लगाई गई हैं जो लोगों के लाभ के लिए एवं विकास कार्यों से संबंधित हैं। क्या मंत्री महोदय पूंजी निवेश संबंधी नीति को बदलेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित उद्देश्य हेतु नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि कोई कठिनाई है या जीवन बीमा निगम का रवैया उचित नहीं है तो यदि माननीय सदस्य पर्याप्त जानकारी दें तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा। लेकिन सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह निगम राज्य विद्युत निगमों को आवास हेतु ऋण देता है। यह निगम जल सप्लाई योजनाओं के लिए राज्य सरकारों और नगर समितियों को ऋण देता है। वर्ष 1976-77 में इस उद्देश्य के लिए सभी राज्यों को 30 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री जी ने जीवन बीमा निगम के निवेश संबंधी पर्याप्त ब्यौरा दिया है परन्तु उन्होंने निवेश संबंधी नीति के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्या वह यह बतायेंगे कि इन निवेशों पर लाभ की दर क्या है और इन निवेशों के आवंटन में लाभ की दर को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये क्या मापदण्ड हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि लाभ की दर क्या होगी क्योंकि जहां तक केन्द्र तथा राज्यों की प्रतिभूतियों तथा ऋणों का संबंध है यह उन दरों पर होगा जिनमें उतार-चढ़ाव होता रहता है और जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती हैं। जहां समाजोन्मुखी योजनाओं के लिए ऋणों का सम्बन्ध है वे सरकारों से परामर्श करके अनुमोदित की जाती हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गैर-सरकारी क्षेत्र की स्थिति क्या है ?

श्री एच० एम० पटेल : गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रश्न यह है कि वे इसमें निवेश कैसे करते हैं। वहां पर वे अपने निवेशों पर अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। पालिसी-धारियों को रियायती दरों पर ऋण दिया जाता है।

श्री सौगत राय : क्या मंत्री जी को पता है कि इस समय 7600 जीवन बीमा निगम डिवेलप्मेंट अधिकारी हड़ताल पर हैं और उन्होंने उनके निवास के समाने धरना दिया हुआ है जिसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम के निवेश में कमी हो जायेगी और राजस्व में 20 करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी ? डिवेलप्मेंट अधिकारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार क्या रवैया अपना रही है ? क्या वे 1976 में रद्द किये गये समझौते को पुनः लागू कर रहे हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने निवेश की नीति सम्बन्धी प्रश्न को डिवेलपमेंट अधिकारियों द्वारा हड़ताल के साथ मिला दिया है। मेरे विचार में दोनों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Ram Vilas Paswan : May I know the amount of loans advanced by L.I.C. to poor and backward people and rich and affluent persons during the last 12 months and the rate of interest charged from them separately ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खेद है कि मैं इस प्रकार आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे विचार में हम ये आंकड़े नहीं रखते कि कितनी राशि गरीब लोगों को दी गई। परन्तु ऐसी योजनाओं में, जिनके आधार पर जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाता है, गरीब लोगों को दिये जाने वाले ऋण का प्रतिशत अधिक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एक रुपए के सिक्कों का चलन

*247. **श्री उग्र सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एक रुपए के कितने सिक्के चल रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक मास एक रुपए के औसतन कितने सिक्के बनाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एक रुपए के नोट जल्दी प्रयोग होते हैं और गन्दे हो जाते हैं और कट-फट जाते हैं और वे किसी बैंक द्वारा भी स्वीकार नहीं किए जाते क्योंकि बैंकों द्वारा ऐसे भेजे गये नोटों को रिजर्व बैंक स्वीकार नहीं करता ; और

(घ) क्या सरकार का विचार एक रुपए के नोटों को बिल्कुल समाप्त करके सिक्के चलाने का है और यदि हां तो ऐसा कब किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) एक रुपए के लगभग 40 करोड़ के सिक्के चलन में हैं।

(ख) लगभग 1 करोड़ 13 लाख 30 हजार सिक्के।

(ग) यह सच है कि बड़े मूल्य के नोटों की अपेक्षा एक रुपए के नोट जल्दी-जल्दी एक से दूसरे हाथों में जाते हैं तथा जल्दी ही मैले हो जाते हैं और कट-फट जाते हैं।

मैले और कटे-फटे नोटों को स्वीकार न किये जाने के बारे में जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उन पर ध्यान देता है, तथा आवश्यक उपचारात्मक कारवाई की जाती है।

(घ) एक रुपए के नोटों को पूरी तरह हटा कर उनके स्थान पर सिक्कों को चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन एक रुपए के नोटों की संख्या धीरे-धीरे कम की जा रही है तथा एक रुपए के सिक्कों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

Objectives of Reorganisation of New Boards of I.A. and A.I.

*248. **Shri Raj Keshar Singh** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether Government have reorganised the Board of Air India and Indian Airlines recently ;

(b) if so, the objective of this re-organisation and whether the working efficiency of these corporations is likely to increase as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) The Board of Directors of Air India and Indian Airlines have been reconstituted in the normal course on the expiry of their terms on 31-1-1978. As the question of having a common Chairman for the Boards of both the airlines in terms of Section 4(1A) (a) of the Air Corporations Act, 1953 was under the consideration of Government for some time in the interest of greater and more effective coordination leading to increased efficiency and as it was finally decided that there should be a common full-time Chairman for the two Boards as from 1-2-1978, Air Chief Marshal P.C. Lal was appointed as the common full-time Chairman of the two Boards.

पाकिस्तान के साथ व्यापार

*249. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री सरत कार :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में कितना सुधार हुआ है ;

(ख) नये करार के अन्तर्गत भारत किन-किन वस्तुओं का निर्यात और आयात करेगा ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजा जा रहा है; और

(घ) दोनों देशों के बीच गत वर्ष और इस वर्ष कितना व्यापार हुआ है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार 1975 में पुन: आरम्भ हुआ था। हमारे निर्यातों की मात्रा निरन्तर बढ़ रही है, जो निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होती है :

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
1975-76	78	2212	--2134
1976-77	887	2	+885
1977-78 (अप्रैल--जुलाई '77)	557	+1.2	

(+आंकड़े अन्तिम नहीं हैं)

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता)।

(ख) पाकिस्तान के साथ व्यापार करार पर 23-1-75 को हस्ताक्षर हुए थे, जो तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध था। पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस करार को छ: महीने कि और अवधि के लिये, अथवा उस अवधि तक के लिये, जब तक नये करार पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते जो भी पहले हो, जारी रखें।

भारत से पाकिस्तान को निर्यात की मुख्य मदों में शामिल हैं : चाय, बीड़ी लपेटने की पत्तियां, लोहा तथा इस्पात, रबड़ के टायर तथा ट्यूबें, वस्त्र धागा, मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर, एल्यूमीनियम तथा धातु उत्पाद आदि।

पाकिस्तान से आयात की मुख्य मदों में कपास, सेंदा नमक, औषधीय जड़ी बूटियां आदि।

(ग) भारत तथा पाकिस्तान के बीच शीघ्र ही व्यापार समीक्षा वार्ताएं होने की सम्भावना है।

दस आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार हाथ में लेने का प्रस्ताव

*250. **श्री सौगत राय : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने दल के संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सरकार से मूल्य वृद्धि रोकने के लिये 10 आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

चाय उद्योग

*251. **श्री चित्त बसु : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विदेशों में मूल्यों के गिर जाने के कारण देश के चाय उद्योग का भविष्य अनिश्चित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ; (ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Smugglers who pledged not to indulge in Smuggling Activities

*252. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the smugglers who took a pledge before Shri Jayaprakash Narayan in Bombay last year not to indulge in smuggling activities, have been found active again; and

(b) if so, the number and the names thereof ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) and (b) Reports received by the Government do not indicate that smugglers who took a pledge before Shri Jayaprakash Narayan in Bombay last year have re-started their smuggling activities. The position is, however, kept under close watch.

'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न का आयात'

*253. **श्री ए० मुरुगेसन :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के आयात की क्या नीति है और पिछले बारह महीनों में समय-समय पर उसमें किये गये परिवर्तनों के क्या कारण हैं ;

(ख) वे बड़े व्यापार गृह कितने और कौन-कौन हैं जिन्हें आयात करने की अनुमति दी गई है एवं कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयात करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) नई नीति से छोटे उद्योगों को कितना नुकसान हुआ है ?

व णिज्य, नागरिक पूर्त तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :(क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1766/78]

(ख) पंजीकृत निर्यातकों के लिए सामान्य नीति के अन्तर्गत जो आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसधारी इस माल का सीधे आयात कर सकते थे, उन्हें लाइसेंसिंग अधिकारी से कोई पूर्व अनुमति या अपने लाइसेंसों पर कोई पृष्ठांकन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। 22 अगस्त 1977 से 2 सितम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान निर्यात संदन और पात्र विनिर्माता अपनी ओर से भी माल का आयात कर सकते थे।

(ग) नई नीति का लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विमान

***254. श्री सी० एन० विश्वनाथन :**

श्री अरविन्द बाला पजनोर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों में खरीदे गये तथा इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की सेवाओं में लगाये गये विमानों की संख्या, मूल्य तथा नाम क्या हैं और आगामी वर्ष में खरीदे जाने वाले विमानों का इसी प्रकार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान सरकार ने वी० आई० पी० बोइंग विमान खरीदने का पहली सरकार का निर्णय पहले तो रद्द कर दिया था परन्तु बाद में उसे ही बहाल कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले के पूरे तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

(क) से (ग) अपने विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1977 के दौरान, इंडियन एयरलाइंस ने 80.1 लाख अमरीकी डालर (लगभग 7.2 करोड़ रुपए, जिसमें सीमा-शुल्क सम्मिलित नहीं है) प्रति विमान की लागत से 3 अतिरिक्त बोइंग 737 विमान खरीदे। एयर इंडिया ने 1977 के दौरान दो बोइंग-747 विमानों के आदेश दिए थे, जिनमें से पहला विमान, जिसका मूल्य एयरफ्रेम, लगाये गये इंजनों तथा मालिक द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनों के मूल्य सहित 356.05 लाख अमरीकी डालर है, फरवरी, 1978 में डिलीवर कर दिया गया था। दूसरे बोइंग-747 विमान के जुलाई, 1978 में डिलीवर हो जाने की आशा है तथा एयरफ्रेम व लगाये गय इंजनों सहित इस विमान का अनुमानित मूल्य 397.15 लाख अमरीकी डालर है। इन दोनों विमानों पर फिट किए गए/फिट किए जाने वाले "खरीदार द्वारा मुहैया किये जाने वाले उपस्कर" (वायर फनिशड इक्विपमेंट) के लिए की गयी वित्त व्यवस्था का अनुमान क्रमश: 17.00 लाख अमरीकी डालर तथा 18.70 लाख अमरीकी डालर लगाया जाता है। 1978 के

दौरान, इंडियन एयरलाइंस का दो और ए300बी2 एयरबस विमान खरीदने का प्रस्ताव है। इस संबंध में प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। एयर इंडीया 1 जनवरी, 1978 को दुर्घटना में ध्वस्त हुए एक विमान के बदले में एक बोइंग 747 विमान का आर्डर देने के बारे में विचार कर रहे हैं। उसके मूल्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा बोइंग विमान के खरीदने के पिछली सरकार के प्रस्ताव को वर्तमान सरकार ने मंसूख कर दिया था। इसे बहाल नहीं किया गया है।

बैंकों की हड़ताल का सरकारी कार्य पर प्रभाव

*256. श्री के० माल्लन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1978 में बैंकों में हुई हड़ताल का सरकारी कार्य पर कोई प्रभाव पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो बैंक कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि यद्यपि जनवरी, 1978 में औद्योगिक आधार पर बैंकों में कोई हड़ताल नहीं हुई किन्तु बैंक कर्मचारी जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह के दौरान आंदोलन कर रहे थे और "नियमानुसार कार्य" और "धीमे काम की नीति अपना रहे थे। जनवरी के प्रथम सप्ताह में बैंक कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण अन्य सभी कारोबार के समान सरकारी कारोबार पर भी कुछ सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई वेतन संशोधन सम्बन्धी मांगों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन सुलह सफाई की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। सुलह सफाई की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है।

करार यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ कपड़ा सम्बन्धी

*256. श्री के० राम मूर्ति : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ कोई पंचवर्षीय कपड़ा संबंधी करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ वर्ष 1978 से 1981 तक के लिए एक नया चार वर्षीय वस्त्र करार किया गया है। यह करार भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच आपसी सहमति से 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त होने वाले एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नए भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र करार में भारत में उद्भूत होने वाले सूती वस्त्र उत्पाद, ऊन, तथा मानव निर्मित रेशे शामिल हैं। सूती वस्त्र उत्पाद की श्रेणियां, जो अलग-अलग नियंत्रण स्तरों और अपने-अपने नियंत्रण स्तरों के अन्तर्गत हैं, निम्नोक्त प्रकार हैं:—

नियंत्रण स्तर

श्रेणी सं०	किस्म	इकाई	1978	1979	1980	1981
1.	सूती धागे जो खुदरा बिक्री के लिए नहीं है।	मे० टन	9000	9045	9090	9136
2.	सूती परिधान जिनमें कोरे तथा विरंजित कपड़े शामिल	मे० टन	40000	40100	40200	40300
	नहीं हैं।	मे० टन	4200	4550	4900	5256
4.	निटिड शर्ट्स, सिंगलेट्स टी-शर्ट्स तथा स्वेटर शर्ट्स।	1000 अदद	6772	7043	7325	7618
7.	स्त्रियों के बुने हुए तथा निटिड ब्लाउज	1000 अदद	28000	28280	28563	28848
8.	पुरुषों की बुनी हुई कमीजें।	1000 अदद	24500	24819	25142	25469
9.	सूती तौलिए, टायलेट तथा सूती तौलिए के किचन लिनेन।	मे० टन	3600	3780	3969	4167
15ख.	स्त्रियों के बुने हुए ओवर-कोट बरसाती तथा अन्य कोट, लबादे तथा जेकेट।	1000 अदद	668	695	723	752
19.	सूती रूमाल .	1000 अदद	64035	65956	67935	69973
20.	बेड लाइन्स . .	मे० टन	5736	5965	6204	6452
26.	बुनी हुई तथा निटिड पोशाकें	1000 अदद	6500	6663	6830	7000
27.	बुने हुए तथा निटिड स्कर्ट्स	1000 अदद	4500	4613	4728	4848
29.	स्त्रियों के बुने हुए सूट .	1000 अदद	390	410	430	452
30ख.	स्त्रियों के अन्य बुने हुए अंडरवियर . .	1000 अदद	1599	1679	1763	1851
39.	टेबुल लिनन, टायलेट, तथा किचन लिनन, टेरी वस्त्रों से बने हुओं को छोड़कर।	मे०टन	1169	1239	1313	1392

अन्य श्रेणियों के मामले में, जिनके निर्यात अलग-अलग नियन्त्रण स्तर के अध्यधीन हैं, जब कभी यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत से किए गए आयात की माला कुछ निर्धारित स्तरों से बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में परामर्श की व्यवस्था की गई है।

गांव वालों किसानों द्वारा विमुद्रीकृत नोटों का भुनाया जाना

*257. **श्री डी० एस० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से गांव वालों, विशेषकर किसानों ने विमुद्रीकरण के तुरन्त बाद विमुद्रीकृत नोट भुनाने के लिए पेश किये थे,

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे इस बात के प्रमाण मांगे गये हैं कि वे नोट उनके पास कहां से आये,

(ग) क्या उनके लिये ऐसा करना संभव नहीं हो सका है ; और

(घ) क्या इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) 16 जनवरी, 1978 को जो अध्यादेश पुरव्यापित किया गया था, उसमें व्यवस्था की गई है कि हर उस व्यक्ति को, जो ऊंचे मूल्य वर्ग के नोट को बदल लेने के लिए उसे समर्पित करना चाहता है, विनिर्दिष्ट फार्म में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह जानकारी भी देनी होगी कि बैंक नोट कब और किस साधन से घोषणाकर्ता के कब्जे में आए। उन मामलों में, जिनमें इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में घोषणाकर्ता ने आरम्भ में संतोषजनक जानकारी नहीं दी अथवा ऐसी जानकारी युक्ति युक्त समय के अन्दर-अन्दर नहीं दी गई, सम्बन्धित बैंक को अदायगी करने से इन्कार कर देने का और मामले को केन्द्रीय सरकार को सौंप देने का अधिकार था ताकि केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों, तत्सम्बन्धी घोषणा की ऐसी और विस्तृत व्याख्या मांग कर जिसे वह उचित समझे, निपटा सके। सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस अध्यादेश से देहाती लोगों को, खास तौर पर किसानों को, काफी ज्यादा हानि हुई है।

उचित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि

*258. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बना रही है उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस व्यवस्था द्वारा किन वस्तुओं को उपलब्ध कराया जायेगा ; और

(ग) इसके लिए सरकार क्या उपाय करेगी कि विभिन्न वस्तुयें वितरण एजेंसियों को पर्याप्त माला में दी जायें ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), (ख) व (ग) एक विरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. इस योजना का उद्देश्य आम खपत की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना और बढ़ा हुआ उत्पादन विशेष रूप से कमजोर वर्गों तथा कामगार जनता को समान रूप से और कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराना है। इस नई नीति का मूल उद्देश्य पहले की तरह अल्पकालीन राहत उपायों तथा तदर्थ हल के

स्थान पर एक स्थायी प्रणाली का निर्माण करना है । प्रस्तावित प्रणाली द्वारा पिछले असंतुलनों को दूर करने तथा देहाती इलाकों में भी वितरण प्रणाली लागू करने का एक प्रभावी साधन तैयार किया जाना है । इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसके अंतर्गत अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं शामिल करने तथा उचित मूल्य की दुकानों के अधिकाधिक विस्तार के लिए प्रभावी कार्रवाई करना भी है, ताकि देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया जा सके।

2. उन कार्यों जिनकी परिकल्पना की गई है और उन कार्यवाही योजनाओं जिनका सुझाव दिया गया है, में उन वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय किए जाते हैं । इस योजना को तैयार करने में वित्तीय बाध्यताओं को भी ध्यान में लिया गया है और नीति यह है कि वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं और योजना-परिव्ययों का अनुकूलतम उपयोग किया जाये । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की नई नीति की अधिक महत्वपूर्ण बातें ये हैं :—

—वितरण प्रणाली में पहले से शामिल आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी वितरण करना तथा उसमें और नयी वस्तुएं शामिल करना । इस योजना में प्रारम्भ में अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, वनस्पति तेल तथा वनस्पति और आम-खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुएं शामिल की जानी है ;

—आम खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुओं जैसे नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन, नमक, दियासलाई, चाय, कापियों, आम औषध व दवाइयों के बारे में सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों की राज्य सरकारों के परामर्श से उत्पादन, उपलभ्यता तथा फुटकर मूल्यों की परिवीक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेना है । संबंधित मंत्रालय कुल मांग का और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं का जायजा लेने और उन्हें पूरा करने के उपाय करने के लिए उत्तरदायी होने चाहिए;

—अनाज, दालों, खाद्य तेलों अथवा तिलहनों, कपास आदि का बफर स्टाक बनाना और अपेक्षित आवश्यक वस्तुओं का आयात करना ;

—भण्डारण, परिवहन तथा वितरण की लागत के क्षेत्रों में औचित्य लाना;

—शहरी और देहाती क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के आबंटन तथा उनके मूल्यों के असन्तुलनों को दूर करना;

—निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग किया जायेगा । वितरण कार्य के लिए कारगर प्रणालियां विकसित करने और इसके लिए शहरी तथा देहाती दोनों इलाकों में सहकारी समितियों का जाल बिछाने पर बल दिया जायेगा यदि आवश्यक हुआ तो इस उत्तरदायित्व को लेने के लिए ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

—दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या इस प्रकार बढ़ाना कि 2000 की जनसंख्या के लिए कम से कम एक बिक्री केन्द्र हो जाये।

—विवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करके और न्यूनतम बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों की आर्थिक आत्म-निर्भरता में सुधार करना;

—उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए सतकता समितियां स्थापित करना, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पर्यवेक्षण तथा सतकर्ता रखने और उपभोक्ताओं के हित का बचाव करने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त हों। केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना करना जो सम्पूर्ण वितरण के बारे में समन्वय कार्य तथा पर्यवेक्षण करेंगी और गतिविधियों पर नजर रखेंगी तथा सरकार को समय-समय पर उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेंगी।

विदेशी मुद्रा के विनिमय की सुविधा

*260. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में केवल एक ही ऐसा बैंक है जहां विदेशी मुद्रा के विनिमय की सुविधा दिन-रात और छुट्टियों के दिनों में उपलब्ध है ;

(ख) क्या इससे विदेशी पर्यटकों को असुविधा होती है और उन्हें अधिक "डिस्काउन्ट" देना पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिये ऐसी सुविधाएं रिजर्व बैंक अथवा कुछ अन्य केन्द्रों पर भी उपलब्ध कराने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अशोक होटल में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अलावा पालम हवाई अड्डे पर भारतीय स्टेट बैंक का एक्सचेंज ब्यूरो भी विदेशी मुद्रा को बदलने की सुविधा देने के लिए रविवार और छुट्टी के दिनों सहित 24 घंटे खुला रहता है। दिल्ली के और बहुत से होटल भी अपने यहां ठहरने वाले विदेशी यात्रियों को 24 घंटे तथा छुट्टियों के दिन भी यह सुविधा प्रदान करते हैं।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

(ग) मौजूदा सुविधाएं अभी पर्याप्त हैं।

थोक विक्रेताओं के बीच व्यापार पर रोक लगाने का प्रस्ताव

*261. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक थोक विक्रेता और दूसरे थोक विक्रेता के बीच व्यापार पर इस आधार पर रोक लगाने का है कि इससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) प्रस्ताव में निहित बातों (इम्प्लिकेशन्स) की जांच की जा रही है।

उगांडा को बैगनों की सप्लाई

*263. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ने उगांडा को निश्चित मात्रा से बहुत कम बैगनों की सप्लाई की है :—

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) लागत बढ़ जाने के फलस्वरूप इस देश को कितनी हानि हुई ?

(घ) क्या इसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) परियोजना तथा उपस्कर निगम ने सितम्बर, 1976 में 250 वैगनों तथा 20 सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए उगांडा सरकार के परिवहन तथा संचार मंत्रालय के साथ एक संविदा की थी। संविदा की शर्तों के अनुसार साख पत्र खोलने और साथ ही क्रेताओं द्वारा गारंटी प्रस्तुत करने में देरी होने के कारण संविदा का कार्यान्वयन कुछ समय तक रुका रहा। तथापि पार्टियों के बीच विस्तार में विचार विमर्श के फलस्वरूप शेष समस्याएं अधिकांशतः हल हो गई हैं तथा संविदा का कार्यान्वयन बिना किसी रुकावट होने की संभावना है। लागत वृद्धि के फलस्वरूप देश को कोई हानि नहीं हुई है।

महाबलिपुरम को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए प्रस्ताव

2287. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाबलिपुरम (न्यू मद्रास के निकट) को पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जनता के सुझावों के लिए उसे प्रकाशित करेगी,

(ग) उक्त प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(घ) उक्त प्रस्तावों के कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) महाबलिपुरम में सुविधाओं की नियमित वृद्धि को सुनिश्चित करने तथा इसे और आकर्षक स्थान बनाने के लिये तामिल नाडू सरकार ने पहले ही एक मास्टर प्लान तैयार कर ली है। इस मास्टर प्लान में समुद्र तटीय स्थलों के सर्वेक्षण पर जिसे केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने चालू किया था, यू०एन० डी० पी० की रिपोर्ट में दी गयी मुख्य सिफारिशें सम्मिलित हैं। महाबलिपुरम की मास्टर प्लान जनता के विचार प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही प्रकाशित कर दी गयी है।

(ग) सुविधाओं की नियमित आधार पर बढ़ोत्तरी को सुनिश्चित करने तथा उसके द्वारा इसके प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये यह मास्टर प्लान महाबलिपुरम क्षेत्र की मुख्यतया एक लैंड-यूज प्लान है। यह मास्टर प्लान पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये, सड़क सिस्टम, वाहन ठहराने के लिये स्थान, पुरातत्वीय नियंत्रण एरिया, लैंड-स्केपिंग, नगरीय विकास आदि के क्षेत्रों का निर्धारण करती है।

(घ) यह, भिन्न एजेंसियों के लिये. जिन्हें परियोजना के अपने से संबंधित विभिन्न घटकों को कार्यान्वित करना है उपलब्ध की गयी निधियों की मात्रा पर निर्भर करेगा।

Setting up of a Government Agency for getting fair return for the products Manufactured by small artisans in Delhi

2288. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether small artisans in Delhi manufacturer on washers, springs, chains, aluminium glasses, katoris (bowls), bhagonas, plastic switches, plugs etc., in their houses in large quantity but they do not get fair return therefor ; and

(b) if so, whether Government propose to set up some Government Agency to ensure that the persons manufacturing the above articles get fair return ?

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) Government have not received any complaint in this regard.

(b) Does not arise.

दालों, सब्जियों तथा मसालों के मूल्यों में वृद्धि

2289. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों, सब्जियों, मसालों तथा जीवन की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में धीरे-धीरे निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) मूल्यों में वृद्धि की इस प्रवृति को रोकने तथा इन वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) वृद्धि की यह प्रवृत्ति किस हद तक तथा किस तरह स सरकार के नियंत्रण में है और किस प्रकार यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) कई आवश्यक वस्तुओं के संबंध में हाल के सप्ताहों में मूल्य स्थिति आमतौर पर पर्याप्त रूप से नरम रही है । वर्ष भर का समस्त वस्तु थोक मूल्य सूचकांक 1.9% कम है । 17 सितम्बर, 1977 और 18 फरवरी, 1978 को समाप्त सप्ताहों के बीच सूचकांक में 4.9% की कमी हुई है । इसी अवधि में दालों, सब्जियों और नरम मसालों व मसालों के सूचकांकों में क्रमशः 5.7%, 23.9% तथा 17.1% की कमी हुई है । तथापि, दालों के मामलों में 18 फरवरी, 1978 को समाप्त दो सप्ताहों में सूचकांक में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) व (ग) आवश्यक वस्तुओं के मुल्यों में घटती का रुख 17 अप्रैल, 1977 से किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप तथा अच्छी फसल होने की सम्भावना के कारण आया है । ये उपाय जारी रखे जायेंगे और जब भी आवश्यक होगा और समुचित कदम उठाए जायेंगे। सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उपलभ्यता पर सतत निगरानी रख रही है । जो उपाय किए गए हैं, उनमें महत्वपूर्ण ये हैं :—

(i) प्रतिबन्धित मुद्रा तथा ऋण-नीति;

(ii) गेहूं और चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाना;

(iii) केन्द्रीय पूल से अधिक अनाज देना;

(iv) लेवी तथा बिना लेवी की चीनी अधिक मात्रा में देना;

(v) लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी के उत्पादन शुल्क में कमी करना;

(vi) 9 अप्रैल, 1977 से चाय के निर्यात पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाना और साथ ही चाय के निर्यात पर दी जाने वाली छूट वापस लेना;

(vii) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चाय को आवश्यक वस्तु घोषित करना;

(viii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन० सी० सी० एफ०) के माध्यम से बहुत से केन्द्रों में 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर बड़ी मात्रा में खुली चाय बेचना;

(ix) मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में सप्लाई करना;

(x) दालों, हाथ से चुनी मूंगफली, खाद्य तेलों के निर्यात-पर रोक जारी रखना;

(xi) ताजी सब्जियों जिनमें आलू भी शामिल हैं। जीरा तथा हल्दी के निर्यात पर रोक लगाना और प्याज का नियमित निर्यात;

(xii) लगभग 10 लाख मीटरी टन सीमेंट के आयात की व्यवस्था करना;

(xiii) खाद्य तेलों और कपास का बड़ी मात्रा में आयात करना;

(xiv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर में 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर आयातित परिष्कृत रेपसीड तेल बेचना;

(xv) वनस्पति उद्योग को उनकी तेलों की मांग के 75% से 90% के बीच आयातित तेलों की आपूर्ति करना;

(xvi) दालों, तिलहनों तथा खाद्य तेलों के बारे में व्यापारियों के लिए स्टाक सीमाएं लागू करना;

(xvii) गेहूं, धान, चना, मूंगफली, सूयमुखी के बीज और कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि करना;

(xviii) नेफेड द्वारा 10,000 मीटरी टन मसूर की दाल का आयात।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकती है। तथापि, केन्द्रीय और राज्य सरकारें उपलब्ध साधनों के माध्यम से उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कर रही है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरें

2290. **श्री एस० डी० सोमसुंदरम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरें निर्धारित करने का वतमान आधार भारत में जीवनावधि की वृद्धि के अनुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका विचार करों पर पुनर्विचार करने का है और कब;

(ग) पालिसियों पर बोनस की दरों का पुनर्मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि पालिसियों पर बोनस की वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) बीमे की विभिन्न "लाभ रहित" योजनाओं के अन्तगत 1970 से 1976 तक के दौरान समय-समय पर प्रीमियम की दरें कम की गई थीं। "लाभ सहित" पालिसियों के मामले में प्रीमियम की दरों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करने का रिवाज नहीं है, बल्कि इनके मामले में प्राप्त अनुभव को बोनस की घोषणाओं के द्वारा कार्यरूप दिया जाता है। "लाभ सहित" प्रीमियम दरों में कमी करने की बात पर उस समय विचार किया जा सकता है जब जीवन बीमा निगम के प्रबंध के खर्च को, जिसमें वृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, कम कर के एक उचित स्तर पर स्थिर रखा जा सकेगा।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम के पालिसाधारियों के लिए बोनस की घोषणा द्विवार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के अनसार अधिशेष (सरप्लस) के आधार पर की जाती है। पिछले दो बीमांकिक मूल्यांकनों के अनसार स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

मूल्यांकन की तारीख	अधिशेष (करोड़ रुपए)	बीम कृत रकम के प्रति एक हजार रुपये पर वार्षिक बोनस	
		आजीवन बीमा	बदोबस्ती बीमा
		रु०	रु०
31-3-75	184.71	22	17.60
31-3-77	258.00	25	20.00

लौह अयस्क और कच्चे लोहे की सप्लाई के लिये क्रयादेश

2291. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने देशों ने भारत से लौह अयस्क और कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिये क्रयादेश दिये हैं; और

(ख) इससे हमारे बड़े पमाने पर होने वाले व्यपार में कहां तक सहायता मिलेगी तथा उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जिन बाहरी देशों ने भारत से लौह अयस्क तथा कच्चे लोहे के आयात के लिये क्रयादेश दिये हैं उनकी संख्या क्रमशः 16 तथा 10 है।

(ख) पत्तनों द्वारा किये जाने वाले भारत के बल्क व्यापार में लगभग एक तिहाई भाग लौह अयस्क तथा कच्चे लोहे का होता है। इन देशों द्वारा लौह अयस्क तथा कच्चे लोहे की कुल खरीद से यह सहायता मिलेगी कि इन स्रोतों से पुनः पूछताछ प्राप्त होगी तथा इन दोनों मदों के निर्यात और बढ़ेंगे।

Meals served in Aeroplanes

2292. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether the breakfast and meals served in the aeroplanes is of inferior quality and less in quantity ;

(b) if so, whether Government propose to supply good quality food and also increase the quantity ; and

(c) whether Government propose to serve full meal in aeroplanes as before and also restore airlines bus service from airport to city offices of the airways for the convenience of passengers ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation Shri Purushottam Kaushik: (a) and (b) Government are aware that certain sections of the travelling public think that there is scope for improvement in the quality of snacks and food served on the flights of Indian Airlines and have directed the management to take immediate steps to bring about desired improvement in this matter.

(c) Full meals are served on Air India flights. There is no proposal at present to serve full meals on board Indian Airlines flights. As regards bus service between airport and city offices arrangements do exist against payments

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की समुद्री बीमा कम्पनियां

2293. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को भारत में समुद्री बीमे के काम में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की कितनी बीमा कम्पनियां कार्यरत थीं और पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में उनकी संख्या क्रमशः क्या थी;

(ख) 1 जनवरी, 1978 को गैर सरकारी क्षेत्र की कितनी समुद्री बीमा कम्पनियां विदेशी स्वामित्व वाली अथवा विदेशी नियंत्रणाधीन थीं तथा पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में उनकी संख्या क्रमशः क्या थी; और

(ग) गत वर्ष भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों ने कुल कितने मूल्य का समुद्री बीमा कारोबार किया तथा उन्होंने पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्षों के दौरान क्रमशः कुल कितने मूल्य का कारोबार किया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत में समुद्री बीमा कारबार करने के लिए पंजीकृत कम्पनियों/उपक्रमों की संख्या भिन्न-भिन्न तारीखों को इस प्रकार थी :—

तारीख	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	जोड़
31-3-1956	शून्य	129	129
31-3-1966	3*	97	100
1-1-1978	8**	शून्य	8

*भारतीय जीवन बीमा निगम और इसकी तत्कालीन सहायक कम्पनियां अर्थात् ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड और इंडियन गारंटी एंड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड।

**इसमें राज्य सरकारों के बीमा विभाग शामिल हैं।

(ख)

तारीख	संख्या
31-3-56	63
31-3-66	46
1-1-78	शून्य

(ग) कैलेण्डर वर्ष 1955, 1965 और 1976 में भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा सीधे किये गये समुद्री बीमे के प्रीमियम से जो कुछ सकल आय हुई, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	भारतीय बीमाकर्ता	गैर-भारतीय बीमाकर्ता
1955	5.24	2.67
1965	12.63	4.37
1976***	89.07	शून्य

***टिप्पणी:—1977 के संबंध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात

2294. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वष 1976-77 में गत वर्ष की तुलना में पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात कम था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) यद्यपि पूंजीगत माल के कुल आयात बढ़कर 1976-77 में 176 करोड़ रु० के हो गये हैं जबकि 1975-76 में 154 करोड़ रु० के थे, तथापि वस्त्र मशीनरी, चीनी मशीनरी तथा माल डिब्बों और सवारी डिब्बों जसे कुछ वर्गों के मामले में गिरावट आई है।

(ग) सबंधित उद्योगों ने प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं, साथसघों के निर्माण तथा अन्य उपायों द्वारा चुने हुए बाजारों की खोज का कार्य हाथ में लिया है ।

मैसर्स 'हिमको' लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा द्वारा पूंजी निवेश

2295. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या वित्त मंत्री लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा द्वारा आयकर के भुगतान के बारे में 9 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सख्या 3325 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हिमको" लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाणा) ने वर्ष 1973 से अब तक वर्ष-वार कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) वर्ष 1973 से इस फर्म में कार्य कर रहे फार्मासिस्टों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक फार्मासिस्ट को कितना वेतन दिया जाता है ;

(घ) वर्ष 1973 से इस फर्म में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ङ) इस समय इस फर्म के मालिकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) सोनीपत (हरियाणा) स्थित मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज 8-12-1972 तक एक ऐसी भागीदारी फर्म थी जिसमें तीन भागीदार थे और तब उक्त भागीदारों में से एक की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्, शेष दो भागीदारों ने फर्म का कारोबार चलाया। उक्त फर्म 10-8-1973 को परिसमाप्त कर दी गई जब उक्त भागीदारों में से एक भागीदार श्री रवि प्रकाश अग्रवाल ने एकमात्र मालिक के रूप में कारोबार अपने हाथ में ले लिया। पूंजीगत निवेश की स्थिति निम्नानुसार दी जाती है :—

निम्नलिखित को समाप्त होने वाला वर्ष			
1. 31-3-1973	2 भागीदार	चमनलाल 25,511 रु०	रवि प्रकाश अग्रवाल 31,112 रु०
2. 31-3-1974	मालिक रवि प्रकाश अग्रवाल	—	93,862 रु०
3. 31-3-1975	—यथोपरि—	--	164,477 रु०
4. 31-3-1976	—यथोपरि—	—	180,921 रु०
5. 31-3-1977	--यथोपरि --	—	157,268 रु०

(ख) अभी तक किसी भेषजविज्ञ (फार्मेसिस्ट) की नियुक्ति नहीं की गई है। उक्त फर्म ने केवल एक मुख्य रसायनज्ञ तथा एक वैश्लेषिक रसायन की नियुक्ति की, जिनके नाम निम्नानसार है :—

	मुख्य रसायनज्ञ	वैश्लेषिक रसायनज्ञ
1973 से जून 1974 तक . .	श्री इंद्रजीत सहगल	श्री धन प्रकाश
जुलाई 1974 से अगस्त 1974 तक	—	श्री धन प्रकाश
सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक .	श्री ए० के० जैन	श्री धन प्रकाश
मार्च, 1975 से अब तक	श्री धन प्रकाश	—

(ग) उक्त रसायनज्ञों में से प्रत्येक को दिया गया वेतन नीचे दिया गया है :—

1. श्री इंद्रजीत सहगल	790 रु० प्रति मास
2. श्री ए० के० जैन	1000 रु० प्रति मास
3. श्री धन प्रकाश	
(क) 1/73 से 3/74 तक	प्रति मास
(ख) 4/74 से 3/75 तक .	300 रु० प्रति मास
(ग) 4/75 से 8/75 तक	550 रु० प्रति मास
(घ) 9/75 से 3/76 तक	750 रु० प्रति मास
(ङ) 4/76 से अब तक	850 रु० प्रति मास

(घ) हिमको लेबोरेटरीज में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :—

1972-73	16
1973-74	10
1974-75	9
1975-76	9
1976-77	15
1977-78	9

(ङ) सोनीपत स्थित मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज का वर्तमान मालिक श्री रवि प्रकाश अग्रवाल है।

कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए आय कर विभाग द्वारा भूखंडों की नीलामी

2296. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय कर विभाग ने कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए नवानगर के स्वर्गीय जामसाहेब के भूखण्डों की नीलामी की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) (क) और (ख): जी, हां । नवानगर के स्वर्गीय श्री जामसाहब से कर की बकाया का 14.85 लाख रु० की रकम को वसूल करने के लिए जामनगर के "कोच हाउस" के नाम से जानी जाने वाली अचल सम्पत्ति के आसपास के 51 भू-खण्डों को दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 में नीलामी द्वारा बेचा गया था, जिससे 8.13 लाख रुपये की कुल रकम वसूल हुई ।

Redistribution of Income

2297. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Janata Praty promised in its election manifesto to redistribute the income and property in order to create such a society in which extravagance and indecent show of riches would be replaced with austerity;

(b) if so, the efforts made by Government in this direction during the last one year;

(c) the total land distributed among the poor during this period; and

(d) the percentage of economy effected in the administration ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) To fulfil the promises made in its election manifesto, the Janata Government has initiated action on a wide front since its assumption of office. The very first Budget of the Janata Government tried to reorder priorities in the Annual Plan expenditures which would benefit the lower income groups particularly in the hitherto neglected sector, namely, the rural sector. Since the Government believes in a redistributive tax policy, the income tax structure was made more progressive by raising the surcharge on income tax besides increasing the wealth tax rates. Simultaneously, to provide relief to the lower income groups the income tax exemption limit was raised to Rs. 10,000. It has restored to the workers the minimum bonus of 8.33 per cent and has recognised bonus as a deffened wage. To benefit the farmers, the procurement prices of paddy and wheat have been raised. With a view to

evolve proper wages, incomes and prices policy a study group has been appointed to recommend sound guidelines which would help in reducing income disparities. Since the Plan is the most comprehensive instrument at hand to bring about economic and social transformation in the country, the Plan strategy will be oriented to subserve these objectives.

(c) According to the available information some 1.84 lakh acres of land have been distributed to the landless agricultural workers till the end of November, 1977 in 1977-78 from ceiling surplus land.

(d) While it is difficult to quantify the economies effected, a rough idea might be had from the fact that the non-Plan revenue expenditure in the Revised estimates for 1977-78 has been contained within the original Budget estimates despite the additional burdens such as the increase in the procurement prices of wheat and paddy, further reduction in urea prices, an additional instalment of dearness allowance to government servants, further relief to pensioners, etc. This would not have been possible without effecting economies and avoiding inessential expenditure on a significant scale.

भूतपूर्व सैनिकों को चाय के आन्तरिक व्यापार के लिये डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाना

2298. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, चाय व्यापार निगम ने भूतपूर्व सैनिकों को चाय के आन्तरिक व्यापार के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) आन्तरिक बाजार में भारतीय चाय व्यापार निगम की चाय के वितरण के लिए 14 भूतपूर्व सैनिकों को चुना गया है। इनमें से पांच ने काम करना शुरू कर दिया है और शेष 9 अप्रल, 1978 में काम करना शुरू करेंगे।

Functions of the proposed oil seeds Corporations

2299. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) the functions of the proposed Oilseeds Corporation; and

(b) the names of the public undertakings and bodies which will be effected by it from financial, administrative and personnel point of view ?

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri K.K. Goyal) : (a) & (b) There is a proposal under the consideration of the Government to set up a national-level Corporation for Edible Oils and Oilseeds. The details are being worked out.

भारतीय जीवन बीमा निगम, नागपुर के 'फील्ड' कर्मचारी

2300. **श्री रोबिन सेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, नागपुर खंड के 'फील्ड' कर्मचारियों ने उक्त खंड के उक्त कर्मचारियों की कुछ समस्याओं और मांगों के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। दि डिविजनल ऐसोसिएशन आफ नेशनल फेडरेशन आफ इंश्योरेंश फील्ड वर्क्स आफ इंडिया, नागपुर ने 18 जुलाई, 1977 तथा 14 नवम्बर, 1977 को क्षेत्रीय प्रबन्धक, पश्चिमी क्षेत्र, बम्बई को दो ज्ञापन दिए थे। उक्त ज्ञापनों में मुख्यतः व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित शिकायतें थीं तथा इन शिकायतों पर जीवन बीमा निगम के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा विचार किया जा रहा है।

विभिन्न आय समूहों के बीच आय में असमानता

2301. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न आय समूहों के बीच आय की असमानता के बारे मे अन्तिम आंकड़े क्या हैं और निम्नतम तथा अधिकतम आय के बीच अनुपात क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि जनता शासन के एक वर्ष के भीतर यह असमानता और अधिक बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय आय के समान वितरण के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

(क) और (ख) : व्यक्तियों और परिवारों के आकार के अनुसार आय के वितरण के सम्बन्ध में व्यापक और विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में देश में विभिन्न आय वर्गों की आय संबंधी विषमता के बारे मे कोई अधिकृत अनुमान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आय के वितरण तथा रहन-सहन के स्तर से संबंधित मीहलानोबिस समिति ने 1964 में प्रकाशित अपनी पहली रिपोर्ट में जो यह मन्तव्य प्रकट किया था वह अब भी सच है कि "इस अध्ययन से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि हमारे पास वे आवश्यक तथ्य और आंकड़े नहीं है जिसके आधार पर हम आय के वितरण में होने वाले उन परिवर्तनों के संबंध में, जो दो आयोजना की अवधि में हुए हों, अन्य निष्कर्ष निकाल सकें।

(ग) मौजूदा सरकार की यह नीति है कि आय की विषमताओं को, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा कर जहां कि आय संबंधी विषमताएं और भी ज्यादा हैं, दूर किया जाए। इस उद्देश्य को, आयोजना के अन्तर्गत कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं, ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों, सिंचाई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ज्यादा विकास परिव्यय की व्यवस्था करके प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। आयोजना के अंतर्गत प्राथमिकताओं में परिवर्तन किए जाने से, कम आय वाले वर्ग जिनमें छोटे और सीमान्तिक किसान, कृषि मजदूर, ग्रामीण शिल्पी तथा कारीगर शामिल हैं और जो ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य भाग हैं, फायदा उठाएंगे। इसके अलावा, आयकर के अधिभार में वृद्धि करने से तथा गत वर्ष धन कर की दरों में वृद्धि से और अनिवार्य जमा की दरों में वृद्धि होने से मध्य वर्ग के ऊपरी छोर के लोगों की आय कम हो जाएगी। कुल निवेश के अनुपात में, सरकारी निवेश की यह वृद्धि भी विषमता को दूर करने में सहायक होगी क्योंकि इससे लाभ व्यक्तियों के स्थान पर, राज्य को होगा।

विमुद्रीकरण से पूर्व ऊंचे मूल्य के करेंसी नोटों की संख्या

2302. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमुद्रीकरण से पूर्व 1000 रु० 5000 रु० तथा 10 000 रु० के कितने करेंसी नोट अलग-अलग मूल्य के, परिचालन में थे और हर श्रेणी के कितने नोट किस-किस बैंक के पास निम्नानुसार जमा थे :—

(1) विमुद्रीकरण आदेश लागू होने के एक सप्ताह पूर्व के दिन ;

(2) विभिन्न बैंकों द्वारा (नामों सहित) भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्तिम रूप से जमा करने के दिन ; और

(ख) अलग अलग मल्य के कितने नोट [भाग (क) के अनुसार] सरकार के पास जमा कराये गये और स्वीकार किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) 16 जनवरी 1978 को कारबार बन्द होने के समय 128 करोड़ रुपए मूल्य के 1000 रुपए के लगभग 12.80 लाख बक नोट, 18.15 करोड़ रुपए मूल्य के 5000 रुपए के लगभग 36.300 बैंक नोट और 34.6 लाख रुपए मूल्य के 10,000 रुपए के 346 बैंक नोट चलन में थे। कुल मिला कर यह मूल्य लगभग 146.5 करोड़ रुपए हुआ। फिर भी, ये आंकड़े अनन्तिम हैं। तारीख के अनुसार बैंक के अनुसार तथा मूल्य वर्ग के अनुसार ब्योरा देना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि ऐसी सूचना एकत्र करने में बहुत समय और परिश्रम लगेगा।

(ख) चूंकि ऊंचे मूल्य वर्ग के नोटों को बलदने के सम्बन्ध में दी गई घोषणाओं की जांच कार्य अभी चल रहा है, इसलिए सूचना उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमान पत्तन अधिकारी के रिक्त पद और बेरोजगार वाणिज्यिक पायलट

2303. **श्री शरद यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानपत्तन अधिकारियों के रिक्त पद भरने के लिए भारी संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया था और वर्ष 1975 तथा 1976 मे चुनें हुए उम्मीदवारों की एक सूची बनाई थी

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सूची में बेरोजगार वाणिज्यिक पायलटों के और कुछ भूतपूव सैनिकों के भी पर्याप्त संख्या में नाम थे,

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने लोगों को नियुक्त किया जा चुका है,

(ङ) क्या चुने हुए व्यक्तियों की सूची में से उक्त बेरोजगार वाणिज्यिक पायलटों तथा भूतपूव सैनिकों को विमानपत्तन अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं, और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां एयर पोर्ट अधिकारियों के पदों को भरने के लिए भारत अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दो पेनल बनाए थे, एक 1-12-75 को खुले चयन के आधार पर तथा दूसरा 2-11-76 को विभागीय पदोन्नति के आधार पर।

(ख) (ग) तथा (घ) : पेनल की विस्तृत सूचियां संलग्न हैं (अनुबंध i तथा ii) दोनों पेनलों को मिलाकर उनमें 20 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस भारी तथा 10 भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1767/78]

(ङ) उपर्युक्त में से 9 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारियों तथा सभी 10 भूतपूर्व सनिकों को एयरपोर्ट अधिकारी के रूप में नियुक्त/पदोन्नत किया जा चुका है

(च) नागर विमानन विभाग बेरोजगार पाइलटों को खपाने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करके उन्हें सहायक एयरड्रोम अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र बनाने के लिए भी कदम उठा रहा है।

केशर की आवश्यकता

2304. **श्रीमती वार्वती देवी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृर्पा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केशर के आयात पर प्रतिबंध के कारण मंहदी का अतर उद्योग, सुरती जर्दा और पान मसाला उद्योगों पर कुभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या यनानी दवाओं में केशर एक अपरिहार्य अवयव है ; और

(ग) केशर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

औद्योगिक तिलहनों के वायदा व्यापार के बारे में अभ्यावेदन

2305. **श्री विनोदभाई बी० सेठ** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एरंडी और अलसी जैसे औद्योगिक तिलहनों के वायदा व्यापार के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) इस व्यापार को बंद कर देने से कितने लोग बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) व्यापार को बंद करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) इस व्यापार के बंद होने के कितने व्यक्ति बेरोजगार हुये हैं इसका अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) एरंडी और अलसी के वायदा व्यापार पर इस दृष्टि से प्रतिबंध लगाया गया है कि खाद्य तिलहनों/तिलों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके।

आयकर विभाग में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों का आरक्षण

2306. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों और प्रथम श्रेणी के निम्नतम पदों पर पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये रिक्त पदों का आरक्षण किया जाता है;

(ख) क्या उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के लिये कोई लिखित परीक्षा ली जाती है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में 5 अंकों की रियायत दी जाती है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को एक अलग रंग का उत्तर पुस्तिका दी जाती है और मूल्यांकन से पूर्व उनकी उत्तर पुस्तिकाओं पर एक साल लगा दी जाती है जिससे यह संकेत हो कि एक विशेष उत्तर पुस्तिका आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार की है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रथा से आरक्षित समुदाय के उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं के अधिक सख्ती से मूल्यांकित किये जाने की संभावना है; क्या वह कृपया सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त भाग (घ) में उल्लिखित प्रथा तत्काल बंद कर दी जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिकारियों (श्रेणी-ii) के पदों को, योग्यता के आधार पर चयन की पद्धति द्वारा आयकर निरीक्षकों को पदोन्नति करके भरा जाता है। केवल उन्हीं निरीक्षकों के मामले पदोन्नति के लिए विचार किये जाने योग्य होते,हैं, जिन्होंने निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। यह परीक्षा केवल अर्हताप्रदायी होती है, न कि प्रतियोगी परीक्षा।

आयकर अधिकारियों (श्रेणी-II) की आयकर अधिकारियों (श्रेणी-I) के ग्रेड में पदोन्नति के लिये अर्हता की शर्त के रूप में कोई लिखित परीक्षा अथवा अर्हताप्रदायी परीक्षा निर्धारित नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय, इस प्रयोजन के लिये नियुक्त परीक्षकों द्वारा कोई रियायत नहीं दी जाती। किन्तु अंकों का नियमन करते समय परीक्षा लेने तथा परिणामों का संकलन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों में अपेक्षाकृत अधिक उदारता तथा अधिक सहानुभूति बरती जाती है।

(घ) इन वर्गों के उम्मीदवारों को दी जाने वाली उत्तर-पुस्तिकाएं, अन्य उम्मीदवारों का दी जाने वाली उत्तर-पुस्तिकाओं से रंग में अथवा किसी मोहर उभरे हुये अक्षरों द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से भिन्न नहीं होतीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजी बाजार को पुनः सक्रिय बनाने के लिये कार्यवाही करना

2307. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वित्त मंत्री पूंजी बाजार को पुनः सक्रिय बनाने के बारे में 1 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2349 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पूंजी बाजार को पुनः सक्रिय बनाने के लिये उनके द्वारा उल्लिखित उपायों के प्रभाव की जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ।

(ख) क्या यह सच है कि पूरे वर्ष मंदी रही है और यह अभी तक जारी है ; और

(ग) नये पूंजी मामलो में पूंजी निवेश करने के लिये जनता को आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। इन उपायों का सार्थक मूल्यांकन करने के लिए अभी बहुत थोड़ा समय गुजरा है ।

(ख) संसद् के समक्ष हाल में प्रस्तुत की गई "आर्थिक समीक्षा, 1977-78" में औद्योगिक निवेश की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है।

(ग) नए पूंजी निर्गमों में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 1978-79 के बजट में हाल में कुछ उपायों की घोषणा की गई है। उपाय ये हैं:—कर योग्य आय के परिकलन में, नई औद्योगिक कम्पनियों के सामान्य शेयरों में लगाई गई पूंजी के 50 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती, परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को फिर से नई भारतीय औद्योगिक कम्पनियों की सामान्य शेयर पूंजी में लगा दिया जाए तो उस पर पूंजी लाभ कर से छूट ; और बैंकों द्वारा अर्जित व्याज पर से कर की समाप्ति। अंतिम उपाय के साथ-साथ, ब्याज दर के ढांचे में भी समुचित समायोजन किया गया है जिसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है।

Export of Coal

2308. **Shri Dharmasinhbhai Patel : Will the Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the quantity of coal exported to each country during the past three years, year-wise ; and

(b) the quantity of coal already exported and the quantity to be exported during 1977-78 country-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) The quantity of coal exported by MMTC during the last three years (year-wise and country wise) is as under :—

Quantity : Lakh M/T

Country	1974-75	1975-76	1976-77
Burma	0.86	0.80	1.08
Bangladesh	3.92	3.60	2.75
Belgium	—	—	0.39
Taiwan	—	—	0.78
Pakistan	—	—	0.11
France	—	—	0.55
Germany	—	—	0.22
Japan	—	—	0.04
Holland	—	—	0.21
Italy	—	—	0.22
TOTAL	4.78	4.40	6.3

(b) The quantity of Coal already exported till January, 1978 and likely shipments during the remaining two months of the fiscal year 1977-78 (country-wise) is as under :—

Quantity : Lakh M/T

Country	Quantity Shipped till Jan., 1978	Likely shipments during February and March, 1978	Total quantity upto March, 1978
Belgium	0.18	—	0.18
France	1.37	0.60	1.97
Bangladesh	1.76	0.80	2.56
Japan	—	—	—
Italy	0.20	—	0.20
Ireland	0.16	—	0.16
Burma	0.20	0.25	0.45
Denmark	0.23	—	0.23
Ceylon	0.10	—	0.10
Germany	0.23	0.20	0.43
TOTAL	4.43	1.85	6·28

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण संगठन

2309. **श्री यशवन्त बोरोले : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो उपभोक्ता सुरक्षा संगठन उचित दर की जो दुकानें और बाजार चला रहे हैं, वे अभिजात वर्ग की ओर नगरोन्मुख हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल्य-वृद्धि रोकना ही उनका ध्येय होता है और माल के अच्छे किस्म की परवाह नहीं की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय करने का विचार है कि ये संगठन ग्रामीण क्षेत्रों की भी सेवा करें और माल की अच्छी किस्म पर भी ध्यान दिया जाये ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) केन्द्रीय सरकार को उपभोक्ता संरक्षण संगठनों द्वारा चलाई जा रही उचित दर की दुकानों और बाजारों की जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आन्दोलन का कार्यक्षेत्र बढ़ाने तथा उसके अन्तर्गत, अधिक क्षेत्र लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कृषि उत्पादों का निर्यात

2310. **डा० बापू कालदाते : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसे कृषि उत्पादों के निर्यात को बन्द कर दिया है जिनकी देश में कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन वस्तुओं के निर्यात पर कब से रोक लगा दी गयी है ; और

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1977 और 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1978 के दौरान इन उत्पादों के निर्यात का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : जानकारी संलग्न विवरण के अनुसार है।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी० 1768/78]

ईरान द्वारा राज्य व्यापार निगम से संविदा के अनुसार चीनी का न लिया जाना

2311. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान ने राज्य व्यापार निगम से संविदा के अनुसार चीनी की मात्रा खरीदने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) तथा (ख) : ईरान द्वारा संविदाकृत चीनी की मात्रा में से कोई भी मात्रा खरीदने से उन्होंने इंकार नहीं किया है। भारत सरकार तथा ईरान सरकार के बीच हस्ताक्षरकृत समझौता ज्ञापन के अधीन ईरान को दिसम्बर, 1977 तक 1.20 लाख मे० टन चीनी उधार सप्लाई की जानी थी। तथापि, ईरानी खरीददार संगठन ने इस करार के अंतर्गत उन्हें सप्लाई किये जाने के लिये पैरिस ग्रेड 6 के रंग से मेल खाने वाली चीनी को प्राथमिकता देने की इच्छा व्यक्त की। चूंकि भारतीय चीनी पैरिस ग्रेड 6 वाली चीनी के साथ मेल नहीं खाती, अतः ईरान ने सुझाव रखा है कि उन्हें उसके बदले उतनी ही मात्रा में सीमेन्ट की सप्लाई की जाये। इस पर भारत सरकार सहमत हो गई है। देश में सीमेंट के अभाव को ध्यान में रखते हुए तीसरे देश से सीमेंट खरीद कर ईरान को सप्लाई करने के प्रश्न पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं।

भारत में चल रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वृद्धि दर तथा उनके द्वारा अर्जित लाभ

2312. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कुल कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चल रहीं हैं,

(ख) कांग्रेस शासन के दौरान उनकी वृद्धि दर कितनी थी तथा उन्होंने कितना लाभ अर्जित किया; और

(ग) इन कम्पनियों को नियंत्रण में न लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 31-3-76 और 31-12-77 को भारत में विदेशी कंपनियों की 171 सहायक कंपनियां और 475 शाखाएं कार्य कर रही थीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है, ।

(ग) सरकार की नीति यह है कि देश में विदेशी कंपनियां तब तक कार्य कर सकती हैं जब तक वे देश के कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करती रहें ।

विवरण

क. भारत में विदेशी व्यापार संबंधी पूंजी निवेश की राशियां (अर्थात् गैर-सरकारी क्षेत्रों की दीर्घावधिक विदेशी देनदारियां)

निम्नलिखित दिनांकों की समाप्ति पर	राशि (करोड़ रुपए)
30-6-1948	264.6
31-12-1855	442.4
31-12-1956	679.8
31-3-1966	1068.3
31-3-1967	1471.7
31-3-1968	1552.1
31-3-1969	1619.3
31-3-1970	1640.9
31-3-1971	1879.6
31-3-1972	1755.7
31-3-1973	1816.3

(बाद की अवधियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं)

ख. लाभ और लाभांशों की बाहर भेजी गई राशियों के आंकड़े

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1956-57	26.5
1957-58	26.2
1958-59	28.3
1959-60	28.1
1960-61	32.3
1961-62	35.0
1962-63	40.9
1963-64	30.8
1964-65	39.5
1965-66	32.9
1966-67	43.2
1967-68	48.7
1968-69	43.2
1969-70	44.1
1970-71	56.6
1971-72	48.8
1972-73	54.6
1973-74	59.4
1974-75	26.4
1975-76	45.2

(1956-57 से पहले के तुल्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

Indo-U.S. Business Council

2313. **Shri Y. P. Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether during the first week of February, 1978 the representatives of the Indo-U.S Business council met him (the Prime Minister) and made a demand for special concessions and legal protection for investing American capital in India; if so, the details of the concessions and the nature of legal protection for which the demand was made and the reaction of the Government of India thereto ;

(b) whether Indo-U.S. Business council has offered to invest capital in Indian industries or in other development works in India in 1978; if so, the names of the industries and the development works in which the council has offered to invest capital and the amount threof; and

(c) whether the Government of India have accepted the offer of the Council for capital investment; and if so, their conditions for investment in the country accepted by the Government of India ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) (a), (b) & (c) Following the formal Council meeting of the Indo-U.S. Joint Business Council, the delegates met the Prime Minister and had a general discussion on investment issues. A plea was made that steps be taken to improvel India's competitiveness as an investment environment. No specific request seeking special concessions or legal protection was made; nor was there any offer for capital investment.

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अधीन बालचन्द चोरारिया की गिरफ्तारी

2314. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बालचन्द चोरारिया को तस्करी, विनिमय वित्तीय अपराधों तथा अवैध गतिविधियों के गंभीर आधारों पर विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय उन्हें पहले ही रिहा कर चुका है, यदि हाँ, तो इस मामले में किस आधार पर हार हुई थी;

(ग) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन तस्करों, विदेशी मुद्रा अन्तरणकर्ताओं तथा वित्तीय-अपराधियों संबंधी अन्य मामलों में इसी आधार पर पराजय हो जायेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस निर्णय के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) जी, हाँ । श्री बालचंद चोरारिया को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 जुलाई, 1975 को जारी किये गये नजरबंदी के आदेशों के अनुसरण में 12 मई, 1977 को नजरबंद किया गया जिससे उन्हें विदेशी मुद्रा संवर्धन में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने से रोका जा सके ।

(ख) जी हाँ, । उच्चतम न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ, जिसमें उनकी रिट याचिका को रद्द किया गया था, उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी उनकी अपील 13-12-77 को मंजूर की । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री राम जेठमलानी, संसद सदस्य के दिनाँक 18 मई, 1977 के पत्र का अर्थ लगाने में गलती की क्योंकि उनके द्वारा भेजा गया पत्र, श्री चोरारिया की तरफ से वकील द्वारा दिया गया अभ्यावेदन न होकर,

संसद सदस्य की हैसियत से भेजा गया था । उच्चतम न्यायालय के अनुसार, सरकार ने इस अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया था और एक मात्र इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने नजरबंदी से उनकी रिहाई के आदेश दिये ।

(ग) जी, नहीं । फिलहाल, उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसी प्रकार का कोई मामला निर्णय के लिए नहीं पड़ा है ।

(घ) उक्त निर्णय से पैदा होने वाले मुद्दों को मार्गदर्शन के लिए नोट कर लिया गया है ।

Smuggling of Sacred Rudraksha Beads

2315. **Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sacred Rudraksha is being illegally smuggled from Indonesia, Jawa Sumatra, etc.;

(b) if so, whether it is also a fact that a small bead of Rudraksha is sold for as high as 500 times its value and religious sentiments are exploited for the purpose; and

(c) whether Government has taken or propose to take any action in this regard to take any action for future ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a), (b) & (c) : No Sir, No case of seizure has come to the notice of the Government during the last one year.

सिंघानिया गृह संबंधी एक उद्योगपति के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारन्ट

2316. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल से पहले की अवधि के दौरान 1974 या 1975 में सिंघानिया औद्योगिक गृह से संबंधित एक उद्योगपति के विरूद्ध मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तारी का एक वारन्ट जारी किया गया था ;

(ख) क्या उक्त गिरफ्तारी वारन्ट को कुछ महीनों के बाद वापस ले लिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो सिंघानिया गृह के इस सदस्य के विरुद्ध क्या आरोप थे ; और

(घ) भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार ने किन कारणों से गिरफ्तारी का वारन्ट वापस लिया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क), (ख), (ग) और (घ) पुलिस आयुक्त, कलकत्ता, ने 21-11-74 को श्री भरत हरी सिंघानिया के संबंध में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश जारी किया था, जिससे उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने से रोका जा सके । श्री सिंघानिया, चूंकि, लापता थे इसलिए उनके खिलाफ नजरबन्दी आदेशों का निष्पादन नहीं हो सका । 18 दिसम्बर, 1974 को उक्त अध्यादेश समाप्त हो जाने के साथ श्री सिंघानिया के खिलाफ नजरबन्दी के आदेश भी रद्द हो गये । इस प्रकार, श्री भरत हरी सिंघानिया के खिलाफ नजरबन्दी आदेश केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा रद्द नहीं किया गया था ।

न्यूनतम तथा अधिकतम आय के अन्तर को कम करना

2317. **श्री पूर्ण सिन्हा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम तथा अधिकतम आय के अन्तर को दस प्रत्याशीत वर्षों में से आगामी नौ वर्षों में उत्तरोत्तर कम करके 1 : 10 तक लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) सरकार के अनुसार भारत में इस समय न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच का अनुपात क्या है, और इतने बड़े अन्तर के क्या कारण हैं, और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के रूप में उचित वेतन तथा उत्पादन वृद्धि में आनुपातिक लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करने के लिये विधान लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : भारत सरकार ने अभी हाल ही में वेनत, आय और मूल्य विषयक एक अध्ययय दल नियुक्त किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार करेगा कि न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच अन्तर निर्धारित करने के लिए क्या सुसंगत मानदण्ड हो, क्या न्यूनतम और अधिकतम वेतनों के बीच का अनुपात एक जैसा हो या वह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रखा जा सकता है। अध्ययन दल की सिफारिशों से सरकार को वेतन, आय और मूल्यों विषयक नीति निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। सरकार इस विषय में अपनी कोई नीति निर्धारित करने से पहले अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त करना चाहेगी।

Setting up an Opium Board

2318. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an Opium Board;

(b) if so, the composition thereof as also its aims and functions; and

(c) whether Members of Parliament of the concerned areas are also proposed to be included in the board ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) No Sir,

(b) & (c) Question does not arise.

स्वर्णकारों को काम-धन्धे के लिए मंजूर की गई धनराशि

2319. **श्री सी० के० जाफर शरीफ़ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णकारों को काम धन्धे के लिये दी गई उस कुल अग्रिम धनराशि का व्यौरा क्या है, जो वर्ष 1963 में स्वर्ण नियंत्रण लागू करने के बाद मंजूर की गई थी ;

(ख) इस संबंध में अभी तक ऋण की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ऋण की बकाया राशि की आम माफी के संबंध में विचार करने के लिये स्वर्णकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सूचना संलग्न है।

(ग) प्रमाणित स्वर्णकारों के विभिन्न संघों तथा बहुत से व्यक्तियों ने, स्वर्णकारों को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से स्वर्णकार ऋण की वापसी अदायगी करने की स्थिति में नहीं हैं। मामले की जाँच की जा रही है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत पेशगी रकम	बकाया रकम (सभी आँकड़े लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	161.94	106.02
2.	असम	57.68	--
3.	बिहार	43.50	23.15
4.	गुजरात	150.12	00.04
5.	हरियाणा	3.00	2.40
6.	जम्मू तथा कश्मीर	46.60	22.43
7.	केरल	14.50	00.65
8.	मध्य प्रदेश	135.60	75.85
9.	तमिलनाडु	251.53	121.29
10.	महाराष्ट्र	64.00	24.99
11.	कर्नाटक	87.50	21.03
12.	उड़ीसा	62.00	18.37
13.	पंजाब	32.19	9.24
14.	राजस्थान	120.50	48.17
15.	उत्तर प्रदेश	162.70	79.82
16.	पश्चिम बंगाल	57.00	15.23
17.	हिमाचल प्रदेश	4.50	1.53
18.	दिल्ली प्रशासन	29.60	--
19.	मणिपुर	3.00	1.14
20.	त्रिपुरा	5.60	0.36
21.	पाँडिचेरी	2.50	--
	कुल :	1495.56	571.71

Smuggling of Intoxicating Drugs and Gold

2320. **Shri Brij Bhushan Tiwari : Will the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of large scale smuggling of intoxicating drugs and gol into the country ; and

(b) if so, the steps being taken to check it ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) Reports received by the Government indicate that gold smuggling has to some degree continued and smuggling of intoxicating drugs into the country is not on any significant scale.

(b) To effectively combat smuggling, the Government have taken suitable steps to strengthen the preventive and intelligence set up. In case of gold, in addition to the preventive measures, the Government have decided to commence sale of gold from the stocks held by it. Besides, the Government have also decided to allow import of gold for making gold jewellery for export.

Import Licences issued for Stainless Steel Sheets

2321. **Shri Raghavji : Will the Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the quantity of stainless steel sheets, in tonnes, for the import of which licences were issued during the period from 1st April, 1977 to 31st January, 1978 and the quantum of goods imported from foreign countries during the said period;

(b) the names of the persons in whose favour these licences were issued indicating the quantity, in tonnes, as also the value thereof for which such licences were issued ; and

(c) whether Government are considering a proposal for granting licences for smaller quantities to more firms in future so as to have competition in market and enable the consumers to get it at reasonable price ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) & (b) The import of stainless Steel sheets, strips and plates is canalised through the Minerals & Metals Trading Corporation. Hence, no import licences are granted to individual units for direct import. The industrial units can approach M.M.T.C. directly for registering their twelve months' requirements.

Import licences for a total c.i.f. value of Rs. 22 crores for import of s.s. sheets/strips/plates were issued in favour of M.M.T.C. during the period, 1st April, 1977 to 31st January, 1978. During the same period the quantity of s.s. sheets/strips and plates for which orders were placed by M.M.T.C. is 16,788 M.T. and the quantity that actually arrived was 8,900 M.T.

(c) Import Policy for 1978-79 is under formulation and it is not in public interest to disclose information relevant thereto at this stage.

केन्द्रीय बिक्री कर की दरों में कमी

2322. **श्री राम कवार बरेवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में भारतीय वाणिज्य मंडल में उनकी बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने विभिन्न राज्यों में बिक्री कर में एकरूपता लाने और केन्द्रीय बिक्री-कर की दरों में कमी करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता ने यह सुझाव दिया है कि देश भर में बिक्री कर की दरों में तथा उसके ढांचे में कुछ एकरूपता लायी जाय और केन्द्रीय बिक्रीकर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जाय।

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर की दर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से राज्यों को राजस्व की हानि होगी। किसी भी राज्य में माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना संविधान के अनुसार राज्य सरकार का विषय है। इस लिए राज्यों में बिक्री कर की अलग-अलग दरों में संगति तथा एकरूपता लाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्ष करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय संस्थाओं का कार्यकरण

2323. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने गत वर्ष लोक सभा में वित्त विधेयक के समय उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया था कि वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण की जाँच की जायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अब तक कोई जाँच की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उस जाँच के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रबंध पर ऐसे विशिष्ट आरोप लगाये गये थे कि उन्होंने या तो कदाचार किया है या बैंक ने गलत ढंग से पूंजी निवेश किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्रबंध पर लगाये गये विशेष आरोपों की जाँच के निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नीति और कार्यचालन को नया रूप देने के प्रयत्न निरंतर किये जा रहे हैं ताकि वे उन समग्र उद्देश्यों के अनुरूप ढल सकें जोकि सरकार ने उनके लिए निर्धारित किये हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यचालन की समीक्षा का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक ने विशिष्ट रूप से क्रमशः श्री जेम्स एस० राज और प्रो० एम० एल० दान्तवाला की अध्यक्षता में गठित समितियों को सौंपा था । यद्यपि दान्तवाला समिति अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दे चुकी थी, जेम्स राज समिति ने अभी तक एक अन्तरिम रिपोर्ट ही प्रस्तुत की है । इन दो समितियों की सिफारिशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए समुचित उपाय किये जायेंगे । इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के और जल्दी-जल्दी निरीक्षण करने का निर्णय कर चुका है।

(घ) और (ङ) जुलाई, 1977 में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रबंधक वर्ग पर लगाये गये विशिष्ट आरोपों की भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जाँच की गयी थी और यह पाया गया कि उन आरोपों की पुष्टि नहीं होती है ।

Delay of Fokker Friendship Plane at Kanpur on 5th February

2324. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Fokker Friendship plane of Indian Airlines was delayed at Kanpur airport for more than one hour on 5th February : and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

भारत की ओर आकर्षित होने वाला विश्व पर्यटक यातायात

2325. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 के दौरान भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कुल विश्व पर्यटक यातायात की प्रतिशतता की दृष्टि से पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ष 1968—77 के दशक के लिए तुलनात्मक आंकड़ सभा पटल पर रखेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । 1977 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कुल विश्व पर्यटक यातायात की 0.26% थी जबकि इससे पहले वर्ष यह प्रतिशत 0.24 प्रतिशत था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1968—1977 के दशक की तुलनात्मक आंकड़ों वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1968-1977 के दौरान विश्व के कुल पर्यटकों की तुलना में भारत को यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात

वर्ष	विश्व पर्यटकों की कुल संख्या* (लाखों में)	भारत आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या	विश्व पर्यटन की तुलना में भारत आने वाले पर्यटकों का अनुपात--प्रतिशत में
1968	397	188,820	0.14
1969	547	244,724	0.16
1970	684	280,821	0.17
1971	1,815	300,995	0 17
1972	1,980	342,[illegible]50	0.17
1973	2,150	409,895	0.19
1974	2,090	423,161	0.20
1975	2,135	465,275	0.22
1976	2,206	533,951	0.24
1977	2,450	640,422	0.26

*विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित ।

विदेशी पूंजी-निवेश

2326. **श्री जी० एस० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री श्याम सुन्दर गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिये सभी बाधाओं को दूर कर दिये जाने और इसके लिये कोई नई अड़चनें न होने के बावजूद भी विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि न होने के कारणों की जांच करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार की नीति यह है कि उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तथा निर्यात प्रधान उद्यमों में चयनात्मक आधार पर विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति उन शर्तों पर दी जाए जो राष्ट्रीय हित में निर्धारित की गई हैं। यद्यपि विशेष रूप से जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है फिर भी सरकार स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती रहेगी और वांछित क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उचित कदम उठाएगी।

दिल्ली में नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना का प्रस्ताव

2327. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं की पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार दिल्ली में एक नागरिक पूर्ति निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उक्त उद्देश्य सुपर बाजार की स्थापना से पूरा नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो सुपर बाजार को और अधिक अधिकार क्यों नहीं दे दिये जाते जिससे कि वह जनता की अधिक कुशलता से सेवा कर सके और उपभोक्ता सन्तुष्ट हो सकें ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), (ख) व (ग) दिल्ली प्रशासन का वसूली और वितरण के लिए एक खाद्य तथा नागरिक पूर्ति निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार इस प्रस्ताव पर राज्य खाद्य तथा नागरिक पूर्ति निगम की तुलना में सहकारी समितियों की भूमिका संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांतों और वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में पूंजी निवेश

2328. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय निर्माता संघ के अध्यक्ष द्वारा 4 फरवरी, 1978 को कलकत्ता में हुई उसकी तिमाही बैठक में की गई इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि गत दो दशकों में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में बहुत कम अथवा कोई पूंजी निवेश नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। सरकार ने इस संबंध में प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के आंकड़ों से, जैसाकि केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के चार्यचालन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (खण्ड 1) से देखने में आएगा, पता चलेगा कि यह कथन सही नहीं है।

Conditions and Scale of Pay of Managers of various categories under ITDC

2329. **Shri Ramanand Tiwari :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Managers of various categories (T. L. Managers and C.T.S. Voyage) under India Tourism Development Corporation at present, separately ;

(b) the terms and conditions and scales of pay of the Managers of each category; and

(c) the reasons for disparity, if any, the scales of pay of these categories keeping in view the length of service and qualifications and the steps taken or proposed to be taken to remove it ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a), (b) and (c) ITDC presently, has 14 Travellers' Lodges and there are 16 posts of Managers of Travellers' Lodges including 2 leave reserve posts. The scale-wise break-up of these posts is given below :

Scale	No. of posts
Rs. 700–1300	4
Rs. 500–900	3
Rs. 390–780	9
	16

Initially the Travellers' Lodges and Restaurants were set up by the Department of Tourism and their Management was transferred to the ITDC in 1967. Subsequently these establishments were purchased by ITDC with effect from 1-1-1969. The staff engaged by department of Toursim on these establishments were also transferred to ITDC.

Originally all the Managers of Travellers' Lodges were in the scale of Rs. 210–425. To provide promotional avenues to the Managers, five posts were up-graded from the scale of Rs. 210–425 to Rs. 325–575 in December, 1970. A six-month's-in-service training programme was organised for the Managers of Travellers' Lodges to provide promotional avenues to them. They were given this training in batches on the basis of seniority. Out of the first batch of five Managers which completed its training in December, 1973, three were promoted to the higher scale. The old pay scales were subsequantly revised with effect from 1-1-1973. Out of the next batch of five Managers three were promoted to the scale of Rs. 500-900 in September, 1975. From March, 1977 five more posts of Managers have been up graded from the pay scale of Rs. 390–780 to Rs. 500–900.

As part of efforts to induct professionalisation in managing Hotels, Motels, Travellers Lodges the Corporation is operating a Junior Executive Training Scheme. Under this scheme diploma holders in Hotel Management are provided two years' theoretical-cum-practical training. On completion of their training, they are posted according to operational requirements as Assistant Managers in Hotels, Motels or as Managers of Travellers Lodges in the grade of Rs. 700–1300.

Out of the 4 Managers in the scale of Rs. 700-1300, three are from the Central Training Scheme (now called Junior Executive Training Scheme) and remaining one has been promoted from the scale of Rs. 500-900. These assignments are intended to provide independent managerial experience to the Hotel Executive before they are given regular postings as Assistant Managers in larger catering establishments.

The terms and conditions of service including provision of accommodation, contributory provident fund, gratuity, group insurance, medical reimbursement, uniform, leave travel concession etc. are the same for all the Managers of Trvellers Lodges. Dearness allowance varies according to the scales of pay and place of posting.

The Wage Review Committee which has been appointed by the Government to go into the question of wage structure of non-officer employees of the Corporation will, it is expected, also go into the question of appropriate scale of pay for the Managers of Travellers' Lodges.

Expenditure incurred on purchase of English and Hindi Books

2330. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the total number of books in the library of his Ministry/Department and the language-wise number thereof;

(b) the expenditure incurred on the purchase of English and Hindi books separately for the library during the last two years;

(c) the names of the newspapers and magazines subscribed for the library at present and the names of the Hindi newspapers and magazines therein; and

(d) whether any scheme has been formulated to increase the number of Hindi books, newspapers and magazines in the library, if so, details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Information is appended at Annexure '**A**'.

(b) Information is appended at Annexure 'B'.

(c) Information is appended at Annexure 'C'.

(d) Due to acute shortage of accommodation in the Ministry (main) no scheme for putting up a Library has been formulated. Civil Aviation Department are purchasing Hindi books and periodicals worth Rs. 2,000/- every year.

[*Placed in Library.* See *No. L.T. 1769/78*]

Director General of Observatories is making efforts to procure books and magazines in Hindi. Scientific books and journals in Hindi, particularly on Meteorology and allied subjects are not available in the market.

The Expenditure on the purchase of Hindi books/periodicals in the Department of Tourism is on the increase. The Department has purchased a number of Dictionaries in English-Hindi, Hindi-English. Besides, each officer in Department of Tourism will be provided with a copy of Karyalaya Sahayika, brought out by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad.

ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड में 'डमी' बीमा-एजेंसियां

2331. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरिन्टल फायर एंड जनरल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड में कुछ प्रबंधकों द्वारा सर्वश्री पी०एम० भाटिया, आर०एम० भाटिया, जी० एम० भाटिया तथा डी०वी० कपूर के नामों में कुछ "डमी" बीमा एजेंसियां चलाई जा रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनको जो कमीशन दिया गया वह एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा और हवाई अड्डों जिनके रख-रखाव पर खर्च तथा अन्य खर्चों को राजकोष वहन करता है पर स्थित कंपनी के बीमा-काऊंटरों से प्राप्त की गई विभिन्न तरह की बीमा-पालिसियों के विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो कलेण्डर वर्ष 1975 तथा 1976 के दौरान देश भर में इन एजेंटों को कुल कितनी राशि का कमीशन दिया गया ; और

(घ) इस धोखाधड़ी के अन्तगर्त उन लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो सरकारी उपक्रमों के काम को बीमा एजेंसियों के रूप में कर रहे हैं और एजेंसी कमीशन प्राप्त कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सर्वश्री पी०एम० भाटिया, आर०एम० भाटिया, जी०एम० भाटिया और डी०वी० कपूर काफी समय से इस कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी एजेंसियां डमी एजेंसियां नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : इन एजेंटों को अन्य कारबार के साथ-साथ, उड़ान बीमा कूपनों, अल्पावधिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, हवाई कम्पनियों की चिकित्सा और अस्पताल भर्ती बीमा सम्बन्धी योजनाओं और लाइसेंस हानि बीमा के कारबार के लिए कमीशन अदा किया गया है । उक्त किस्म के बीमे के लिए 1975 और 1976 के दौरान इनमें से प्रत्येक एजेंट को अदा किये गए कमीशन की कुल रकम इस प्रकार है :—

नाम	कमीशन	
	1975	1976
पी० एम० भाटिया	59,416	62,527
आर० एम० भाटिया	18,839	11,594
जी० एम० भाटिया	31,708	34,964
डी० वी० कपूर	2,898	3,788

चूंकि हवाई कम्पनियों ने स्वयं बीमा योजनाएं शुरु कर दी हैं, इसलिए चिकित्सा और अस्पताल भर्ती बीमा की योजनाओं से सम्बन्धित कारबार समाप्त कर दिया गया है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

भारत-बंगला देश सीमा पर तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही

2332. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : यद्यपि सरकार को मिली रिपोर्टों से भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी में किसी वृद्धि का संकेत नहीं मिलता है, फिर भी स्थिति पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये गये हैं । इन उपायों में निवारक और गुप्त-सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, कर्मचारियों की प्रभावी रूप से तैनाती करना, तस्करी के लिए सुगम क्षेत्रों की गस्त लगाना और सीमा पर अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता बरतना शामिल है ।

Operation of Bogus Finance Companies

2333. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the "Dainik Jagran" a newspaper of Kanpur dated the 9th February, 1978 to the effect that bogus finance companies are operating on large scale in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Government have noted the news item referred to by the Hon'ble Member.

(b) The news item alleges that the Managing Director of Saving Finance Company, Patna, having several branches in India, has been arrested by the police. It also alleges that the company has accepted deposits from the public amounting to several lakhs and that complaints have been lodged with the police against the head of the company about serious irregularities and cheating and that the depositors have become anxious about getting back their subscriptions.

केरल के मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया सुझाव

2334. **श्री के० ए० राजन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को एक सुझाव दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि को पूरा करने के लिए राज्यों को मंजूर किये गये ऋणों जैसे अनुत्पादक ऋणों को अनुदानों में बदला जाये ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं संबन्धी व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय निधि बनायी जाये ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) तथा (ख) केरल के मुख्य मंत्री से इन मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, केरल सरकार ने यह बताया है कि उन्होंने इन मुद्दों को सातवें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए अपने ज्ञापन में शामिल कर लिया है ।

(ग) सातवें वित्त आयोग से अपेक्षा की गई है कि वह दैवी विपत्तियों से प्रभावित राज्यों द्वारा राहत संबन्धी व्यय के संबंध में धन जुटाने के बारे में नीति और व्यवस्था की समीक्षा करे और विद्यमान व्यवस्था में यथोचित संशोधन सुझाए । जब आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाएंगी तो भारत सरकार द्वारा उनकी जांच की जाएगी ।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमह के लिये पर्यटन को बढ़ावा

2335. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आन्तरिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना बनाई गई हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, ; और

(ख) क्या अंदमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास करने के लिए जहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने की भारी क्षमता है, कोई कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अंतर्देशीय पर्यटन की अभिवृद्धि के कार्य को दूसरी पंचवर्षीय योजना से लगातार हाथ में लिया गया है । पूर्ववर्ती तथा वर्तमान योजनावधियों में, या तो केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा, अथवा केन्द्रीय तथा राज्यीय पर्यटन विभागों द्वारा संयुक्त रूप से, आधे-आधे व्यय को वहन करने के आधार पर कई पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों, कैफेटीरियों, पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण किया गया। अगली पंचवर्षीय योजना (1978-83) के दौरान निधियां उपलब्ध होने की स्थिति में वर्तमान धर्मशालाओं/सरायों के सुधार/विस्तार तथा अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य-मुख्य पर्यटक मार्गों के साथ-साथ पर्यटक ग्राम काम्प्लेक्सों के विकास को आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(ख) अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में अंतराष्ट्रीय पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों तथा इसके परिवेष के बहुत अधिक भंगुर होने के कारण, अंदमान द्वीप में केन्द्रीय क्षेत्र में अब तक कोई पर्यटन विकास कार्य आरम्भ नहीं किया गया है । तथापि, द्वीप के प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर में कुछ आवास की व्यवस्था की है तथा सरकारी क्षेत्र में एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है । द्वीप के प्रशासन का पोर्ट ब्लेयर में सेलूलर जेल के प्रवेश ब्लाक को एक युवा होस्टल किस्म के आवास में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव है । इस मामले में कोई निर्णय लेने के लिए द्वीप के प्रशासन से इस प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। द्वीप के प्रशासन की अगली पंचवर्षीय योजना (1978-83) के दौरान लौंचों/कोचों की खरीद करने तथा पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आवास का निर्माण करने की भी योजनाएं हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से विमानचालकों की विशेष भर्ती

2336. डॉ० भगवान दास राठौर :

श्री आर० एल० कुरील :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से विमान चालकों की विशेष भर्ती के लिये व्यवस्था की थी,

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए,

(ग) कितने प्रार्थियों को इंटरव्यू के लिये बुलाया गया,

(घ) क्या आरक्षित सभी रिक्त पद भर दिये गये हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें कमी के क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) साठ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ग) ग्यारह पात्र उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) तीन रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए तथा दो रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गयी थीं। इनके लिए, केवल अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवार अपेक्षित स्तर के आए थे और उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया । शेष रिक्तियों--एक अनुसूचित जाति के लिए तथा दो अनुसूचित जनजाति के लिए--को नहीं भरा जा सका।

विमान चालकों के लिए (जिनमें आरक्षित रिक्तियां भी सम्मिलित हैं) आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए एक नया विज्ञापन 22 अक्तूबर, 1977 को जारी किया गया था। भर्ती करने पर अभी कार्यवाही की जा रही है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण सुधारने के लिये योजना

2337. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्यकरण को सुधारने के लिये एक योजना बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन उपक्रमों के कार्यकरण का कोई सामयिक सर्वेक्षण किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) हालांकि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है, किन्तु सरकार उनके कार्यों को समुन्नत बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है । इसी सिलसिले में सरकार ने कार्य निष्पादन संबन्धी समीक्षा और नियंत्रण के लिए समुचित प्रबन्ध सूचना प्रणाली चालू की है । इन समीक्षाओं के आधार पर यथावश्यक समुचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है । सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाकर, क्षमता के उपयोग, कारगर लागत नियंत्रण, औद्योगिक संबन्धों एवं विपणन व्यवस्था को बेहतर बनाकर उनके कार्यकरण को समुन्नत बनाने के लिए खास तौर से प्रयत्नशील है ।

Land under Opium Cultivation in Uttar Pradesh,

2338. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to bring additional land under opium cultivation in Uttar Pradesh;

(b) if so, the total acreage of land brought under this scheme in 1977-78 and the total production achieved thereby; and

(c) the target fixed therefor for 1978-79 ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) and (b) The area licensed for opium poppy cultivation in the State of Uttar Pradesh during the current crop season 1977-78 is 19,558 hectares as against 16,575 hectares during the previous crop season, 1976-77. The information regarding quantity of opium produced during the current poppy season is not available as the poppy crop is still to be fully harvested.

(c) The area to be brought under opium poppy cultivation during the next crop season i.e. 1978-79, will be considered at the time of framing licensing policy sometimes the months of July-August, 1978.

उद्योगों में गैर-सरकारी पूंजी निवेश की दर

2339. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों में गैर-सरकारी पूंजी निवेश की दर सरकार द्वारा उनको दी गई छूटों की तुलना में कम है और उद्योगों ने उक्त छूटों का उपयोग केवल सरकार से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया है; और

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश की गति को तेज करने और उद्योगों को पहले ही दी गई छूटों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये और क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) गैर-सरकारी उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के उपाय काफी सोच समझ कर किए जाते हैं लेकिन इतने थोड़े अर्से में उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक निवेश में वृद्धि हुई है।

(ख) उभरती हुई स्थिति को देखते हुए, 1978-79 के बजट में कुछ अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। ये उपाय हैं : कराधान योग्य आय के परिकलन में नई औद्योगिक कम्पनियों के सामान्य शेयरों में लगाई गई पूंजी के 50 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती जब परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम को फिर से नई भारतीय औद्योगिक कम्पनियों की सामान्य शेयर पूंजी में लगा दिया जाए तो उस पर पूंजी लाभ कर से छूट ; तथा बैंकों के द्वारा अर्जित ब्याज पर से कर की समाप्ति। अंतिम उपाय के साथ-साथ ब्याज दरों के ढांचे में भी समुचित समायोजन किया गया है जिसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। चूंकि इस समय आर्थिक स्थिति अनुकूल है, सरकार को आशा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र भी उन प्रोत्साहनों से जिनकी व्यवस्था की गई है, फायदा उठाएगा।

मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड कानपुर को दी गई अग्रिम राशि और ऋण संबंधी सुविधाओं के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निष्कर्ष

2340. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **वित्त** मंत्री पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन द्वारा बड़ी कम्पनियों को दी गई धनराशि के बारे में 23 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4936 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री टी० आर० तुली, द्वारा मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर को दी गई अग्रिम राशि और ऋण संबन्धी सुविधाओं के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ख) दी गई इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किस प्रतिभूति पर ये सुविधायें उपलब्ध कराई गई थीं ;

(घ) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड पर इस समय कितनी राशि बकाया है ;

(ङ) इस बकाया राशि को किस तरीके से वसूल किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(च) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निष्कर्षों के प्रति सरकार की अन्तिम प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 1 अगस्त, 1975 से 31 जुलाई, 1977 तक की अवधि में, जब श्री टी० आर० तुली पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक थे, बैंक द्वारा स्वदेशी काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर को कुछ सुविधाएं दी गई

थीं। इस संबन्ध में कम्पनी द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के बाद ये सुविधाएं मंजूर की गई थीं।

(ख), (ग) और (घ) बैंकरों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसरण में बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से संबन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ङ) पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि 20-10-1977 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कम्पनी के कानपुर एकक का रिसीवर नियुक्त कर दिया था क्योंकि कम्पनी राज्य सरकार की कुछ देयताएं अदा नहीं कर सकी थी। 5-12-1977 को फैक्टरी में हिंसा की घटनाएं हुई थी, तब से फैक्टरी की तालाबंदी चल रही है।

पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से इस एकक को चालू हालत में लाने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(च) 1974 से कम्पनी वित्तीय संकट में चल रही है और पंजाब नेशनल बैंक कम्पनी के खाते को मदद करने का प्रयत्न करता रहा है।

एयर इंडिया के विमानों को बरास्ता अमृतसर लन्दन को उड़ान

2341. **डा० बलदेव प्रकाश :**

श्री भगत राम :

श्री जी० एस० तोहरा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के मुख्य मंत्री से कोई पत्र मिला है कि एयर इंडिया के विमानों की लन्दन को उड़ानों को बरास्ता अमृतसर किया जायें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच हो रही है और सूचना लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Rate of interest of Fixed Deposits

2342. **Shri Jagdish Prasad Mathur :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the fixed deposits of one year or less period in the banks have been affected because of lowering of rate of interest thereon recently; and

(b) whether the rate of interest charged by the banks has been increased and whether Government propose to increase the rate of interest on deposits to encourage savings?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The changes in the rates of interest on deposits effected on June 1, 1977 were aimed at encouraging mobilisation of saving of a medium and long term character. The rates have again been revised with effect from

March 1, 1978 with a view to encouraging a larger flow of private savings into the capita market and bringing about a more even spread in deposit rates as between short, medium and long-term deposits. Data have not, however, yet become available to assess the impact of these changes.

(b) No, Sir.

सीमाशुल्क गोदामों में पड़े पकड़े हुए माल के निपटान की प्रक्रिया

2343. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री गंगा भक्त सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क गोदामों में 43 करोड़ रुपये का पकड़ा हुआ माल पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त पकड़े गये माल के निपटान के बारे में किसी प्रक्रिया पर विचार किया है ; और

(ग) पकड़े गये माल का मद-वार ब्यौरा और मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ग) पकड़े गये और जब्तशुदा माल की दिसम्बर, 1977 में सीमाशुल्क गोदामों में पड़ा स्टाक लगभग 46 करोड़ रुपये मूल्य का बताया गया है और मूल्य सहित मद-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) पकड़े गये और जब्तशुदा माल, जिसका ब्यौरा अनुबंध 2 में है, विद्यमान कार्यविधि के अनुसार किया जा रहा है । अन्य सभी वस्तुओं के निपटान के तरीके पर सरकार फिलहाल विचार कर रही है । परन्तु इन वस्तुओं की बिक्री सैनिक कैंटीनों को किये जाने की अनुमति दी जाती है ।

विवरण 1

लोक सभा में 10 मार्च, 1978 के पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 2343 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

जिन्स	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
(क) टैक्सटाइल्स	5.34
(ख) घड़ियां	4.13
(ग) सोना	10.46
(घ) चांदी	3.25
(ङ) हीरे	1.21
(च) रत्न और उपरत्न	1.80
(छ) शराब	0.50
(ज) विकिरण और धातु सूत	1.70
(झ) इलक्ट्रोनिकी सामान	
(1) टेलीविजन	0.09
(2) गणित्र	0.89
(3) टेप रिकार्डर	0.11
(ञ) अन्य सामान (जैसे व्यापारिक सामान, जलयान, गाड़ियां आदि)	17.86

विवरण 2

लोक सभा में 10 मार्च 1978 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 2343 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) सोना और चांदी ;

(ख) मुद्रा (भारतीय और विदेशी) ;

(ग) व्यापारिक सामान ;

(घ) जलयान और वाहन ;

(ङ) हीरों से भिन्न रत्न और उपरत्न ;

(च) बंदूकें, पिस्तोलें आदि और गोला बारुद ;

(छ) प्राचीन वस्तुएं ;

(ज) भारतीय मूल की वस्तुएं ;

(झ) जब्त किये गये असबाब में छोटी-छोटी मात्रा में पकड़ी गयी (सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय-4क और धारा 123 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न) तरह-तरह की वस्तुएं।

भारत में विदेशी मुद्रा पर ब्याज की दर

2344. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1978 को भारत में भारतीय और विदेशी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा की कुल राशि कितनी है ;

(ख) विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा पर दी गई ब्याज की दर क्या है ;

(ग) क्या ब्याज की दर में कोई अन्तर है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है जिससे भारत में भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा रखी जाये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) मौजूदा विनियमों के अन्तर्गत भारतीय तथा विदेशी सभी बैंक अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पास न्यूनतम कार्य-चालन राशि रख सकते हैं और उन्हें अपनी सामान्य आवश्यकताओं से अधिक रकम, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करवानी होती है। इस प्रकार देश की विदेशी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा होती है, जो 1 फरवरी, 1978 को 3959.3 करोड़ रुपये की थी। रिजर्व बैंक द्वारा विदेशों में रखी इन प्रारक्षित निधियों पर 31 दिसम्बर, 1977, को समाप्त होने वाली छमाही में ब्याज के रूप में 141.04 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। ब्याज की यह दर औसतन 6.10 प्रतिशत बैठती है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि को भारतीय बैंकों में जमा कराने के संबंध में कोई कदम उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

स्वर्णकारों और लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की संख्या

2345. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमाणपत्रित स्वर्णकारों तथा लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1976 के दौरान व्यापारियों ने कुल कितनी बिक्री की ; और

(ग) सरकार ने उन प्रमाणपत्रित स्वर्णकारों के संबन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी है जो ग्राहकों के आर्डरों पर स्टैन्डर्ड सोने की सीमा से अधिक का जेवर बना कर बेचते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 31 दिसम्बर, 1976 को देश भर में 2,39,456 प्रमाणित स्वर्णकार तथा 9,984 लाइसेंस शुदा स्वर्ण-व्यापारी थे । राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं ।

(ख) वर्ष 1976 के दौरान लाइसेंस शुदा स्वर्ण-व्यापारियों द्वारा कुल 74,992 किलोग्राम सोने का कारोबार किया गया ।

(ग) ऐसे प्रमाणित स्वर्णकारों को, जो आभूषण बनाने और बेचने की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, यह आवश्यक है कि इस प्रयोजन के लिए उनके पास निश्चित परिसर हो और वे इस संबन्ध में विहित लेखा रखें ।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल०टी० 1770/78]

अहमदाबाद में सिविल हवाई अड्डे पर धावनपथ को मजबूत बनाना

2346. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल०सी०एन० (लोड क्लासिफिकेशन नम्बर) में वृद्धि करने के लिये अहमदाबाद में सिविल हवाई अड्डे पर धावनपथ को शीघ्र मजबूत बनाने का है जिससे कि बड़े टाइप के विमान (जैसे जम्बो, डी०सी० 10 आदि) जिनमें विशालकाय विमान भी शामिल हैं, भविष्य में अहमदाबाद पर उतर सकें और वहां से उड़ान भर सकें,

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तथा कैसे किया जायेगा, और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) निधियों के उपलब्ध होने की स्थिति में सरकार का पंचवर्षीय योजना अवधि (1978–83) के दौरान अहमदाबाद हवाई अड्डे को एयरबस तथा बोइंग 707 जैसे जेट विमानों के नियमित परिचालनों के लिये उपयुक्त बनाने के लिए इसके रन-वे को एल०सी०एन०–60 तक मजबूत करने का प्रस्ताव है । यह मजबूत करने का कार्यक्रम डी०सी०–10 तथा बोइंग 747 जम्बो जेट जैसे बड़े बॉडी वाले विमानों के यदा-कदा परिचालनों की भी आवश्यकता पूर्ति करेगा । प्रस्तावित कार्य में लगभग 85 लाख रुपये की लागत आ जाने की संभावना है ।

तस्करों की सम्पत्तियां जब्त करना

2347. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये तथा कितने तस्करों की सम्पत्तियां जब्त की गई :

(ख) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान कितनी कीमत का तस्करी माल पकड़ा गया; और

(ग) तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार तस्करी में प्राप्त होने के कारण जिन व्यक्तियों को वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान गिरफ्तार किया गया उनकी संख्या क्रमशः 2997, 3042 और 1841 थी। वर्ष 1977 के दौरान तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन 227 व्यक्तियों की सम्पत्ति समपहरण के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त अधिनियम 1976 में अधिनियमित किया गया था और 1975 तथा 1976 में सम्पत्तियों के समपहरण के कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे।

(ख) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान पकड़े गये तस्करी के माल का अनुमानित मूल्य क्रमशः 45.29 करोड़ रुपये, 36.02 करोड़ रुपये और 29.94 करोड़ रुपये था।

(ग) सरकार ने निवारक आसूचना और प्रवर्त्तन तंत्र को सुदृढ़ किया है और तस्करी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त आर्थिक उपाय भी किये हैं।

पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न के आयात संबंधी घोटाला

2348. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** :

डा० रामजी सिंह :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1978 के साप्ताहिक "बिलट्ज" में पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात संबन्धी घोटाले की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा एवं उस पर सरकार की प्रक्रिया क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78 की आयात निर्यात नीति में आरम्भ में यह व्यवस्था थी कि जिन वस्तुओं, सिले-सिलाये परिधानों आदि के तैयार करने में संश्लिष्ट फिलामेंट धागा इस्तेमाल होता है, उनके पंजीकृत निर्यातकों को प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिये जायें ताकि वे अन्य चीजों के साथ-साथ पोलिस्टर फिलामेंट धागे का आयात कर सकें। यह व्यवस्था उच्च इकाई मूल्य योजना के स्थान पर की गई, जो पहले चल रही थी और साथ ही पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति में दी गई शापिंग सूची समाप्त कर दी गई।

2. 1977 के मध्य में इस चीज की मांग बढ़ने से बाजार कीमतें बढ़ने लगीं और 18 अगस्त, 1977 को वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री द्वारा की गई बैठक में भारतीय काटन मिल्स फैडरेशन के अध्यक्ष ने प्रचलित उच्च बाजार कीमतों की ओर ध्यान दिलाया। तदनुसार 22 अगस्त, 1977 को पंजीकृत निर्यातकों की नीति उदार बना दी गई और ऊपर बताये गये उत्पादों के निर्यातों के साथ इस चीज के आयात का जोड़ा जाना समाप्त कर दिया गया। इससे निर्यात सदन और साथ ही इन उत्पादों के विनिर्माता इस चीज का सीधे आयात करने में समर्थ हो गये।

3. तथापि, सरकार को ऐसे अभ्यावेदन भेजे गये कि उदारीकरण की इस नीति से अत्यधिक आयात होने के कारण इस माल के स्वदेशी विनिर्माताओं के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार इसके लिये भी उत्सुक थी कि बड़ौदा में पैट्रोफिल्प नामक जो नया संयंत्र सहकारी क्षेत्र में शीघ्र ही

उत्पादन आरम्भ करने वाला है, उसके हितों की रक्षा हो। परिणामस्वरूप, 2 सितम्बर, 1977 की नीति में परिवर्तन किया गया जिससे इस माल के वास्तविक प्रयोक्ता, चाहे वे बड़े पैमाने के हों या छोटे पैमाने के हों या मिल क्षेत्र के हों या विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के हों, राज्य व्यापार निगम की मार्फत अपनी आवश्यकतानुसार माल प्राप्त कर सकें और साथ ही इस माल को निर्यात के साथ जोड़कर आयात करने की जो नीति 22 अगस्त, 1977 के पहले थी, उसे पुनः लागू कर दिया गया। ऐसा मांग और पूर्ति के बीच बेहतर सन्तुलन लाने के लिये किया गया। राज्य व्यापार निगम को हिदायत दी गई कि वह इस माल के अविलम्ब आयात की व्यवस्था करे और उसके द्वारा बेचे जाने वाले आयातित माल की कीमत 75 डेनियर वाली किस्म के लिये, जिसकी मांग सबसे अधिक है, 120 रु० प्रति किलोग्राम निश्चित कर दी गई और अन्य डेनियर वाली किस्मों के लिये उनसे मेल खाती हुई कीमतें तय की गईं।

4. इस प्रकार से अपनाये गये नीति संबन्धी इन उपायों के परिणामस्वरूप 75 डेनियर वाले माल की बाजार कीमत, जो 22 अगस्त, 1977 को आरम्भ होने वाले सप्ताह तक बढ़कर 192 रु० प्रति किलोग्राम हो गई थी, जब कि मार्च 1977 में उसकी कीमत 124 रु० प्रति किलोग्राम थी, गिरनी आरम्भ हो गई और उसके बाद घट गई।

5. मैं० फैंसी कारपोरेशन ने, जो कुछ समय तक निर्यात सदन के रूप में काम करता रहा था और जिसे फरवरी 1973 और जुलाई, 1975 में दो बार प्रत्येक अवसर पर विशेषरूप से लागू किये गये कुछ निर्यात दायित्वों के अध्यधीन, पोलिस्टर फिलामेंट यार्न का आयात करने की अनुमति दी गई थी, सरकार से अनुरोध किया कि चालू लाइसेंस अवधि में पहले जैसा ही विचार किया जाये। जिन दो अन्य पार्टियों ने इसी प्रकार के अनुरोध किये थे और जो मै० फैंसी कारपोरेशन की भांति उसी प्रकार के प्रतिपूर्ति लाइसेंस लाभ पाने के हकदार थे उनके नाम हैं: मै० रिलायन्स टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज और मै० वादीलाल इम्बाइड़ी यूनिट। पहले वाली पार्टी 1976-77 की लाइसेंस अवधि में ही निर्यात सदन बनी, जब कि दूसरी पार्टी ने मै० फैंसी कारपोरेशन की तरह कुछ वर्षों तक उस स्थिति में काम किया। इन तीनों पार्टियों ने अपने अन्तरित लाइसेंसों के आधार पर, कुल जितना माल मंगाने का प्रयत्न किया उसका मूल्य लगभग 1.73 करोड़ रु० है। 22 अगस्त, 1977 की सार्वजनिक सूचना सं० 62/77 के जरिए वे अपने अनुरोधों के आधार पर केवल रिलीज आर्डर पाने के पात्र बने। इन आर्डरों को आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार मार्गीकरण अभिकरणों को देना पड़ा।

6. तथापि, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इस संबन्ध में पूरी जानकारी बरती गई है कि कोई व्यक्ति अनुचित लाभ न कमा सके और वास्तविक प्रयोक्ता राज्य व्यापार निगम की मार्फत उचित कीमतों पर अपनी आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में माल प्राप्त कर सकें।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर उसे अन्तरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाना

2349. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांड :**

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर उसे अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिये जाने के बारे में हाल ही में ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवश्यकता पूर्ति कर रहा है। इंडियन एयरलाइन्स त्रिवेन्द्रम से माले तथा कोलम्बो के लिये दो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालित कर रही है। 31-1-1978 से एयर इंडिया ने भी त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए सीधी उड़ानें चालू कर दी हैं। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर "कस्टम्स", "हैल्थ" तथा "इम्मीग्रेशन" की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार की पंचवर्षीय योजना (1978--83) में इस हवाई अड्डे को नियमित बोइंग 707 तथा एयरबस परिचालनों के लिये उपयुक्त बनाने के लिए इसका विकास करने की योजना है।

विदेशी व्यापार के और मदों का गैर सरकारी माध्यमों से आयात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव

2350. **श्री प्रद्युम्न बल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी व्यापार के और मदों का गैर-सरकारी माध्यमों से आयात करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) 1978-79 के लिए आयात नीति, जिसमें मार्गीकरण की नीति शामिल है, तैयार की जा रही है और इस अवस्था में उसका कोई ब्यौरा देना जन हित में नहीं होगा।

Cases of Hijacking of Planes

2351. **Shri Amarsinh V. Rathawa** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of hijacking cases in India from March, 1977 to date;

(b) the report of enquiry conducted in respect of each cases ;

(c) the number of Indian aeroplanes hijacked in the foreign countries;

(d) the reasons therefor and the report of the enquiry conducted in this regard; and

(e) the steps taken by Government to check such incidents ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a) There has been only one case of hijacking in India. A Japan Airlines DC-8 aircraft was hijacked after taking off from Bombay airport on the 28th September, 1977.

(b) The matter is still under investigation.

(c) None.

(d) Does not arise.

(e) While it would not be in public interest to disclose specific steps taken and other details, existing measures to guard against hijacking/sabotage, such as control of access points to operational areas, frisking of persons, searching of hand baggage, care regarding stamping of boarding cards as well as adequate guarding of perimeters, have been tightened up.

पाकिस्तान को चाय की तस्करी

2352. **श्री भगत राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब और राजस्थान की सीमा क्षेत्रों से पाकिस्तान को चाय की तस्करी बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है। फिर भी, स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है । सीमा-शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क हैं और चाय चोरी-छिपे पाकिस्तान ले जाने के किसी भी प्रयास को विफल करने के उन्हें अनुदेश दिये गये हैं।

तीस बड़े उद्योग-गृहों से आय-कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही

2354. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री तीस बड़े उद्योग-गृहों की ओर आयकर की बकाया राशि के बारे में 9 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बहुत बड़ी देय राशियों को वसूल करने के लिए अग्रेतर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

खाड़ी के देशों में बसे केरल के लोगों द्वारा विदेशी मुद्रा भेजा जाना

2355. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो या तो खाड़ी के देशों में बस गये हैं या वहां कार्य कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा भेजी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में बसे या काम कर रहे व्यक्तियों का राज्यवार रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

(ख) विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा अपनी आमदनी में से स्वदेश भेजी गयी विदेशी मुद्रा के विश्वसनीय राज्य-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पूर्वी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधियों की ओर से विद्युत संयंत्रों के आयात शुल्क से मुक्त रूप में आयात के लिए अनुरोध

2356. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में व्यापक रूप से बिजली की कम सप्लाई के कारण उद्योगों तथा सरकार को क्रमशः उत्पादन तथा राजस्व की काफी हानि हो रही है, और यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उद्योगों के प्रतिनिधियों ने आयात शुल्क से छूट प्राप्त विद्युत एकक संयंत्रों के आयात की अनुमति देने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) क्या उन्होंने उद्योग द्वारा विद्युत एकक एकत्रित किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए ईंधन और संयंत्रों पर कर समाप्त करने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित उद्योगों से जनवरी-दिसम्बर 1977 में, पिछले वर्ष के इसी अवधि के मुकाबले, वसूल हुए राजस्व में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात पर रोक

2357. **श्री अघन सिंह ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे पारम्परिक वस्तुएं कौन सी हैं जिसके निर्यात पर जब से सरकार केन्द्र में सत्ता पर आई है तब से या तो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है या रोक लगा दी गई है;

(ख) उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप आय में कितने रुपये की हानि हुई है; और

(ग) सरकार के केन्द्र में सत्ता में आने के बाद किन नई वस्तुओं का निर्यात आरम्भ किया गया है और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक ऐसे निर्यात से कितने रुपए की आय होगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) तथा (ख) : चालू वर्ष के दौरान जिन प्रमुख परम्परागत मदों का निर्यात प्रतिबन्धित अथवा रोक दिया गया है, उनमें ये शामिल हैं : हाथ से छंटी तथा चुनी मूंगफली, खाद्य तेल, प्याज, आलू, ताजी सब्जियां, हल्दी, चीनी, चावल और दालें ।

वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक के अद्यतन आँकड़ों के आधार पर इन मदों के संयुक्त निर्यात अप्रैल-जुलाई, 1977 के दौरान 25 करोड़ रु० के हुए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 162 करोड़ रुपए के हुए थे । चाय तथा मूंगफली निस्सारण जैसी महत्वपूर्ण मदों के मामले में परिमाण संबंधी उच्चतम सीमा का भी अधिक प्रभावी रूप से पालन किया गया था ।

(ग) हमारे व्यापार में उभरने वाली इस प्रकार की नई मदों को विशेष रूप से अभिज्ञात करना व्यवहार्य नहीं है । उत्पाद समूह के अन्तर्गत निर्यात मदों में गुणात्मक परिवर्तन व्यापार वर्गीकरण में नहीं दर्शाये जाते ।

ITDC Travellers Lodges

2359. **Shri Raj Keshar Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the places in the country where India Tourism Development Corporation is running travellers lodges indicating the number of travellers lodges being run by it;

(b) the loss and profit in respect of these lodges during the last year; and

(c) if any of these lodges is running in loss, the reasons therefor and the steps being taken to make them profit earning ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b) ITDC is presently running 14 Travellers' Lodges. A statement is laid on the table of the Sabha giving information regarding their places of location and profit/loss during the last year (1976-77).

(c) The Travellers, Lodges were established by the Government of India for promoting/developing tourism in the country. They provide comfortable tourist facilities at moderate rates. Due to their uneconomic size and location in remote places they are incurring losses. However, losses have been reduced from Rs.7.28 lakhs in 1974-75 to Rs.3.16 lakhs during 1976-77. Efforts are being made to improve their profitability by intensive marketing and sales promotion-cum-publicity efforts, tighter budgetary controls, periodical-cum-surprise inspections etc.

In addition, attractive tourist packages with Travellers' Lodges as essential links are being worked out to promote their sales. With a view to enable catering to group bookings and package tours, suitable provision has been included in the Sixth Five-Year Plan of the Corporation on account of expansion of Travellers' Lodges at Madurai, Bodhgaya, Kushinagar, Sanchi, Konark, Kulu, Manali etc.

Statement

Sl. No.	Unit	State	Profit/Loss during 1976-77
			(Rupees in lakhs)
1.	Bharatpur	Rajasthan	(—)0.44
2.	Bhubaneshwar	Orissa	(+)1.12
3.	Bijapur	Karnataka	(—)0.30
4.	Bodhgaya	Bihar	(+)0.10
5.	Kancheepuram	Tamil Nadu	(—)0.42
6.	Konark	Orissa	(—)0.27
7.	Kulu	Himachal Pradesh	(—)0.62
8.	Kushinagar	Uttar Pradesh	(—)0.34
9.	Madurai	Tamil Nadu	(+)0.47
10.	Manali	Himachal Pradesh	(—)0.51
11.	Mandu	Madhya Pradesh	(—)0.38
12.	Sanchi	Madhya Pradesh	(—)0.82
13.	Thanjavur	Tamil Nadu	(—)0.31
14.	Tiruchirapalli	Tamil Nadu	(—)0.44
		TOTAL	(—)3.16

Expenditure on Foreign Tours of Central Ministers

2360. **Shri Ram Dhari Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the tours of Central Ministers abroad during the period from 1st April, 1977 to 31st January, 1978 in each case; and

(b) the expenditure incurred on the tours during the corresponding period in 1976-77 of the then Ministers ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel): (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

सीमा-शुल्क कार्यालय, कलकत्ता में पड़े तस्करी के माल के हस्तान्तरण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध

2361. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में सीमाशुल्क कार्यालय में बहुमूल्य चिकित्सा उपकरणों सहित दीर्घकाल से पड़े हुए 43 करोड़ रुपए मूल्य के तस्करी के सामान को पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तान्तरित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस अनुरोध पर विचार करेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या राज्य सरकारों के ऐसे अनुरोध स्वीकार करने का कोई पूर्वोदहारण है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ग) और (ङ) सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है कि उन्हें 43 करोड़ रुपये मूल्य का जब्तशुदा माल दिया जाये । लेकिन, विगत में पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमाशुल्क विभाग के पास पड़े जब्तशुदा माल के स्टाक से टेप रिकार्डर और कैमरे जैसी मदें समय-समय पर खरीदी थीं । मेघालय और त्रिपुरा सरकारों से भी कैमरे और टेपरिकार्डर जैसी चुनिंदा मदों की खरीद के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए थे । लेकिन, इन मामलों में बिक्री नहीं हो पाई। सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, किसी अन्य राज्य सरकार ने सीमाशुल्क विभाग से जब्तशुदा माल की खरीद के बारे में इसी प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

तिलहन निगम

2362. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वनस्पति सहित तिलहनों तथा खाद्य तेलों के आयोजन, उत्पादन, आयात, वसूली और वितरण का समन्वय करने हेतु एक तिलहन निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस व्यापार उद्योग में प्राइवेट व्यापारियों के भ्रष्ट प्रभाव को ध्यान में रखा है;

(ग) क्या प्रस्तावित निगम के कार्य में खाद्य तेलों के उत्पादन और परिष्करण को भी शामिल किया जाएगा ; और

(घ) क्या पर्याप्त आधारभूत संरचना, जिसके द्वारा निगम परिचालित होगी, बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया है और फील्ड लेवल आपरेशन हेतु कोई निश्चित तथा ठोस योजना बनाई गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) खाद्य तेलों और तिलहनों के लिए एक राष्ट्रस्तरीय निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

निर्यात निरीक्षण परिषद् में सहायक निदेशकों के पद

2363. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात निरीक्षण परिषद् में सहायक निदेशकों के पदों के लिए नई नियुक्तियाँ की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी नियुक्तियों के क्या कारण हैं जबकि अर्हता प्राप्त कर्मचारी वहाँ पहले से ही नीचे वेतनमान में कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ऐसी नई नियुक्तियों से निर्यात निरीक्षण परिषद् में नीचे वेतन-मान में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए एकमात्र अवसर भी समाप्त हो जाता है; और

(घ) निर्यात निरीक्षण परिषद् के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हाँ।

(ख) निर्यात निरीक्षण अभिकरण के भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों में से सहायक निदेशकों के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने की व्यवस्था है, बशर्ते कि उनमें उस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं हों और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनका चयन किया जाये। भर्ती नियमों के अनुसार शेष 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

(ग) तथा (घ) जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्यात निरीक्षण परिषद् में सहायक निदेशकों की भर्ती के लिए 50 प्रतिशत का एक निर्धारित पदोन्नति कोटा है। जो विभागीय उम्मीदवार इस बारे में निर्धारित अर्हताएं/अनुभव रखते हों, उन्हें बाहर के उम्मीदवारों के साथ खुली प्रतियोगिता करने की अनुमति भी दी जाती है और बाहर के उम्मीदवारों के कोटे के अन्तर्गत भर्ती होने का मौका दिया जाता है। भर्ती नियमों में सहायक निदेशकों से ऊपर के पदों, जैसे उप-निदेशकों, उप-मुख्य कार्यपालकों तथा संयुक्त निदेशकों के लिए 100 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं में निर्यात निरीक्षण परिषद् के कर्मचारियों के वैध हित सुरक्षित हैं और उनके लिए समुचित पदोन्नति अवसर भी सुनिश्चित हैं।

शिलांग के निकट बड़ापानी हवाई अड्डे का निर्माण

2364. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग के निकट बड़ापानी हवाई अड्डे का निर्माण हो गया है, और

(ख) अब तक इस पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) बड़ापानी विमानक्षेत्र का निर्माण कार्य, जिसमें रन-वे, एप्रन, टैक्सी पथ, तकनीकी तथा आवासीय भवन सम्मिलित हैं, पूरा हो चुका है। टर्मीनल भवन के अप्रैल, 1978 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) निर्माण कार्यों की सभी मदों पर अभी तक 126.02 लाख रुपए का कुल व्यय हो चुका है।

Burning of One Thousand Currency Note by an Artisan of Diamond Industry in Surat

2365. **Shri M.A. Hannan Alhaj :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an artisan of diamond industry in Surat made a cigarette of a one thousand rupee currency note and smoked it before a Government officer; and

(b) if so, whether the burning of currency notes is legal and if not, the reasons for not taking any action by Government against this artisan ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) The attention of the Government has been drawn to a Press report to this effect.

(b) High denomination bank notes ceased to be legal tender after the promulgation of ihe High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Ordinance 1978 on 16th January, 1978. No penal provision of the Ordnance is attracted if any such note is burnt by its owner or possessor. As these acts do not constitute an offence under the provisions of the Ordinance no action lies against such persons.

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विमान चालक तथा विमान परिचारिकाएं

2366. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स में विमानचालकों तथा विमान परिचारिकाओं की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विमानचालक और परिचारिकायें कितनी हैं, और

(ख) इन संगठनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा करने के लिए विभाग ने क्या प्रयास किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ग	एयर इंडिया			इंडियन एयरलाइन्स		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति
विमानचालक	257	—	—	365	6	1
विमान परिचारिकाएं	611*	127	44	397	57	32

*17 यूरोपीयन और 14 जापानी विमान परिचारिकाओं सहित

(ख) एयर इंडिया सभी प्रमुख समाचार पत्रों में केवलमात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की परिचारिकाओं के चयन के लिये अलग से विज्ञापन जारी करते हैं। रिक्तियों को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को तथा सारे देश में स्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संगठनों को भी अधिसूचित किया जाता है। एकमात्र विमानचालकों के पद के लिए भी अलग से विज्ञापन जारी किया जाता है। तथापि निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रखने वाले किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इंडियन एयरलाइन्स में विमानचालकों के वर्ग में पिछली चली आ रही 3 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती कार्यवाही की जा रही है। विमान परिचारिकाओं के वर्ग में केवल अनुसूचित जाति के लिये 0.7 प्रतिशत पिछली रिक्तियाँ हैं तथा इस कमी को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Payment of Income-Tax by Film Artists

2367. **Shri S. S. Das** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of film artiste of Bombay, Madras, Calcutta and of other States of the country against whom arrears of income-tax are due together with the amount due; and

(b) the steps being taken by Government to realise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) and (b) The requisite information is not readily available. Its collection in respect of all film artists who may be in arrears of income-tax will involve considerable time and labour. The information is, therefore, being collected in respect of the film artists against whom income-tax demands exceeding Rs. 10,000/- were outstanding as on 28-2-78. The information will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Exchange of High Denomination Currency notes on 16th to 18th February, 1978

*2368. **Shri Bharat Bhushan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether instances have come to Government's notice that some demonetised currency notes of one thousand, five thousand and ten thousand notes were exchanged on 16th, 17th and 18th February in the neighbouring countries where it is easy to convert Indian currency; and

(b) If so, how this happened ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) Government has no such information.

(b) Does not arise.

यूनाइटिड कमर्शियल बैंक के चैयरमैन द्वारा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

2369. **श्री मदन लाल शुक्ल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1973 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन ने मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस एण्ड कम्पनी के कुछ लेखापरीक्षकों की सीनयिर ग्रेड में साँविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है जबकि वे लेखा-परीक्षा फर्म में प्राप्त करने वाले वेतन से कहीं अधिक वेतन पर बैंक में लेखा-परीक्षा कर रहे थे; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उनका नाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एम० एम० पटेल) : (क) और (ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचित किया है कि 1970-74 वर्षों के बैंक के साँविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स प्राइस वाटर हाउस पीट एण्ड कम्पनी में कार्यरत श्री एस० एन० घोष से, बैंक के विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त आवेदनपत्र तथा उक्त पद के साक्षात्कार में उन्हें मिले रैंक के आधार पर उन्हें वरिष्ठ चार्टर्ड लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री एस० एन० घोष सहित चुने गये प्रथम तीन उम्मीदवार के अनुभव तथा उनके पूर्व नियोजकों से उन्हें मिलने वाले वेतन के आधार पर बैंक द्वारा उन्हें अपेक्षया ऊंचे प्रारम्भिक वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।

राजनैतिक दलों को कर की अदायगी से छूट

2370. **श्री जी० एस० तोहरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पूंजी निवेश तथा दान से होने वाली आय पर राजनैतिक दलों को धनकर से छूट देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में संगत ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) तथा (ख) सरकार, निम्नलिखित व्यवस्था करने की दृष्टि से विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है :—

(i) राजनीतिक दलों द्वारा (चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों में) किये गये अपने पूंजी निवेशों से प्राप्त होने वाली आय और गैर-सदस्यों से उन्हें प्राप्त होने वाले दान के रूप में आय के सम्बन्ध में भी आय-कर से छूट;

(ii) उनके द्वारा धारित परिसम्पत्तियों के मूल्य के सम्बन्ध में धन-कर से छूट ।

आय-कर से यह प्रस्तावित छूट तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक राजनीतिक दल उपयुक्त लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखता और किसी चार्टर्ड लेखाकार अथवा अर्हताप्राप्त अन्य लेखाकार से अपने वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा नहीं कराता । आय-कर तथा धन-कर से यह छूट केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के मामले में दी जाएगी, जो चुनाव चिन्ह (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के अन्तर्गत भारत के चुनाव आयोग के पास पंजीकृत होंगे ।

बदरीनाथ, केदारनाथ तथा उत्तर काशी जाने वाले पर्यटकों के लिए सुविधायें

2372. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में बदरीनाथ, केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है;

(ख) क्या इन स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों के लिये मार्गों पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) फिलहाल नहीं । गढ़वाल क्षेत्र में भविष्य में पर्यटन सुविधाओं का विकास केन्द्रीय तथा राज्यीय क्षेत्रों में पर्यटन योजना (1978—83) के लिये उपलब्ध करायी गयी निधियों की मात्रा पर निर्भर करेगा ।

Small Savings Scheme

2373. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the suggestions received on the meeting of 3rd December, 1977 by him (the Minister) and by the Central Small Savings Advisory Board in regard to making the small savings scheme more rational and co-ordinating this scheme with the savings schemes of the nationalised banks;

(b) whether suggestions have also been received in regard to introducing Bearer security or Bearer security bond small savings scheme and to do away with the difference between the rates of interest on individual deposits and organisational deposits; and

(c) the reaction of Government for rationalising this small savings scheme ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) The more important suggestions received in this regard include : throwing open taxable small savings instruments for institutional investments; payment of interest at more frequent intervals than annually; enhancement of the monetary limits for holding of tax-free certificates by individuals; setting up of a National Savings Bank for offering better customer service.

As agreed to at the meeting of the Board, an expert group is being set up to make a comparative study of the schemes of the National Savings Organisation and of the commercial banks and to recommend changes, if any, that may be necessary in the former.

(b) Yes Sir. The Board, after discussion, agreed not to press the suggestion regarding introduction of Bearer security or Bearer security bond. As regards the difference between the rates of interest on individual deposits and organisational deposits, it was decided that the matter should be examined by a Committee.

(c) The small savings schemes are constantly kept under review and suitable modifications to the extent found necessary are made from time to time.

Advancing of Loans by the Chairman, United Commercial Bank

2374. **Shri Madhav Prasad Tripathi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the period from 23rd November, 1972 to 28th March, 1973 of United Commercial Bank has been stated to be a period of bungling during which the Chairman, United Commercial Bank had advanced an amount of about rupees one hundred crore to certain concerns, in contravention of the rules and that the amount has sunk;

(b) whether it is a fact that the Chairman of the said United Commercial Bank incurred an infructuous expenditure by purchasing furniture worth rupees two crore seventy one lakh in one year as is indicated by the balance-sheet for 1976; and

(c) whether Government propose to conduct an enquiry into the aforesaid complaints and the bungling in United Commercial Bank so as to check corruption in such nationalised banks ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) According to the United Commercial Bank, the bank's total outstanding advances in India between the last week of November, 1972 and of March, 1973 showed an increase of only about Rs. 25 crores which was in keeping with the normal trend including seasonal factors. In sanctioning advances by officers at various levels in the bank, including the Chairman, the usual norms were observed and there was no contravention of rules or guidelines.

(b) As per the balance-sheet published by the bank as on 31st December, 1976, the expenditure under the head furniture and fixtures (including equipment and vehicles) has been shown at Rs. 1.46 crores during that year. This mostly relates to purchase of security equipment (including safe deposit lockers, equipment for currency chests), typewriters, accounting machines, furniture and fixtures etc. Such expenditure was incurred not only on account of opening new branches and establishment of currency chests but also for replacement of obsolete items. According to a scrutiny conducted by the Reserve Bank, there is nothing to establish that the Bank had incurred any expenses on this score which were unwarranted or were unduly on the high side.

(c) Does not arise.

डालरों तथा पौंडों के मूल्य में ह्रास के कारण भारत के पास जमा विदेशी मुद्रा में हानि

2375. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास जमा चार हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा डालर और पौण्डों में है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पोण्डों और डालरों की कीमत में गिरावट और ह्रास के कारण होने वाली हानि को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) डालरों और पोण्डों में जमा विदेशी मुद्रा राशि में भारत को प्रति वर्ष कुल कितनी राशि की क्षति हुई है; और

(घ) क्या हानि की मात्रा 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अथवा उससे भी अधिक है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत के पास विदेशी मुद्रा भिन्न-भिन्न विदेशी करेंसियों में होती है जिनमें अमेरिकी डालर और पौण्ड स्टर्लिंग भी शामिल हैं, 3 मार्च, 1978 को यह मुद्रा 4136.5 करोड़ रुपए की थी ।

(ख), (ग) और (घ) : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में से निवेश करते समय, रिजर्व बैंक धन की सुरक्षा, उसकी सुलभता और उससे होने वाली आय का ध्यान रखता है । फिर भी, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में जब विश्व की मुख्य करेंसियों को अपना सममूल्य तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया हो, इन करेंसियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव होना अनिवार्य है । अतः इन करेंसियों के अनुरूप रुपए की विनिमय दर भी घटती-बढ़ती रहती है, और तदनुसार देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के रुपया मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है । चूंकि यह जरूरी नहीं है कि विभिन्न विदेशी करेंसियों के मूल्य में थोड़े समय के अन्दर एक ही दिशा में घट-बढ़ होती रहे, इसलिए हमारी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि के मूल्य में हानि होने की बात कहना ठीक नहीं है ।

उत्तर बिहार में सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा के लिये विमान सेवाएं

2376. श्री बी० पी० मंडल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के तीन स्थानों अर्थात सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा में से किसी भी स्थान को इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं से जोड़ने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) क्योंकि कारपोरेशन के विमान-बेड़े के सभी विमान वर्तमान समयावलि के अनुसार पूर्ण रूप से सेवा रत हैं, अतः इन शहरों के लिए विमान सेवाओं की व्यवस्था करना फिलहाल संभव नहीं होगा ।

100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण

2377. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि वाले बैंकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और उनमें कितनी-कितनी धनराशि जमा है और इनमें से कितने बैंकों का अभी राष्ट्रीयकरण किया जाना है;

(ग) क्या जनहित में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 100 करोड़ रुपये या अधिक की जमा राशि वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि, बैंकिंग प्रणाली की कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत है। 1969 से 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से गैर राष्ट्रीयकृत बैंक भी मोटे तौर से, सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन कर रहे हैं।

विवरण

100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि वाले बैंकों के नाम	30-12-77 तक की गई जमा राशि
सरकारी क्षेत्र वाले बैंक	(करोड़ों में)
1. भारतीय स्टेट बैंक	4866.01
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1461.56*
3. पंजाब नेशनल बैंक	1307.23
4. बैंक आफ इंडिया	1278.39*
5. बैंक आफ बड़ौदा	1138.84*
6. कनारा बैंक	989.97*
7. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	801.30
8. सिंडिकेट बैंक	738.92*
9. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	732.05*
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	726.18*
11. इंडियन ओवरसीज बैंक	566 16
12. इंडियन बैंक	563.74*
13. देना बैंक	467.80*
14. बैंक आफ महाराष्ट्र	419.24*
15. इलाहाबाद बैंक	401.73*
16. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	197.90
17. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	192.70*
18. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	183.97*
19. स्टेट बैंक आफ पटियाला	179.45
20. स्टेट बैंक आफ मैसूर	166.33
21. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	119.15*
गैर सरकारी बैंक	
1. आन्ध्र बैंक लि०	288.48
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि०	262.49
3. विजया बैंक लि०	246.65
4. न्यू बैंक आफ इंडिया लि०	240.00*
5. कार्पोरेशन बैंक लि०	125.68
6. आरिएन्टल बैंक आफ कामर्स लि०	116.21
7. ग्रिन्डलेज बैंक लि०	425.51
8. चार्टर्ड बैंक	143.84*
9. मर्कन्टाइल बैंक लि०	102.15

केन्द्रीय कर न्यायालय की स्थापना

2378. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर तथा तत्सम्बन्धी मामलों, जिन पर अब देश के उच्च न्यायालयों द्वार विचार किया जाता है, पर विचार करने हेतु केन्द्रीय कर न्यायालय तथा उसकी क्षेत्रीय शाखायें खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती ने भी कोई सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क), (ख) तथा (ग) प्रत्यक्ष-कर कानून समिति (चोकेशी समिति) ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया है कि आय-कर अधिनियम तथा अन्य केन्द्रीय कर कानूनों के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों को देखने के लिए सरकार को एक केन्द्रीय कर न्यायालय की स्थापना पर विचार करना चाहिए । लेकिन समिति ने कहा है कि उसका इरादा अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस मामले पर और अधिक विस्तार से विचार करने का है ।

पहली फरवरी 1978 के 'इकनामिक टाइम्स' में छपे एक समाचार से यह प्रतीत होता है कि नागपुर में आल इण्डिया फेडरेशन आफ टेक्स प्रेकिटशनर्स के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्‌घाटन करते समय न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती ने भी आय-कर के सन्दर्भों तथा उससे सम्बन्धित मामलों को देखने के लिए एक केन्द्रीय-कर-न्यायालय स्थापित करने का सुझाव दिया है ।

सरकार, चोकशी समिति की अंतिम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार करेगी ।

Tax Concessions to Sick Industries

2379. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend concessions to sick industries in the matter of various taxes;

(b) if so, the sector to which these industries belong to textile, sugar and jute;

(c) the main reasons for granting concessions or exemptions in taxes; and

(d) whether Government have examined all the factors responsible for rendering the industry sick ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) No, Sir.

(b), (c) and (d) Does not arise.

जम्मू और कश्मीर में पूंजी निवेश सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता

2380. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में वन जैसे विकास के नये स्रोत खोलने के लिए व्यापक स्तर पर पूंजी निवेश सर्वेक्षण कराने के लिए 'कामनवैल्थ सेक्रेटेरियट' और वी० यू० एन० डी० पी० जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भूतपूर्व सैनिकों की एयर पोर्ट आफिसरों के रूप में भर्ती

2381. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने वर्ष 1975 और 1976 में एयरपोर्ट आफिसर भर्ती करने के लिये चयन किये गये उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों के लिये चयन किये गये उम्मीदवारों की ब्यौरेवार सूची सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या चयन किये गये इन उम्मीदवारों में अनेक उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक ग्रुप के थे ;

(घ) चयन किये गये उम्मीदवारों में सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न अंगों के ऐसे भूतपूर्व सैनिकों का ब्यौरा क्या है और इन उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनको नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं और उनको तत्काल रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां । एयर पोर्ट अधिकारियों के पदों को भरने के लिये भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक पेनल 1-12-75 को खुले चयन के आधार पर तथा दूसरा पेनल 2-11-76 को विभागीय पदोन्नति के लिये बनाया था ।

(ख) और (ग) : प्राधिकरण द्वारा बनाये गये दोनों पेनलों की विस्तृत सूची संलग्न है (अनुबंध I तथा II) दोनों पेनलों को मिलाकर उनमें 10 भूतपूर्व सैनिकों के नाम भी सम्मिलित थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या 1771/78]

(घ) दोनों पेनलों में सम्मिलित सभी 10 भूतपूर्व सैनिकों को एयर पोर्ट अधिकारियों के रूप में नियुक्त/पदोन्नत किया जा चुका है । इनमें से 5 थल सेना, 3 वायु सेना तथा 2 जल सेना के हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Delay in Delivery of Luggage to Air Passengers

2382. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passengers travelling by air have to wait for one to two hours for their luggage at the completion of their journey whereas their journey is of less than one and a half hours or one hour's duration and if so, any suggestion has been made to Government for immediate delivery of the luggage and for making good and easy arrangements therefor and if so, the details of the suggestions made; and

(b) whether there is any suggestion for allowing luggage to be carried up to 30 Kilogram as against 20 Kilogram ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir. The average time taken by Indian Airlines for delivery of luggage ranges from 15 to 30 minutes. However, with a view to reducing the time taken for delivery of luggage, necessary arrangements are being made at all busy airports.

(b) No, Sir.

Refreshment Canteens at Airports in Madhya Pradesh

2383. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of refreshment canteens and other sale counters at all the airports in Madhya Pradesh and the terms and conditions on which these are allotted;

(b) whether rent thereof has not been paid for the last many years, if so, the number of hotel proprietors and shopkeepers from whom rent has not been realised so far; and

(c) the revenue received on the hotels and other shops given on contracts at airports during the last three years, year-wise ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) There are six aerodromes in Madhya Pradesh where Indian Airlines are operating scheduled services. At present refreshment facilities are available at four aerodromes viz., Indore, Khajuraho, Gwalior and Bhopal. Catering licences have been granted by call of tenders, on the terms and conditions as specified below :—

Indore : Catering licence has been granted for a period of three years with effect from 1-6-1976 on payment of a licence fee @ Rs. 200 p.m. in addition to electric, water and other charges viz. local taxes etc. if any.

Khajuraho : Catering licence has been granted for a period of three years with effect from 1-8-1975 on payment of licence fee @ Rs. 225 p.m. in addition to electric, water and other charges viz., local taxes etc., if any.

Gwalior : Catering licence has been granted for a period of one year with effect from 1-4-1977 on payment of licence fee @ Rs. 75 p.m. plus 50% of profits on sale of cigarettes and tobacco in addition to electric, water and other charges viz., local taxes, if any.

Bhopal : Catering licence has been granted for a period of two years with effect from 1-7-1977 on payment of licence fee @ Rs. 788 p.m. in addition to electric, water and other local taxes, if any.

Raipur/Jabalpur : No catering facilities are available at these aerodromes.

(b) No Government dues are outstanding against the Caterers except the Caterer at Bhopal. He has not paid licence fee for the months of January and February, 1978 @ Rs. 788 p.m.

(c) Licence fee received on account of Airport Restaurants, Tea, Coffee shops/ counters from the Caterers during the last three years, year-wise is as under :—

	1975-76	1976-77	1977-78	Total
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Indore . .	1,440.00	2,240.00	2,200.00	5,880.00
Khajuraho . .	1,800.00	2,250.00	3,150.00	7,200.00
Gwalior . .	Nil	223.71	907.64	1,131.35
Bhopal . .	3,000.00	14,704.40	10,788.00	28,492.40
GRAND TOTAL	6,240.00	19,418.11	17,045.64	42,703.75

Harijans and Adivasis working in I.A.C.

2384. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the category-wise number of Harijans and Adivasis working in Indian Airlines at present and the category-wise number of those promoted during the last three years; and

(b) the category-wise number of posts lying vacant for Harijans and Adivasis at present and the prescribed quota for these persons lying unfilled in various posts and the action being taken to fill this quota ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the sabha.

सीमाशुल्क अधिकारियों के पास निकासी तथा अग्रप्रेषण एजेन्टों/कम्पनियों का पंजीकरण

2385. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पत्तनों और भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्य कर रहे माल निकासी तथा अग्रप्रेषण एजेन्टों के कार्यों को नियमित करने की क्या व्यवस्था है;

(ख) 1 जनवरी, 1978 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बड़े भारतीय बंदरगाहों पर सीमाशुल्क अधिकारियों के पास कितने निकासी और अग्रप्रेषण एजेन्ट/कम्पनियां पंजीकृत थीं तथा पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में क्रमशः उनकी संख्या क्या थी; और

(ग) 1 जनवरी, 1978 को इन बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क अधिकारियों के पास कितने विदेशी नियंत्रण स्वामित्व वाली अग्रप्रेषण और निकासी फर्में पंजीकृत थीं तथा पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में क्रमशः उनकी संख्या क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सी० शु० गृह एजेंटों के क्रियाकलाप, सी० शु० अधिनियम, 1962 की धारा 146 के अधीन बनाये गये सी० शु० गृह एजेन्ट अनुज्ञापन विनियम 1965 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किये जाते हैं । उक्त धारा के अन्तर्गत, सी० शु० गृह एजेंट के रूप में कारोबार, केवल लाइसंस में दी गयी शर्तों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार किया जा सकता है । उक्त विनियम के अन्तर्गत सी० शु० समाहर्ता को, कतिपय शर्तें पूरी करने पर, सी० शु० गृह एजेंटों को लाइसेंस मंजूर करने का अधिकार प्राप्त है । इन विनियमों में सी० शु० गृह एजेंटों के लिए कतिपय दायित्व निर्धारित हैं और कतिपय स्थितियों में लाइसेंस स्थगित करने अथवा रद्द करने की भी व्यवस्था है ।

(ख) पहली जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार और पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों और वायु पत्तनों के लिए विशाखापत्तनम और कोचीन पत्तनों के लिए; तथा दिल्ली और अमृतसर वायु पत्तनों के लिए जिन सी० शु० गृह एजेंटों को लाइसेंस दिये गये, उन की संख्या नीचे दी गयी है :—

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में	तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में	1 जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार
451	728	803

(ग) प्रश्न के इस भाग से सम्बन्धित सूचना, सीमाशुल्क रिकार्ड से तथा अन्य संगत रिकार्डों से, जिनमें विदेशी नियंत्रण का प्रतिशत अनुपात दिया हो, एकत्र की जानी होगी और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

पंजीकृत निर्यातकर्ताओं की संख्या

2386. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों के पास पंजीकृत निर्यातकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी और पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त (1956) में देश में निर्यातकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त (1966) में पंजीकृत निर्यातकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) 1 जनवरी, 1978 को और तीसरी पंचवर्षीय योजना (1966) के अन्त में कितनी पंजीकृत निर्यातकर्ता विदेशी फर्मे थी और कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम थे; और

(ग) पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में क्रमश: निर्यातकर्त्ताओं की संख्या में परिवर्तन के क्या कारण थे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं

2387. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रशिक्षण देने वाली सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं की संख्या कितनी थी और क्रमश: पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में उनकी संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1965-66 के दौरान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में कितने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और गत एक वर्ष के तत्सम्बंधी आंकड़े क्या थे ; और

(ग) वर्ष 1965-66 के दौरान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कितने बाजार अनुसंधान अध्ययन किये थे, उन पर कुल कितना व्यय हुआ और गत वर्ष के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान मई 1963 में स्थापित हुआ था और उसने फरवरी 1964 में कार्य शुरू किया । यह एकमात्र सरकारी संस्थान है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रशिक्षण दे रहा है । भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अतिरिक्त बहुत से विश्वविद्यालयों, प्रबन्ध संस्थानों आदि में भी ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विषय शामिल है । ऐसे संस्थानों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) 1965-66 के दौरान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें सरकार, व्यापार तथा उद्योग के 153 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 1976-77 में इस संस्थान ने 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये और उनके अलावा राज्य व्यापार निगम, खनिज व धातु व्यापार निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, बैंक प्रबन्धकों तथा रक्षा सेवाओं के कार्मिकों जैसे अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के लिए विशेष रूप से तैयार किये गए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया । इन कार्यक्रमों में सरकार, व्यापार तथा उद्योग के कुल 530 कार्मिकों ने भाग लिया ।

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 6 देशगत अध्ययन संचालित किए जिन पर 1965-66 में 9503.71 रु० व्यय हुए जबकि 1976-77 में 9 देशगत अध्ययन संचालित किए गए, जिन पर 41448.21 रु० व्यय हुए । इसके अतिरिक्त 1976-77 में 13 विदेश गवेषणा-अध्ययन भी संचालित किए गए, जिन पर 146,827.91 रु० व्यय हुए । इस प्रकार 1976-77 में गवेषणा अध्ययनों पर कुल 1,88,276.12 रु० व्यय हुए ।

समुद्र द्वारा निर्यात संवर्धन संबंधी स्थायी समिति

2388. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र अथवा 'स्कोप शिपिंग' द्वारा निर्यात संवर्धन संबंधी स्थायी समिति के कृत्य क्या हैं;

(ख) इस समिति की नियुक्ति कब और क्यों की गई थी तथा इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस समिति ने अब तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) 28-10-76 को वाणिज्य मंत्रालय ने नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से परामर्श करके नौवहन द्वारा निर्यात संवर्धन सम्बन्धी स्थायी समिति का गठन किया, जिस में सम्बन्धित मंत्रालयों तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ताकि जहाज़ी परिवहन द्वारा निर्यात माल की ढुलाई से सम्बन्धित विभिन्न नौवहन तथा पत्तन समस्याओं पर चर्चा की जा सके । स्कोप-शिपिंग के अध्यक्ष अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय हैं और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड, महानिदेशक नौवहन, राज्य व्यापार निगम, तीन भारतीय जहाज़ी कम्पनियों, चाय बोर्डों, पटसन आयुक्त, आल इंडिया शिपर्स कौंसिल, बम्बई, कोचीन, मद्रास तथा कलकत्ता स्थित पत्तन न्यासों, भारतीय निर्यातक संगठन फेडेशन, आफ कस्टम हाउस एजेन्ट्स एसोसिएशन, व्यापार विकास प्राधिकरण आदि के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं ।

इस स्थायी समिति का काम नौवहन सेवाओं की पर्याप्तता तथा नियमितता, जहाज़ी निर्यातों के लिए जहाज़ी स्थल की पर्याप्तता, प्रतियोगी तथा विभेद रहित भाड़ा दरों, प्रधान तथा गौण पत्तनों पर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की पर्याप्तता, अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन की पर्याप्तता, दस्तवेज़ों, कस्टम्स तथा अन्य क्रियाविधियों के सरलीकरण तथा कंटेनराइज़ेशन पटाइलेजेशन आदि जैसी प्रौद्योगिकी सम्बंधी नवीन प्रक्रियाएं लागू करने तथा उनका विस्तार किए जाने के सम्बन्ध में अध्ययन करना तथा उपयुक्त उपायों का सुझाव देना है ।

(ग) इस स्थायी समिति तथा बम्बई, कोचीन, मद्रास और कलकत्ता स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समुद्र परिवहन से सम्बन्धित विभिन्न हितों के लिए देश के निर्यात माल के बारे में नौवहन तथा पत्तन समस्याओं के व्यावहारिक हल निकालने के लिए बातचीत के अत्यंत उपयोगी मंचों की व्यवस्था की गई है

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तम्बाकू का निर्यात

2389. **श्री जी० एस० रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू का सम्पूर्ण निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने का उनका कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में पूर्व योरुपीय व्यापार संगठनों और गैर-सरकारी एजेंटों के बीच सीधे हुए ठेकों के अन्तर्गत पूर्व योरुपीय देशों को निर्यात करने के लिए इन एजेंटों के माध्यम से की जाने वाली तम्बाकू की खरीद को बंद करने का उनका कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान परिपाटी को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राज्य व्यापार निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के संगठन की मार्फत केवल पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यातों को मार्गीकृत करना भेदभाव पूर्ण होगा तथा उनके साथ किए गए व्यापार करार की शर्तों के अनुसार असंगत होगा ।

एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात फिर आरम्भ करना

2390. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात फिर आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य रूप से खाद्य तेलों के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1977-78 की फसल के आधार पर हाथ से चुनी तथा छटी मूंगफली के निर्यात की अनुमति न देने का विनिश्चय किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनियों और व्यक्तियों पर आयकर की बकाया राशि

2391. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कम्पनियों और व्यक्तियों पर 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है;

(ख) ऐसे प्रत्येक करदाताओं के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार ने गत नौ महीनों में उपरोक्त करदाताओं से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क), (ख) और (ग) : मांगी गई पूरी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।

सिले सिलाये वस्त्रों, हथकरघा के कपड़ों आदि के निर्यात लाभों पर कर छूट देने का प्रस्ताव

2392. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाये वस्त्रों, हथकरघा के कपड़ों आदि कुछ निर्यात वस्तुओं के मामले में निर्यात लाभ पर कर में छूट देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Loans to Big Industrial Houses against whom tax arrears are outstanding

2393. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether big industrial houses which have outstanding tax arrears for a long period are granted loans by Government, if so, the reasons therefor; and

(b) the names of the industrial houses who have outstanding loans to the extent of rupees one crore and whether Government propose to confiscate their assets ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Government do not directly grant any loans to big industrial houses.

(b) Does not arise.

धनबाद जिला (बिहार) से आयकर की वसूली

2394. **श्री ए० के० राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में कितने आयकरदाता हैं और पिछले तीन वर्षों से उनसे कितनी राशि वसूल की गई;

(ख) क्या यह सच है कि ठेकेदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों में से कुछ ही लोगों पर आयकर लागू किया गया है और कोयला क्षेत्र में अधिकांश आय को कालेधन में परिणत किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि धनबाद में आयकरदाताओं की संख्या से कार मालिकों की संख्या अधिक है जबकि आय कर लगने की सीमा से कम आय पर मोटरकार रखना असंभव होता है;

(घ) क्या यह सच है कि सभी आयकर अधिकारी धनबाद के बड़े-बड़े काले धन वाले व्यक्तियों के साथ सांठ-गांठ किये हुए हैं जिससे वे यह ढिलाई होने दे रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस जिले से आयकर का सही-सही निर्धारण करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) 31 जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार धनबाद जिले में आयकर निर्धारितियों की संख्या 13,344 है । इस जिले से पिछले तीन वर्षों में की गई आयकर की कुल उगाही निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	उगाही
	(लाख रु० में)
1974-75	311
1975-76	349
1976-77	411

(ख) वर्तमान कर-निर्धारितियों का आय के लेखा-बाह्य स्त्रोतों को मालूम करने और नये निर्धारितियों का भी, जिनमें ठेकेदार, व्यापारी आदि, शामिल है, पता लगाने का दृष्टि से सर्वेक्षण किया जा

रहा है । 1976-77 में, सर्वेक्षण के दौरान जिन नये मामलों का पता लगाया गया उनकी संख्या 1,483 है । जहां तक ठेकेदारों का सम्बन्ध है, उनको किये जाने वाले भुगतानों में से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ग के अनुसार कर की कटौती की जा रही है । 1976-77 में इस प्रकार से की गई कटौतियों की रकम 180 लाख रु० से अधिक थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विमुद्रिकृत नोटों के साथ नेपाल जाने वाले व्यक्ति

2395. **श्री रतिलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह लाया गया है कि 1000 रु०, 5000 रु० तथा 10,000 रु० के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा के पश्चात् बहुत से लोग भारी संख्या में उक्त नोटों के साथ नेपाल गए थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नेपाल में विभिन्न एजेंसियों ने भारत सरकार से भाग (क) में बताए कितने नोटों के बारे में दावा किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) सरकार को किन्हीं विशिष्ट मामलों की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया में संगणकों का लगाया जाना

2396. **श्री रोबिन सेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया और उसकी सहायक कम्पनियों में लिपिक कार्य के लिए संगणक और स्वचालित यंत्र लगाने की योजना को आगे बढ़ा रही है;

(ख) यदि राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी में संगणकों को लगाने की अनुमति दे दी गई, तो क्या इससे रोजगार के अवसर कम होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और कर्मचारियों की छंटनी भी होगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना को त्याग देने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने बीमा उद्योग की संगणक संबंधी आवश्यकताओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है । इस दल की रिपोर्ट मिल जाने के बाद इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा ।

पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, केरल के विरूद्ध केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क संबंधी मामले

2397. **श्री शरद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क विभाग ने पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, पुनालूर, केरल के विरुद्ध मशीनरी के आयात आदि में देश के कानूनों का उल्लंघन करने के बारे में कुछ बहुत गंभीर मामलों की खोजबीन प्रारम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी द्वारा आपात स्थिति के दौरान गम्भीर अपराध करने के बावजूद ये मामले समाप्त कर दिए गए और आगे खोजबीन नहीं की गई; और

(घ) अब इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) पुनालूर पेपर मिल्स लि० द्वारा 1972 में, कोचीन सीमाशुल्क गृह के माध्यम से कागज मिल मशीनों के आयात के चार मामलों के संबंध में, मूल्य की गलत घोषणा करने और आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण, सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा माल पर 7,00,000 रुपये का जुर्माना और फर्म पर 1.75 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया था । समाहर्ता के आदेशों के विरुद्ध, आयात-कर्ता द्वारा दायर की गई अपीलें, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के समक्ष निर्णय के लिए पड़ी हैं ।

इसके अतिरिक्त, 1971 में मद्रास सीमाशुल्क गृह के माध्यम से आयात की गयी प्रेस रोलरों और कुछ अन्य मदों की एक खेप आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के उपबंधों के उल्लंघन के कारण जब्त की गयी थी और 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था । अपीलीय प्राधिकारी ने, अपील में जुर्माने को घटाकर 3,500 रुपये कर दिया । मद्रास सीमाशुल्क गृह के माध्यम से 1976 में परिणामित्रों और प्रतिरोधकों के आयात के एक अन्य मामले में, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के उपबंधों के उल्लंघन के कारण माल को जब्त किया गया था और जब्ती के बदले 6,500 रुपये का जुर्माना किया गया था ।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में नियन्त्रणों की भूमिका के मूल्यांकन के लिये समिति

2398. **श्री उग्रसेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में नियन्त्रणों की भूमिका और भविष्य में उनमें सुधारों की आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निर्देश-पद क्या है; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक देगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) और (ख) जी, हां । समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. श्री वाडिलाल डगली	अध्यक्ष
2. श्री एरा सेज़ियन	सदस्य
3. श्री बगाराम तुलपुले	,,
4. श्री एल० सी० जैन	,,
5. श्री संजय सैन	,,

समिति में एक सदस्य सचिव होगा जिसकी नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी ।

2. समिति के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) यह जांच करना कि क्या मूल्यों पर नियंत्रण, उत्पादन, वितरण, लाइसेंस, और आयात संबंधी प्रणाली राष्ट्रीय आयोजन एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मार्गदर्शन के लिए एक कारगर साधन सिद्ध हुई है ?

(2) सभी प्रकार के नियंत्रणों के संचालन और प्रबंध से पहले क्या अनुभव हुआ है और क्या पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की वास्तव में प्राप्ति हुई है ?

(3) अर्थव्यवस्था के किन-किन क्षेत्रों में ये नियंत्रण सफल हुए हैं और इसलिए क्या उन्हें संशोधन करके अथवा बिना फेर बदल के जारी रखना जरूरी है ?

(4) किन-किन क्षेत्रों में नियंत्रण प्रभावहीन साबित हुए हैं अथवा अब उनकी आवश्यकता नहीं रही है और इसलिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए ?

(5) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में नियंत्रण की प्रणाली राजसहायता प्रणाली से किस प्रकार सम्बद्ध है ? क्या उस प्रकार की आर्थिक सहायता देना न्यायोचित है और क्या नियंत्रण प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करके राजसहायता प्रणाली को कम करना या समाप्त करना सम्भव है ?

(ग) समिति से छः मास के अन्दर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया है ।

द्वारका बेट का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

2399. **श्री विनोदभाई बी० शेठ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वारका बेट में बढ़िया समुद्र तट और एक प्रसिद्ध तीर्थ होने के नाते वहां की महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस स्थान का पर्यटन-स्थल के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : फिलहाल केन्द्रीय क्षेत्र में द्वारका बेट का एक पर्यटक विहार स्थल के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बम्बई/जामनगर/भुज मार्ग पर कारवेल या बोइंग विमान सेवा

2400. **श्री विनोदभाई बी० शेठ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई/जामनगर/भुज मार्ग पर वर्तमान एवरो विमान सेवा को कारवेल विमान सेवा में बदलने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कराधान विभाग द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में श्वेत पत्र

2401. **श्री विनोदभाई बी० शेठ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कराधान (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नीति की बात यह है कि सरकार श्वेत-पत्र तब जारी करती है जब सरकार राष्ट्रीय या सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर अपने विचार व्यक्त करना, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना, अपनी नीति की घोषणा करना आवश्यक समझती है और उनका प्रचार करना होता है ।

शाह जांच आयोग पहले ही ऐसे विशेष मामलों के जांच कर रहा है जिनमें राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों अथवा इस विभाग के अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों पर अधिकारों का अतिक्रमण करने के अथवा कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के उचित निर्वहण से भिन्न कारणों से प्रेरित होकर काम करने के आरोप लगाये गये हैं । कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं और निर्धारित कार्य विधि के अनुसार उनकी जांच की जा रही है ।

जामनगर/अहमदाबाद/दिल्ली विमान सेवा का शुरू किया जाना

2402. **श्री विनोदभाई बी० शेठ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जामनगर स्थित तीन रक्षा सेवा केन्द्रों के भारी यातायात, द्वारका बेट जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों और जामनगर जिले में बड़े उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए जामनगर/अहमदाबाद/दिल्ली विमान सेवा शुरू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उक्त विमान सेवा कब तक शुरू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। जामनगर तथा अहमदाबाद और जामनगर तथा दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बम्बई में दोनों दिशाओं में उसी दिन की सेवाएं (कनेक्शन) उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Import of Newsprint

2403. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the total quantity of newsprint imported and exported during the last two years; and

(b) the total amount of foreign exchange spent thereon ?

The Minister of State in the Ministey of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Imports and exports of Newsprint paper (Revised Indian Trade Classification Code No. 641.1)

Value in Rs. lakhs

Qty. in thousand Kgs.

Year	Imports		Exports	
	Qty.	Value	Qty.	Value
1	2	3	4	5
1975-76	100,785	38,32	..	..
1976-77	125,053	47,20	..	..

बिहार सरकार द्वारा अनुदानों का उपयोग .

2404. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार सरकार ने अनुदानों का शिथिलता से उपयोग किया और अब उसे समाप्त होने से बचाने के लिए तेजी से उसे खर्च कर रही है, जैसा कि 7 फरवरी, 1978 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' (दिल्ली संस्करण) में समाचार था;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि अवधि समाप्त होते होते दुर्लभ संसाधनों का फिजूल खर्च न किया जाए; और

(ग) क्या निगम को बड़ी राशि देना विशेष प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय अनुदानों से संबंधित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के अनुरूप 'खर्च करना' है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत सरकार ने 7 फरवरी, 1978 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट देखी है । बिहार राज्य के सिंचाई मंत्री ने 8 फरवरी, 1978 के प्रेस सम्मेलन में इस प्रेस रिपोर्ट का खण्डन किया है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने विश्वास दिलाया है कि विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं पर उत्तरोत्तर होने वाले व्यय की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और पहले से आवंटित की गई राशि के वास्तविक व्यय पर विचार करने के पश्चात् ही नई निधियों की मंजूरी दी जाती है और खर्च न की गई शेष राशि वापस कर दी जाती है । उन्होंने नियम निर्धारित किए हैं और कड़े अनुदेश भी जारी किए हैं कि अनुदानों को केवल इस कारण से ही नहीं लिया जाना चाहिए कि वे व्यपगत हो जाएंगे और यह कि नये अनुदानों को तभी मंजूर किया जाना चाहिए जब पिछले अनुदानों के इस्तेमाल किये जाने का उचित प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाए ।

इन योजनाओं का निष्पादन करने के लिए बजट में की गई व्यवस्था के अनुसार बिहार सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बिहार राज्य निर्माण निगम को सिंचाई विभाग की 43 योजनाओं को अन्तरित कर दिया गया है । निगम को निधि किश्तों में दी जा रही है तथा पिछली किश्तों से संबंधित किये गये वास्तविक व्यय तथा कार्य की प्रगति को देखकर ही नयी किश्तें जारी की जाती हैं ।

अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिये बिहार सरकार का प्रयास

2405. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के संबंध में बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सरकार की क्या टिप्पणी है जैसा कि 7 फरवरी, 1978 के टाइम्स आफ इण्डिया (दिल्ली) में छपा है;

(ख) सरकार ने दुर्लभ संसाधनों के उचित उपयोग के बारे में क्या प्रतिबंध लगाये हैं और बिहार राज्य सरकार ने अनुदान को उपयोग में लाने संबंधी नियमों का कितना उल्लंघन किया; और

(ग) सरकार ने इस घटना से क्या निष्कर्ष निकाले और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बिहार के सिंचाई मंत्री ने 8 फरवरी, 1978 को एक प्रेस सम्मेलन में 7 फरवरी, 1978 के टाइम्स आफ इण्डिया की प्रेस रिपोर्ट का विस्तारपूर्वक खण्डन किया है । राज्य सरकार ने बताया है कि विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं पर उत्तरोत्तर होने वाले व्यय की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और पहले से आवंटित की गई राशि के वास्तविक व्यय पर विचार करने के बाद ही नई निधियां मंजूर की जाती हैं । राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि उन्होंने नियम निर्धारित किये हैं और कड़े अनुदेश जारी किये हैं कि अनुदानों को केवल इस कारण से ही नहीं लिया जाना चाहिए कि वे व्यपगत हो जाएंगे और यह कि नये अनुदानों को तभी मंजूर किया जाना चाहिए जब पिछले अनुदानों के इस्तेमाल किए जाने का उचित प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाए । राज्य सरकारों के अनुसार उपर्युक्त नियमों और अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, संसाधनों के अपव्यय होने का कोई प्रश्न नहीं उठता । बिहार सरकार ने बताया है कि इन योजनाओं का निष्पादन करने के लिए बजट में की गई व्यवस्था के अनुसार बिहार सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बिहार राज्य निर्माण निगम को सिंचाई विभाग की 43 योजनाओं को अन्तरित कर दिया गया है । राज्य सरकार के अनुसार निगम को निधि किश्तों में दी जा रही है तथा पिछली किश्तों से संबंधित किये गये वास्तविक व्यय तथा कार्य की प्रगति को देखकर ही नई किश्तें जारी की जाती हैं ।

(ख) और (ग) प्रचलित कार्यविधि के अनुसार सभी राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा इस सहायता का संबंध विकास के किसी विशेष शीर्ष अथवा योजना से नहीं होता । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आयोजना के लिए प्राथमिकताएं बनी रहें, कुछेक शीर्षों तथा कुछ विशिष्ट योजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित कर दिया जाता है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता पूर्ण रूप से दी जाती है बशर्ते कि निर्धारित क्षेत्र अथवा योजना अथवा सभी कार्यक्रमों पर किया गया वास्तविक व्यय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आयोजना परिव्यय अथवा यथा संशोधित परिव्यय से कम नहीं होता हो । कमी होने के मामले में, केन्द्रीय सहायता में समानुपात्तिक कटौती की जाती है । राज्य सरकारों को केन्द्रीव सहायता उनके द्वारा बताये गये व्यय के आधार पर अस्थायी रूप से दी जाती है तथा राज्य के महालेखाकार द्वारा व्यय के संबंध में दिए गए लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है ।

दालों के मूल्यों में वृद्धि

2406. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार की दालों के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) यद्यपि पिछले एक वर्ष के दौरान दालों के मूल्यों में आमतौर पर लगातार वृद्धि का रूख रहा है, तथापि 10 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह से उनके मूल्यों में सामान्य कमी का रुख शुरू हुआ है। 10 दिसम्बर, 1977 तथा 4 फरवरी, 1978 को समाप्त सप्ताहों के बीच दालों के थोक मूल्य सूचकांक में 10.5% की कमी हुई है।

तथापि, बाद के दो सप्ताहों मे सूचकांक में 4.5% की वृद्धि हुई है। 10 दिसम्बर, 1977 की तुलना में 18 फरवरी, 1978 को समाप्त सप्ताह के सूचकांक चने, अरहर और मसूर के बारे में क्रमश: 4.8%, 9.0% तथा 17.3% कम थे। वर्ष के पूर्वार्ध में दालों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के कारण मुख्य रूप से 1976-77 में दालों के उत्पादन में उनके 1975-76 के उत्पादन की तुलना में लगभग 20 लाख मीटरी टन की कमी होना कहा जा सकता है।

(ग) दालों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर तथा उनकी उत्पादकता में सुधार करके इनका उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कपास, तिलहनों तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये भारत सरकार ने अप्रैल, 1977 में एक विशेष दल का गठन किया। इस दल ने दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपायों का सुझाव दिया। जिन अल्पकालीन उपायों का सुझाव दिया गया है वे इस प्रकार हैं :—उन्नत पद्धतियां अपनाना, जिसमें रिजोबीयम कल्चर, फास्फेट, उर्वरकों तथा पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग शामिल है। बहु फसल कार्यक्रमों के अन्तर्गत अल्पावधि किस्में उगाकर दालों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना तथा विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। दीर्घकालीन उपाय इन से संबंधित हैं—उन्नत किस्मों के बढ़िया बीजों का उत्पादन करना, फसल कटाई के बाद भण्डारण में होने वाली हानियों में कमी करना और समुचित मूल्य नीति, जिसमें विपणन व्यवस्था भी शामिल है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिये कार्रवाई आरम्भ कर दी है। भारत सरकार ने चने का समर्थन मूल्य 95 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विटल कर दिया है। इसकी घोषणा बुआई मौसम से पहले कर दी गई थी, ताकि किसानों को इस बात के लिये प्रेरित किया जा सके कि वे अधिक क्षेत्र में चना बोयें और उन्नत प्रौद्योगिकी (टैक्नालोजी) अपनायें।

खांडसारी उद्योग को उत्पादनशुल्क में राहत

2407. **श्री चित्त बसु : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक स्तर में नीचे काम कर रहे खाण्डसारी उद्योग के लिये उत्पाद-शुल्क में पर्याप्त राहत देने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) सरकार इस प्रश्न पर पहले ही विचार कर चुकी है और 4 फरवरी, 1978 से सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत खंडसारी पर उत्पादन शुल्क को 15% से घटाकर 7.5% करके राहत दी है । खंडसारी चीनी पर निश्चित शुल्क की साप्ताहिक दरें भी 8-2-78 को शुरू होने वाले सप्ताह से कम कर दी गयी हैं । सल्फीटेशन की मदद से अथवा मदद के बिना काम करने वाले खंडसारी निर्माताओं द्वारा देय दरें, जैसी वे 8-2-78 से पूर्व और उस तारीख से लागू थीं, नीचे दिये अनुसार हैं:—

सल्फीटेशन संयंत्र (सल्फर चीनी) की मदद से कार्य करने वाले कारखानों के लिये निश्चित लेवी की साप्ताहिक दरें :—

अपकेन्द्र का आकार

	ऊंचाई		व्यास		8-2-78 से पूर्व		8-2-78 से	
	से अधिक सें०मी०	से अनधिक सें०मी०	से अधिक सें०मी०	से अनधिक सें०मी०	मूल रु०	अतिरिक्त रु०	मूल रु०	अति-रिक्त रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	—	22.9	—	45.7	3770	630	1885	315
2.	22.9	30.5	45.7	61.0	5060	840	2530	420
3.	30.5	45.7	61.0	76.2	7370	1230	3685	615
4. अन्यथा अविनिर्दिष्ट					9770	1630	4885	815

सल्फीटेशन संयंत्र की मदद के बिना काम करने वाले कारखानों के लिये निश्चित लेवी की साप्ताहिक दरें ।

1.	—	22.9	—	45.7	2020	340	506	84
2.	22.9	30.5	45.7	61.0	2670	450	669	111
3.	30.5	45.7	61.0	76.2	3980	660	994	166
4. अन्यथा अविनिर्दिष्ट					5210	870	1303	217

पत्तनों पर जमा चीनी की मात्रा

2408. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न पत्तनों में गोदामों में बहुत बड़ी मात्रा में चीनी जमा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा जमा हुई है ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इसे बाजार में देने के लिये क्या कार्यवाही की है और ऐसा किस एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी हां। अप्रैल, दिसम्बर, 1977 की अवधि में राज्य व्यापार निगम के पत्तन गोदामों में लगभग 47,000 मे० टन चीनी उपलब्ध थी, जो अब घटकर लगभग 38,200 मे० टन रह गई है।

(ग) चीनी की यह मात्रा राज्य व्यापार निगम ने ईरान तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ की गई वचनबद्धतायें पूरी करने के लिये 1976-77 के दौरान खरीदी थी। परन्तु, बाद में ईरान ने भारत से चीनी लेने की अनिच्छा व्यक्त कर दी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लंदन स्थित नामित अधिकारी ने विनिश्चय किया है कि फरवरी-मार्च, 1978 में कोटे के अन्तर्गत चीनी की मात्रा उठा ली जाये। चूंकि सरकार ने विनिश्चय किया था कि किसी भी देश को चीनी का घाटे पर निर्यात न किया जाये, अतः पहले की खरीदी हुई चीनी राज्य व्यापार निगम के गोदामों में पड़ी रही।

(घ) दिसम्बर, 1977 में सरकार ने निर्णय किया कि राज्य व्यापार निगम के पास चीनी के स्टाक को घरेलू बाजार में बेचकर निपटाया जाना चाहिये तथा उसे घाटे पर निर्यात नहीं करना चाहिये। जनवरी-फरवरी, 1978 में उस निर्णय के अनुसार राज्य व्यापार निगम ने सहकारी समितियों तथा निजी व्यापार के जरिए घरेलू बाजार में 8800 मे०टन चीनी बेची। यूरोपीय आर्थिक समुदाय कोटा के अन्तर्गत ब्रिटेन को 24,000 मे०टन चीनी की मात्रा भी अब भेजी जा रही है।

बिहार में सरकारी कारखानों में किया गया पूंजी निवेश

2409. **डा० रामजी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1951 से केन्द्रीय सरकार ने सरकारी कारखानों में कुल कितना पूंजी निवेश किया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को दिये जा रहे अनुदानों की वार्षिक राशि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने बिहार में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 1951 से लेकर जो कुल पूंजी निवेश किया वह 31-3-1977 को 2509 करोड़ रुपये था।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को दी गई सांविधिक अनुदान-राशि 1977-78 के लिये 21.53 करोड़ रुपये तथा 1978-79 के लिये 20.93 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने राज्य की वार्षिक योजना 1977-78 के अन्तर्गत राज्य योजना संबंधी अन्य योजनाओं के लिये 123.19 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त केन्द्रीय अनुदान का 30% भाग सकल (ब्लाक) अनुदान के रूप में तथा शेष 70% सकल (ब्लाक) ऋण के रूप में दिया जायेगा।

शिवरामन समिति की सिफारिशें

2410. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्धुआ मजदूरी से मुक्त हुये लोगों को तत्काल उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिये उन निर्धन लोगों को ऋण की आवश्यकता का पता लगाने के लिये शिवरामन समिति नियुक्त की गई थी और क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो कब ;

(ख) समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार ने उन पर क्या कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समिति की सिफारिशों के बारे में कब तक निर्णय और क्रियान्वयन किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) ।

(क) '(ख), (ग) और' (घ) छोटे/सीमान्तिम किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों की उपभोग प्रयोजनों विषयक, ऋण आवश्यकताओं पर विचार करने के वास्ते, भारत सरकार ने 10 मार्च, 1976 को योजना आयोग के सदस्य श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में एक "उपभोग ऋण विषयक विशेषज्ञ समिति" की नियुक्ति की थी । इस समिति ने अप्रैल, 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

2. इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नीचे लिखी सिफारिशें भी कीं :—

(1) उन ग्रामीण समुदाय के अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों को जिनके पास 'शून्य' जोत है या 0.01 से 0.50 एकड़ तक जोत है, उत्पादन ऋण से भिन्न शुद्ध उपभोग ऋणों की आवश्यकता पड़ेगी । ग्रामीण जनसंख्या के इससे ऊपर के वर्ग को भी, अर्थात् जिसके पास 0.50 एकड़ जमीन से तो अधिक परन्तु 5 एकड़ तक जोत की भूमि है, उपभोग प्रयोजनों के लिये ऋणों की आवश्यकता होगी, परन्तु वह अपनी इन आवश्यकताओं को सामान्य उत्पादन ऋणों से पूरा कर लेगा । 'शून्य' जोत वाले और 'शून्य' से लेकर 0.50 एकड़ तक जोत वाले लोगों के समूहों के लिये समिति ने उपभोग ऋण प्रयोजनों के वास्ते निम्नलिखित उच्चतम सीमाओं की सिफारिश की है :—

ऋण की किस्म	ऋण की निर्धारित सीमा
(क) ऋणकर्त्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में चिकित्सा व्यय .	रुपये 250
(ख) स्कूल के लिये शिक्षा व्यय	100
(ग) विवाह के लिये व्यय	250
(घ) मृत्यु संस्कारों पर होने वाले तथा जन्मोत्सवों पर होने वाला व्यय . .	75
(ङ) उन धार्मिक संस्कारों के लिये व्यय जिनका जीवन से बहुत गहरा संबंध है और जिन्हें समाज के कुछ वर्गों द्वारा अपरिहार्य माना जाता है . . .	75

(2) 1976-77 के वित्तीय वर्ष के लिये इस समिति ने 'शून्य' जोत से 0.50 एकड़ तक जोत वाले ग्रामीण जनों की, उपभोग, ऋणों की कुल आवश्यकताएं 170 करोड़ रुपये आंकी ।

(3) समिति का मत था कि पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ग्रामीण जनता के लिये विभिन्न वर्गों की उपभोग ऋण व्यवस्था के कार्य को सम्भालने के लिये सर्वोत्तम अभिकरण होंगी ।

(4) 170 करोड़ रुपये में से पुनर्गठित सहकारी समितियों को केवल 70 करोड़ रुपये तक की ही उपभोग ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था।

(5) देश के बाकी बचे हुए (ग्रे) क्षेत्रों की उपभोग ऋण आवश्यकतायें जो कि शेष 100 करोड़ रुपये की थी, राज्य सरकारों के बजट साधनों से पूरी की जानी थी।

(6) जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों को अपने वन विभाग तथा अन्य संबंद्ध विभागों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिए।

8. इस समिति की सिफारिशों पर जून, 1976 में बंगलौर में हुए एक सम्मेलन में चर्चा की गयी और कुछ संशोधन सुझाए गए थे। सरकार ने सामान्यतः इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और निम्नलिखित कार्रवाई की गयी :—

(क) इन निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे बड़े जनजाति संख्या वाले क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में जहां बड़ी बहुप्रयोजनी समितियां तत्काल नहीं बनाई जा सकती, उचित मूल्य की दुकानें खोले।

(ग) 1976-77 के वित्तीय वर्ष की उपभोग ऋण आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित 170 करोड़ रुपये की राशि में से 115 करोड़ रुपये पुनर्गठित सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध किये जाने थे और शेष 55 करोड़ रुपये की राशि जो कि बाकी बचे हुए (ग्रे) क्षेत्रों के लिये थी, राज्य सरकारों के बजट साधनों से जुटायी जानी थी क्योंकि उस समय तक अधिकांश राज्य सरकारें अपने बजट पास कर चुकी थीं इसलिये विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं पर चर्चा करने और उनका मूल्यांकन करने के लिये केन्द्रीय दल भेजे गये। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को 17.05 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये जो कि दो वार्षिक किश्तों में वापस किये जाने थे।

योजना परिव्यय में सहकारी समितियों के विकास की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

2411. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए योजना-परिव्यय में सहकारी समितियों के निकाय की व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में मुख्य मंत्रियों के विचार जानने के लिए उनके पास भी ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), (ख) व (ग) राज्य सरकारों की हाल ही में परिचालित की गई आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बढ़ाने की योजना में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सहकारी समितियों के जाल का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सहकारी विकास के लिए राज्य योजनाओं में रखी गयी धनराशि के अलावा, वितरण कार्य कर रही सहकारी समितियों के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 8 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

Charter of Demands received from Commercial Pilot Association (India)

2412. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any charter of demands has been received by him (the Minister) from the Central Office of the Commercial Pilot Association (India) recently;

(b) the main demands; and

(c) the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Recently no charter of demands has been received from the Central Office of the Commercial Pilot Association (India).

(b) and (c) Do not arise.

सोया दूध, सूती कपड़े आदि पर शुल्क समाप्त करना और कम करना

2413. **श्री उग्रसेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोया दूध, सूती कपड़े, कपड़े, टेलिवीजन सेटों, नालीदार बोर्डों और ताम्बे की बनी वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करने और उसे कम करने की घोषणा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार ने सोया दूध को समस्त उत्पादन शुल्क से छूट दी है। तारीख 24 नवम्बर, 1977 से फाइन और सुपर फाइन प्रक्रियागत विद्युतकरघा वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क की दर में उस स्थिति में मूल्यानुसार 4% तक की कमी करने की अनुमति दी गई है जब उनकी निकासी बिना छपे की गई हो। उत्पादन शुल्क की दर में यह कटौती, 30-1-1978 से सूती वस्त्रों पर भी उस स्थिति में की गई है जब ऐसे वस्त्रों की निकासी, छपाई अथवा रंगाई अथवा दोनों के बिना की गयी हो। तारीख 28-1-78 से, किसी भी रूप अथवा आकार की तांबे की प्लेटों, चादरों, घेरों, पट्टियों और पत्रियों पर शुल्क 6300 रु० से घटाकर 3700 रु० प्रति मी० टन कर दिया गया है।

Export of Wooden Furniture

2414. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) the value of wooden furniture exported from India to West Germany during the past two years and during the current years; and

(b) the names of major firms making this export ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) The export of Wooden Furniture to West Germany during the past two years and upto July during the current year for which only the export figures are so far available are given below :—

Year	Value (in Rs. lakhs)
1975-76	0.08
1976-77	2.22
1977-78 (April-July)	0.56

(b) The name of the only major exporter to West Germany is Messrs C.G.G. Panicker, Trivandrum.

ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौते

2415. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जनवरी, 1978 को ब्रिटेन के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे,

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को इन समझौतों के अन्तर्गत 288 करोड़ रुपए के अनुदान प्राप्त होने की सम्भावना है, और

(ग) इन ऋणों का उपयोग किन-किन परियोजनाओं के लिए किया जाना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) तथा (ग) यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने, भारत सरकार को 1977-78 में 1440 लाख पौण्ड (लगभग 228 करोड़ रुपए) की सहायता देना स्वीकार किया है। इस सहायता के संबंध में उस सरकार के साथ 4 जनवरी, 1978 को पांच करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। सम्पूर्ण सहायता को जो अनुदान के रूप में है, निम्नलिखित रीति से उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है।

1. 700 लाख पौण्ड (110.8 करोड़ रुपए) का यूनाइटेड किंगडम/भारत-अनुरक्षण अनुदान 1978--ब्रिटेन से बहुत सी अनुरक्षण संबंधी वस्तुओं, जिनमें कच्चा माल, फालतू पुर्जे संघटक और वस्तुएं शामिल हैं, के आयात के लिए है।

2. 200 लाख पौण्ड (31.7 करोड़ रुपए) का यूनाइटेड किंगडम/भारत पूंजी-निवेश अनुदान 1978--सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के द्वारा किए जाने वाले आयात के लिए है जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाने वाला आंशिक आयात भी शामिल है;

3. 300 लाख पौण्ड (47.5 करोड़ रुपए) का यूनाइटेड किंगडम/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान 1978 परस्पर समस्त बड़े मूल्य की परियोनाओं के लिए उपस्कर तथा मशीनरी के आयात के लिए है।

4. 200 लाख पौण्ड (31.7 करोड़ रुपए) का यूनाइटेड किंगडम/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1978 कोयला तथा विद्युत क्षेत्रों की आयात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है ; तथा

5. 40 लाख पौण्ड (6.3 करोड़ रुपये) का यूनाइटेड किंगडम/भारत ऋण पुनर्वित व्यवस्था अनुदान 1978 ऋणों की वापसी अदायगी को पूरा करने के लिए है।

यह देखा जा सकता है कि इस सहायता को कुछ एक विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नहीं बल्कि कई तरह से इस्तेमाल में लाया जाएगा।

वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रमुख कृषि समितियों को ऋण

2416. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर ने निर्णय किया है कि प्रमुख कृषि समितियों को भेदात्मक ब्याज योजना के अधीन 2500 रुपये तक ऋण देने के लिये वाणिज्यक बैंकों के निकट सम्पर्क में लाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नगद ऋण की सीमा 3 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 6 करोड़ रुपये कर देने पर भी विचार कर रही है ; और

(ग) प्रमुख कृषि समितियों को अन्य कौन से लाभ देने पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 दिसम्बर, 1977 को ऋण योजना में किये गये परिवर्तन का जिक्र है। इस परिपत्र के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को सलाह दी थी कि :—

(1) किसानों को छोटी सिंचाई व भूमि विकास के लिए दिये गए 3 वर्ष तक की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर 10.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लिया जाये।

(2) किसानों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों जैसे मुर्गीपालन, खेती, डैरी, मछली पालन व कृषि उद्यान शामिल है के लिए 3 वर्ष तक की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर 11 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज न लिया जाये।

(3) 1 जनवरी, 1978 के बाद, छोटे किसानों को, अलग अलग दिये गये प्रत्यक्ष ऋण का, चाहे वे अल्प, मध्यम तथा लम्बी अवधि के लिए हों, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक दर पर यानि 9 प्रतिशत तक पुनर्वित्त पोषण करेगा। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे ऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लेंगे, चाहे भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त पोषण प्राप्त हो चुका हो या नहीं।

(4) 1 जनवरी, 1978 से संबंधित बैंक द्वारा उपर्युक्त पद (III) के अन्तर्गत पुनर्वित्त पोषण की सीमा कुल राशि की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

प्रमुख सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ऋण इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते। देश में प्रचलित विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत, पात्र ऋणकर्त्ता 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से रियायती दरों पर बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

Availability of Pulses at Fair Prices

2417. **Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of the steps taken by Government recently the wholesale prices of pulses have decreased and the retail prices thereof have also come down;

(b) If so, the reasons for the consumers not getting proper benefit thereof and only the intermediaries taking its full benefit; and

(c) whether Government would soon take some proper and stringent measures to ensure that pulses are made available to consumers at fair prices ?

Minister of State in the Ministry of Commerce. Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) It is a fact that in recent weeks, except the weeks ending February 11 and 18, 1978, the wholesale price index for pulses has declined and the same is generally getting reflected, with the usual time lag, in the retail prices.

(b) Does not arise in view of answer to (a) above.

(c) Measures initiated earlier to increase the production of pulses by increasing area under them and also by improving their productivity would be continued. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)

and National Cooperative Consumers' Federation (NCCF) have been directed to make larger purchases of pulses at primary *mundis*. Pulses is one of the items which is included in the envisaged scheme of Production-cum-Distribution system. The possibility of further imports of pulses is being explored. Government in consultation with the State Governments is keeping a continuous watch on the prices and availability of pulses and appropriate further steps will be taken as ard when the situation demands.

एयर इण्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स के लिये एक ही चेयरमैन की बयुक्ति पर असन्तोष

2418. **श्री आर०बो० स्वामीनाथन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया दोनों के लिये एक ही चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में नागर विमानन के उच्च अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो विभागों के अनेक उच्च अधिकारियों ने अपने त्याग-पत्र दे दिये हैं ;

(ग) क्या और अधिक अधिकारियों ने भी अपने त्याग-पत्र दे दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने त्याग-पत्र दिये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिये उन्होंने क्या मुख्य कारण दिये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) एक सांझे चेयरमैन की नियुक्त के बारे में कोई असन्तोष नहीं है। परन्तु एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे एक तार भेजा है जिसमें उसने, उसके मत में "जिस ढ़ंग से श्री जे० आर० डी० टाटा को एयर इंडिया से निकाला गया है", उस के खिलाफ विरोध प्रकट किया है परन्तु श्री जे० आर० डी० टाटा के निकाले जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया के निदेशक मंडलों के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर उनका पुनर्गठन किया गया है तथा और बेहतर व अधिक प्रभावी समन्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल को दोनों निदेशक मंडलों के लिये एक सांझा पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों को स्थानान्तरण

2419. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारी आपात काल के दौरान आरम्भ की गई विभागीकृत लेखा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न लेखा विभाओं को बड़ी संख्या में स्थानांतरित कर दिये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उनकी सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या पदोन्नति के रास्ते अवरूद्ध हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां, । लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के क्रमिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के विभिन्न कार्यालयों से विभिन्न श्रेणियों के लगभग 4,000 कर्मचारी असैनिक मंत्रालयों/विभागों के विभागीकृत लेखा कार्यालयों में स्थानान्तरित किए गए हैं ।

(ख) और (ग) कर्मचारियों का स्थानान्तरण, लेखाओं के विभागीयकरण (कार्मिकों का स्थानान्तरण) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत किया गया था जिनमें अन्य बातें के साथ-साथ यह अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी ऐसे पद पर जिसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से कम लाभकर नहीं होगा, जिस पद को वह इस प्रकार से स्थानान्तरण की तारीख से तुरंत पहले धारण किए हुए था और उसी हैसियत में (चाहे स्थायी हो या स्थानापन्न हो), जिसमें उसने पूर्वोक्त पद को धारण किया हुआ था, नियुक्त किए जाने का हकदार होगा । समूह 'ख' के कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियम पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं और समूह 'ग' तथा 'घ' के कर्मचारियों के सेवा-संबंधी नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्थानान्तरित कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, लेखाओं के विभागीयकरण से पूर्व की सेवा शर्तों से कम लाभकर न हों । अधिकांश मामलों में, अब तक विभिन्न श्रेणियों में स्थान्तरित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नतियां उनके मूल विभागों में पदोन्नति के अवसरों की तुलना में अधिक अनुकूल और सामान्यत: अधिक अच्छी रही है ।

चूंकि पर्यवेक्षक के स्तरों पर सभी पदों को लेखा-परीक्षा विभाग से स्थानान्तरित कर्मचारियों द्वारा नहीं भरा जा सका, इसलिए विभागीकृत लेखा कार्यालयों के कर्मचारियों को लेखा अधिकारियों और कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के ग्रेडों में पर्याप्त पदोन्नतियां दी गई हैं । उदाहरण के रूप में बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने लेखा परीक्षा विभाग में अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास की थी और जो रिक्त पद न होने की वजह से कई वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया गया, जो लेखा परीक्षा से लेखाओं के अलग न किए जाने की स्थिति में संभव नहीं होता । इसके अलावा, समूह 'ग' के कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों में यह व्यवस्था की जा रही है कि कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के संवर्ग में पदों के सीमित प्रतिशत अनुपात को उन व्यक्तियों को पदोन्नति करके भरा जाएगा जिन्होंने अर्हक परीक्षा पास न की हो । इसलिए पदोन्नति के रास्ते अवरुद्ध नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत योजना

2420. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में से सहायता देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उत्तर प्रदेश को कुल कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सी परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं । इन प्रस्तावों को परियोजनाओं की उस सूची में शामिल किया जा रहा है, जो विश्व बैंक के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए बनाई जानी है । अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों सहित

इन प्रस्तावों पर विदेशी सहायता प्राप्त करने के विचार से कार्रवाई की जा रही है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की सूची विवरण में दी गई है ।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रस्तावों की सूची

क्रम संख्या	नाम	प्रस्तावित परिव्यय
1.	भूमि तथा जल संरक्षण	59.00 करोड़ रुपए
2.	एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	10.41 करोड़ रुपए
3.	बागवानी विकास, पहाड़ी क्षेत्र	40.00 करोड़ रुपए
4.	बागवानी विकास, मैदानी क्षेत्र	21.80 करोड़ रुपए
5.	टांस घाटी लट्ठे बनाने की परियोजना, वृक्ष रोपण तथा सड़क निर्माण	17.00 करोड़ रुपए
6.	मसालों के बागान	30.00 करोड़ रुपए
7.	सामाजिक वनपालन	40.00 करोड़ रुपए
8.	पूर्वी यमुना नहर की सरणियों को पक्का करना	42.00 करोड़ रुपए
9.	जल निकासी सुधार स्कीमें	26.17 करोड़ रुपए
10.	नदी सुधार स्कीमें	34.00 करोड़ रुपए
11.	मछली चारा उत्पादन तथा वितरण	1.10 करोड़ रुपए
12.	शारदा सहायक सिंचाई क्षेत्र विकास	74.00 करोड़ रुपए
13.	रामगंगा सिंचाई क्षेत्र विकास	302.00 करोड़ रुपए
14.	कृषि को गहन बनाना	64.00 करोड़ रुपए
15.	कृषि बाजारों का विकास	14.00 करोड़ रुपए

दावों के निपटान के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव

2421. **श्री चित्त बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि पूर्वी पाकिस्तान में सम्पत्तियों के भारत में रहने वाले अधिकांश मालिक, सम्बन्धित कागजातों के खो जाने के कारण अपने दावों को न्यायोचित ठहराने के लिये सहवर्ती साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ;

(ग) क्या यह सच है कि दावों के निपटान में बहुत समय लगता है ;

(घ) यदि हां, तो इनके शीघ्र निपटान के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या दावों के पंजीकरण की अंतिम तारीख इस बीच समाप्त हो चुकी है, यदि हां, तो क्या समय और बढ़ाया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सम्बद्ध लिखित प्रमाण के बिना दावों का सत्यापन करने से उनका दुरुपयोग हो सकता है तथा जब तक दावेदारों द्वारा पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक इन मामलों को तय करना संभव नहीं है । शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा किये गये दावों की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश दावेदार अपने दावों के समर्थन में लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं ।

(ख) से (घ) दावों का सत्यापन अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है । तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिये कि दावे तेजी से तथा उचित ढंग से निपटाये जायें, सत्यापन की प्रक्रिया और अधिक सरल तथा कारगर बना दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बात भी शामिल है कि जब तक किसी मुद्दे अथवा मुद्दों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता न हो, तब तक दावेदारों को वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत होने की छूट हो । दावों के निपटारे में सहायता देने के लिये अतिरिक्त स्टाफ की भी व्यवस्था कर दी गई है ।

(ङ) दावों के पंजीकरण के लिये अन्तिम तारीख पहले ही तीन बार अर्थात् 31 दिसम्बर, 1976 30 अप्रैल, 1977 तथा अंत में 31 जुलाई, 1977 तक, बढ़ा दी गई है । यह देखते हुए कि दावों को पंजीकृत करने के लिये पहले ही पर्याप्त समय दिया गया है तथा उसका पर्याप्त प्रचार किया गया है, तारीख और आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

सरकार द्वारा सुनारों को दी जाने वाली सुविधायें

2422. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण नियमों में संशोधन करके ग्राहकों के विशेष आर्डरों पर सीमित मात्रा में गहने बनाने और बेचने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुनारों पर लगी यह रोक हटा दी है कि सुनार की कुशलता वाले व्यक्ति को सुनार का प्रमाण-पत्र पाने के लिये पात्र होना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सुनारों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) तथा (ग) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत 14-2-1978 को कुछ अधिसूचनाएं/आदेश जारी करके प्रमाणित स्वर्णकारों को कुछ रिआयतें दी गई हैं । इन रिआयतों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

कोई भी प्रमाणित स्वर्णकार—

(i) ऐसी मानक स्वर्ण छड़ों से आभूषण तैयार कर सकता है और तैयार कर के बेच सकता है जिन्हें अपने पास रखने की उसे, ग्राहकों से प्राप्त विशिष्ट आर्डर के संदर्भ में पहले से ही अनुमति प्राप्त है ;

(ii) एक समय में किसी भी व्यक्ति से 35 ग्राम तक के जेवरों की छोटी-छोटी खरीदारियां कर सकता है और जेवर बनाने के लिये अन्य ग्राहकों से प्राप्त विशिष्ट आर्डर को पूरा करने के लिए जेवर बनाने, उनका निर्माण करने के प्रयोजन के लिए उनका उपयोग कर सकता है ।

ऊपर उल्लिखित रिआयतों का लाभ उठाने वाले स्वर्णकारों को अपना व्यापार एक निश्चित स्थान पर करना पड़ता है और इस संबंध में विहित लेखा रखना पड़ता है ;

(iii) स्वर्णकार का प्रमाण-पत्र केवल स्वर्णकारों के परिवार के सदस्यों को जारी करने की वर्तमान पाबंदियों को हटा लिया गया है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति स्वर्णकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार है जिसके पास स्वर्णकार की आवश्यक दक्षता हो और जिसने किसी प्रमाणित स्वर्णकार के पास कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षु के रूप में काम किया हो और जिसे किसी मामले में सजा दिये जाने के कारण अथवा स्वर्ण नियंत्रण या तस्करी के किसी अपराध के कारण अर्थदंड लगाये जाने के परिणामत: अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।

ताम्बे और ताम्बा मिश्र धातु पर उत्पादनशुल्क समाप्त करना

2423. **श्री के० रामर्मूति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि ताम्बे और ताम्बा मिश्र धातु पर उत्पादनशुल्क समाप्त नहीं किया गया तो क्या तमिल नाडु में अलौह धातु रोलिंग मिलों के बन्द हो जाने का खतरा है;

(ख) क्या झा समिति ने भी इन वस्तुओं पर उत्पादनशुल्क समाप्त करने की परम् आवश्यकता का उल्लेख किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) झा समिति ने सामान्यत: उत्पादनशुल्क लगने योग्य विभिन्न माल पर, जिसमें लौह और अलौह धातुएं भी शामिल हैं, शुल्क-स्तर का उल्लेख किया है। उनके निष्कर्ष और सिफारिशें संक्षिप्त रूप में अन्तिम रिपोर्ट के भाग I में निहित हैं, जो सदन पटल पर पहले ही रख दी गयी है। समिति की रिपोर्ट का, फिलहाल, समग्र रूप से अध्ययन किया जा रहा है।

ठेकेदारों के निर्माण-ठेकों के बारे में प्रतिनिधियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की उप-समिति की सिफारिशें

2424. **श्री के० रामर्मूति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और निर्यात ऋण गारंटी निगम के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उप-समिति ने ठेकेदारों के निर्माण-ठेकों के बारे में क्या सिफारिशें की है ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की निर्यात वित्त विषयक स्थायी समिति द्वारा गठित उप-दल ने मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं तथा ठेकेदारों द्वारा विदेशों में लिए जाने वाले निर्माण-ठेकों के बारे में एक आवेदन पत्र भी तैयार किया है। मार्गदर्शी सिद्धान्त इस बात का संकेत करते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में स्थापित कार्यकारी समूह को, आवेदन पत्र किस

प्रकार कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मार्गदर्शी सिद्धान्त, निर्यातकर्ता द्वारा अपनायी जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं तथा उसे मिलने वाली सुविधाओं की ओर भी संकेत करते हैं। यह इसलिए आवश्यक था कि निर्माण-ठेकों में स्वाभाविक रूप से जटिलताएं पाई जाती हैं तथा वे साधारण ठेकों से, जिनमें आस्थगित भुगतान, शर्तें शामिल होती हैं, भिन्न होते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसने इस उप-दल का गठन किया था, इस उप-दल द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोली जाने के बारे में सरकार की नीति

2425. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोले जाने के मामले में सरकार की नीति क्या है;

(ख) गत वर्ष भारत में किन-किन विदेशी बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई थी; और

(ग) किन-किन बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दी गई और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विदेशी बैंकों को भारत में सामान्यतः पत्तन नगरों और महानगरीय स्थानों में, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर, सीमित रूप से शाखा खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। इन आवेदनपत्रों पर निर्णय करते समय, "पारस्परिक आदान प्रदान के सिद्धान्त" और निर्यात-आयात व्यापार के मामले में इस देश को होने वाले लाभों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1977 के दौरान, बैंक आफ़ अमेरिका को, जिसका एक प्रतिनिधि कार्यालय नई दिल्ली में पहले से ही स्थित था, इसे पूर्ण रूप से एक शाखा में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारत में शाखायें खोलने के लिये विदेशी बैंकों से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र को हाल ही में रद्द नहीं किया है।

समेकित वित्तीय सलाहकार प्रणाली के बारे में किया गया अध्ययन

2426 **श्री के० टी. कोसलराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय प्रचलित समेकित वित्तीय सलाहकार प्रणाली के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) एकीकृत वित्त मंत्रालय द्वारा एकीकृत वित्तीय सलाहकार योजना के कार्य की समीक्षा वित्तीय सलाहकारों की समय-समय पर बैठकें बुलाकर निरन्तर की जाती हैं। यह योजना संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और इसलिए इस योजना में अभी किसी प्रकार के परिवर्तन करने का विचार नहीं है। इस योजना के परिचालन का कोई अन्य औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है।

रुपया रूबल विनिमय दर

2427. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :**

श्री बृज भूषण तिवारी :

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने रुपया-रूबल विनिमय दर में भारत के अहित अपनी ओर से कितनी बार एक तरफा परिवर्तन किया तथा रुपये के बार-बार अवमूल्यन के कारण भारत को कितनी हानि हुई ;

(ख) यह कार्यवाही किस प्रकार न्यायोचित बताई गई और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस विषय पर हाल ही में सोवियत संघ से बातचीत में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) तथा (ग) दिसम्बर, 1971 से, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के स्टेट बैंक ने, समय-समय पर, रुबल तथा रुपए की विनिमय दर में हुए परिवर्तनों को अधिसूचित किया है। किन्तु सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के प्राधिकारियों ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यह दर केवल सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के भीतर के गैर-वाणिज्यिक लेनदेनों पर ही लागू होगी, जो कि दोनों देशों के बीच होने वाले कुल लेनदेनों के अनुपात में बहुत ही कम हैं।

रूबल और रुपए के बीच की विनिमय दर से संबंधित सामान्य प्रश्न पर सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के प्राधिकारियों के साथ इस उद्देश्य से बातचीत हो रही है कि जिससे दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान निकल जाए। यह बातचीत गोपनीय है और इस समय यह बताना लोकहित में नहीं होगा कि इस बातचीत का ब्यौरा क्या है अथवा इसमें कहां तक प्रगति हुई है।

इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं में बोइंग विमानों का प्रयोग

2428. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइन्स के वायु मार्गों पर चलाने के लिए कुछ बोइंग विमान खरीदने का है;

(ख) कितने विमान खरीदे जायेंगे तथा उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या इन अतिरिक्त विमानों के आ जाने के बाद कुछ नये वायु मार्ग खोले जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) (ख), और (ग) फिलहाल और बोइंग विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि दो एरयबस विमान खरीदने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इन विमानों का मुख्य उद्देश्य वर्तमान मार्गों पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराना है।

गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम को मिला प्रीमियम

2429. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम को गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना प्रीमियम मिला ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ग में कुल कितना लाभ हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रीमियम की दर कम करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क)

वर्ष	प्रीमियम आय (करोड़ रुपये)
1974-75	511.24
1975-76	588.25
1976-77	653.30

(ख) जीवन बीमा निगम का लाभ (अधिशेष) द्विवार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसका 95 प्रतिशत चालू पालिसी धारियों के नाम निर्धारित कर दिया जाता है। पिछले दो बीमांकिक मूल्यांकनों के अनुसार स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मूल्यांकन की तारीख	अधिशेष (करोड़ रुपए)	बीमाकृत रकम के प्रति एक हजार रुपए पर वार्षिक बोनस	
		आजीवन बीमा	बंदोबस्ती बीमा
		रुपए	रुपए
31-3-75 . . .	184.71	22	17.60
31-3-77	258.00	25	20.00

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम इस समय प्रीमियम की दरें कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। बीमें की विभिन्न "लाभ रहित" योजनाओं के अन्तर्गत 1970 से 1976 तक के दौरान समय-समय पर प्रीमियम की दरें कम की गई थीं। "लाभ सहित" पालिसियों के मामले में प्रीमियम की दरों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन करने का रिवाज नहीं है बल्कि इन के मामले में प्राप्त अनुभव को बोनस की घोषणाओं के द्वारा कार्यरूप दिया जाता है।

फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की ओर आयकर और धनकर की बकाया राशि

2430. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की ओर आयकर और धनकर की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ख) इन फिल्म अभिनेताओं ने स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत बिना हिसाब का कितना धन बताया ;

(ग) इस व्यवसाय में काले धन की रोकथाम के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आयकर अधिनियम में संशोधन करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। जिन सभी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की तरफ आय कर अथवा धनकर बकाया हो सकता है, उनके सम्बन्ध

में सूचना एकत्रित करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा। जिन फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के मामलो में, 28 फरवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार, बकाया की रकम प्रत्येक मामले में 10,000 से अधिक है उनमें आय-कर अथवा धन-कर की बकाया के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) आय तथा धन की स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश 1975 (अब आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976) में, धारा 3(1) के अन्तर्गत तलाशी तथा अभिग्रहण ; धारा 14(1) के अन्तर्गत तलाशी तथा अभिग्रहण के आय सम्बन्धी मामलों की घोषणा, और धारा 15(1) के अन्तर्गत धन की घोषणा के मामलों से भिन्न मामलों में आय की स्वैच्छा से घोषणा करने की व्यवस्था है।

जहां तक धारा 3(1) के अन्तर्गत घोषणाओं का सम्बन्ध है, धारा 12 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह शर्त रखी गयी है कि उसमें निहित सभी ब्यौरों को गोपनीय समझा जायेगा, और कोई भी सरकारी कर्मचारी, धन-कर अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के निष्पादन में नियुक्त किसी भी अधिकारी अथवा आय-कर की प्राप्तियों अथवा वापसियों का लेखा-परीक्षा करने के निमित्त भारत के नियंत्रक महान्लेखापरीक्षक अथवा केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के सिवाय और किसी अधिकारी को ही बतायेगा। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत की गई घोषणाओं में निहित सूचना को प्रस्तुत करना उक्त अधिनियम की धारा 12 के गोपनीय उपबन्धों का उल्लंघन होगा। आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 14 (1) तथा 15(1) के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सूचना यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इस धंधे में काले धन को रोकने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये जाते हैं :—

(1) बम्बई तथा कलकत्ता में विशेष फिल्म परिमण्डलों का सृजन, और इस धन्धे से सम्बन्धित मामलों का मद्रास में एक परिमण्डल में केन्द्रीयकरण ;

(2) फिल्मी कलाकारों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई परिसम्पत्तियों का विभाग के अधिकारियों के साथ परामर्श करके मूल्यांकन;

(3) फिल्मी-कलाकारों, निर्देशकों, सगीत-निर्देशकों आदि द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 44-कक (1) के अन्तर्गत हिसाब-किताब रखना आवश्यक होना ;

(4) आय-कर अधिनियम की धारा 285-ख का 1 अप्रैल, 1976 से अधिनियमन, और उसके अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों में निहित सूचना का उपयोग ; और

(5) जहां कहीं आवश्यक हो वहां धारा 132 तथा 133-क के अन्तर्गत उपलब्ध कानूनी अधिकारों का उपयोग।

(घ) सरकार इस समय आय-कर अधिनियम 1961 में इस बारे में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

प्रत्यक्ष कराधान सम्बन्धी चौकसी समिति को मिले अभ्यावेदन

2431. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रत्यक्ष कराधान सम्बन्धी चौकसी समिति से कोई अन्तरिम प्रतिवेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) समिति को कितने अभ्यावेदन मिले थे ?

LSS/78—8

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिम रिपोर्ट में 14 अध्याय हैं जिनमें 177 मत और सिफारिशें हैं। इस रिपोर्ट की प्रतियों को यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रखने का प्रस्ताव है।

अन्तरिम रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। समिति की जो सिफारिशें सरकार को स्वीकार्य हैं, उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक विधान यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इसी दौरान, समिति द्वारा सिफारिश किये गये कुछ परिवर्तनों को जैसे घुड़-दौड़ की जीत की रकमों पर कर की स्रोत पर कटौती और अग्रिम-कर की स्वेच्छा से अदायगी, वित्त विधेयक, 1978 के जरिए लागू कर दिया गया है।

(ग) "समिति को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ठीक-ठीक संख्या का अन्तरिम रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन, यह बताया गया है कि समिति ने जो सुझाव और मत मांगे थे उनके उत्तर में, उसे अत्यधिक उत्साहवर्धक उत्तर मिले हैं।"

विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धनराशि स्वदेश भेजे जाने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा निधि में वृद्धि

2432. **श्री आर०कोलन थाइवेलू : श्री ए० बाला पजनौर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष पहले की स्थिति की तुलना में इस समय विदेशी मुद्रा निधि की स्थिति क्या है ;

(ख) विदेशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा स्वदेश भेजी गई धनराशि के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा निधि में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) देश के तीव्र तथा सौद्देश्य आर्थिक विकास के लिये उस निधि का उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या व्यावहारिक कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 3 मार्च, 1978 को भारत के पास 4136.5 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी जबकि इसकी तुलना में 2 मार्च 1977 को यह राशि 2603.2 करोड़ रुपए की थी।

(ख) यह अलग से नहीं बताया जा सकता कि विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा से भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में कितनी वृद्धि हुई है क्योंकि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में जो परिवर्तन होते हैं वे देश के उन बाह्य लेनदेनों के वास्तविक परिणाम होते हैं जिन में आयात-अदायगियां और निर्यात प्राप्तियां तथा अदृश्य व पूंजीगत लेनदेनों के कारण देश में आने वाली तथा बाहर भेजी जाने वाली राशियां शामिल होती हैं।

(ग) सरकार कीमतों को स्थिर रखते हुए, अर्थ-व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के प्रयोजन से भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के कुछ हिस्से का उपयोग करने के लिए कई उपाय कर रही है। मोटे तौर पर इन उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1) देश की उत्पादक क्षमता का उपयोग करते हुए, अर्थव्यवस्था की आयातित सामग्री, संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों और उपस्कर संबधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना।

(2) देश में कीमतों को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से कम मात्रा में मिलने वाली आम खपत की महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात की व्यवस्था करना ; और

(3) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में निर्धारित परियोजनाओं और कार्यक्रमों में जिनके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, अधिक पूंज़ी लगाकर अर्थ-व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को तेज करना।

इस संबंध में एक नई सुविधा की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत सावधिक ऋण देने वाली वित्तिय संस्थाएं और सरकारी क्षेत्र के बैंक अनुमोदित परियोजनाओं के आयात खर्च को पूरा करने के लिए उचित शर्तों पर रुपयों में ऋण उपलब्ध करने की व्यवस्था करेंगे। यह भी आशा की जाती है कि 1978-79 के बजट में आयोजना और निवेश के लिए पहले से अधिक परिव्यय का जो प्रस्ताव किया गया है उससे भी हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का कुछ अंश खर्च होगा जिसके फलस्वरूप मुद्रा स्फीतिकारी प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

Cultivation, Consumption and Export of Opium

2433. **Shri Chaturbhuj**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the area under opium ciltivation in the country at present and the opium consumption in the country and that exported to foreign countries;

(b) the purposes for which the opium is used in the country and the method of making it available to the users;

(c) the names of the countries to which opium was exported during the last two years and the quantity thereof exported to each country in each year during the period;

(d) the average price at which opium is purchased from the growers and the export price thereof; and

(e) the incentives proposed to be given to the opium growers to increase its production in the country ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) An area of 66,268 hectares has been licensed for poppy cultivation during the current crop season, 1977-78. The quantity of opium utilised within the country was around 100 tonnes at 90o consistence and a quantity of 878 tonnes at 90°C has been exported in 1977 (January—December, 1977).

(b) The opium is used in the country mainly for the following purposes:

(i) for manufacture of opium alkaloids in the Government Opium and Alkaloids Factories at Ghazipur and Neemuch;

(ii) for the manufacture of medicinal opium cake and medicinal opium powder which is supplied to the pharmaceutical industry against permits issued by the State Government concerned;

(iii) by the registered opium addicts for consumption under medical advice. This opium is supplied to the State Government who issue it to the addicts through District Treasuries.

(c) The information is given in the Statement.

(d) The average purchase price of opium excluding purchase tax, turn-over tax, transportation charges, processing cost, etc. was Rs. 164 per kg. at 90° C during the crop season 1976-77. The export price of opium during the current financial year i.e. 1977-78 is U.S. $ 6/- per anhydrous morphine unit.

(e) The Government has taken several steps as stated below, to increase the production of opium in the country and for giving incentives to the poppy growers:

(i) The price of opium payable to a poppy cultivator is fixed on a sliding scale depending on the yield of opium tendered by him. A cultivator tendering a higher yield of opium per hectare is paid at a higher rate;

(ii) Cash awards are given in each Opium Division to the poppy cultivator who tenders the highest yield of opium;

(iii) Demonstrations are arranged for educating the cultivators in the use of pesticides and fertilizers. The cultivators are also assisted in procurement of chemical fertilizers and pesticides for use in their poppy fields;

(iv) Government have undertaken a number of long-term research schemes on cultivation of opium poppy. Experimental farms have also been set up in some of the poppy growing areas for conducting experiments on various aspects of poppy cultivation with a view to improving the yield and quality of opium and the results obtained from these experiments are communicated to the poppy cultivators for their guidance.

Statement

(c) Names of countries to which opium was exported during the years 1976 and 1977 and Quantity thereof :

Name of the c untry	1976	1977
	Quantity in kg. at 90° C.	
Argentina	14,000	10,000
Belgium	29,250	12,000
Bulgaria	6,000	6,000
Bangladesh	200	..
Denmark	58	10
France	92,950	68,000
Holland	13,000	14,000
Italy	56,000	59,250
Japan	50,001	75,001
Mada-gascar	35	35
Norway	5,000	3,000
Poland	12,500	..
Portugal	5,000	6,000
Spain	41,000	14,000
Sri Lanka	235	..
Switzerland	17,000	26,000
Taiwan	2,000	1,000
U.K.	298,000	162,000
U.S.A.	250,220	229,000
U.S.S.R.	100,000	60,000
West Germany	74,000	96,001
Yugoslavia	20,000	37,000

Inconvenience faced by Opium Growers in Rajasthan

2434. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether opium growers in Rajasthan have to face great inconvenience in going to the Central Narcoitics Office to file appeals as this office is situated in Gwalior; and

(b) the remedial steps proposed to be taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) & (b) The appeals against the orders of the District Opium Officers lie to the Deputy Narcotics Commissioner, Kota. As such, it is not necessary for the opium growers in Rajasthan to go to the office of the Narcotics Commissioner at Gwalior. However during the current crop season as there was no Deputy Narcotics Commissioner in Rajasthan for some time, there may have been a few cases where some cultivators in Rajasthan may have filed appeals before the Narcotics Commissioner at Gwalior.

जापान एयरलाइन्स के विमानों के अपहरण को रोकने के लिय जापानी सरकार के सुझाव

2435. **श्री श्रोम प्रकाश त्यागी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान एयरलाइन्स विमानों के अपहरण को रोकने के लिए जापानी सरकार ने कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) उक्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सुझावों को किस हद तक स्वीकार किया गया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) 28 सितम्बर, 1977 को जापान एयरलाइन्स के विमान के अपहरण के पाश्चात्, जापानी दूतावास ने सुझाव दिया कि एक जापानी सुरक्षा विशेषज्ञ जो व्यवहार के प्रकार, आकृति विज्ञान तथा हथियारों आदि को छिपाने के तरीकों के बारे में जासूसी अथवा खोज निकालने के काम में प्रशिक्षित हो, सुरक्षा उपायों को सर्वथा निर्दोष बनाने के लिये हमारे प्रमुख एयर पोर्टों पर नियुक्त किया जाए। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इससे सरकार की प्रभुसत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इसके अतिरिक्त जापान सरकार ने बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में भारतीय अधिकारियों से विचार विमर्श करने के लिये, निम्नलिखित दलों को यहां भेजा था।

(i) एक दल ने जिस में परिवहन एवं विदेश मंत्रालय तथा जापान एयर लाइन्स के प्रतिनिधि शामिल थे 9 से 12 नवम्बर तक बम्बई का दौरा किया।

(ii) एक दल ने जिसमें जापान के पुलिस अधिकारी तथा थाइलैंड में जापानी दूतावास के प्रथम सचिव सम्मिलित थे 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 1977 के बीच दिल्ली तथा बम्बई का दौरा किया।

(iii) एक छः सदस्यों के नागर विमानन दल ने, जिसमें लीडर के रूप में मंत्रीमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय का कौंसिलर सम्मिलित था, 19 तथा 20 दिसम्बर, 1977 को दिल्ली का दौरा किया।

इस विचार विमर्शों के दौरान जापानी दलों ने हमारे हवाई अड्डों पर अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों के बारे में कोई असंतोषजनक भावना व्यक्त नहीं की। तथापि, जानकारी के आदान-प्रदान तथा व्यक्तिगत संपर्क से दोनों पक्षों को लाभ हुआ।

Purchase of ships from U.K.

2436. **Shri Brij Bhushan Tiwari :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether India is purchasing ships from Britain against the aid given by the British Government;

(b) if so, the number and the value thereof;

(c) whether the price of the ships being charged by Britain is higher than that charged by other countries; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Yes.

(b) Six ships, valued at £ 52.8 million approximately, are proposed to be purchased from U.K.

(c) & (d) The price of ships being charged by Britain is more or less on par with prices charged by shipyards in Western Europe. However, in view of the present state of market in international shipbuilding, lower prices are being quoted by other shipyards, particularly in South Korea and Japan. As a result of discussions with the U.K. Government, it has been possible to secure some reduction in the average price per ship to some extent, the difference being borne by the Government of U.K. from their Intervention Fund. The Government consider that though the final purchase price for the U.K. ships is still higher than the price at which comparable ships could have been bought from Japan, this acquisition will be in the overall economic interest as the purchase of the U.K. ships will be met from British aid funds which are wholly in the form of a grant.

Committee to review industrial controls

2437. **Shri Brij Bhushan Tiwari :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a Committee has been constituted to review industrial controls ;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) whether Government propose to remove these controls ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) & (b) The Government have set up a Committee under the Chairmanship of Shri Vadilal Dagli to evaluate and review the system of controls on prices, production, distribution, licences and imports and to examine the manner in which they have been actually operated and whether or not the objectives sought to be achieved have actually been achieved. The other Members of the Committe are :

1. Shri Era Sezhiyan.
2. Shri Bagaram Tulpule.
3. Shri L.C. Jain.
4. Shri Sanjoy Sen.

The terms of reference of the Committee are:

(1) Has the system of controls on prices, production, distribution, licences and imports been an effective instrument for national planning and guidance of the national economy ?

(2) What has been the experience in the past of the operation and management of all types of controls and have the pre-determined objectives actually been realised ?

(3) In which areas of the ecomony have the controls been successful and hence deserve continuance with or without modification ?

(4) In which areas have the conrrols been ineffective of have since become irrelevant and hence deserve to be removed?

(5) In what manner is the system of controls connected to the system of subsidisation in the national economy ? Are such subsidies justifiable and will it be possible to moderate or eliminate the system of subsidisation by suitable modifications in the system of controls ?

It will thus be seen that the Committee, will *inter-alia* be studying the working of various controls applicable to industries.

(c) The Committee is expected to submit its report within a period of 6 months and the Government willl consider its recommendations thereafter. It will be therefore pre-mature at this stage to give any reply to this part of the question.

Master Plan for Tourist Centres of Uttar Pardesh

2438. **Shri Brij Bhushan Tiwari :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme for having a Master-Plan for the development of Tourist centres of Uttar Pradesh;

(b) if, so, the facts in regard thereto ; and

(c) whether the schemes for the development of Lumbini, Kapilvastu and Magahar are under consideration?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b) Master-plans (land-use plans) of Sarnath, Kushinagar and Sravasti have been prepared with a view to ensuring a regulated growth of facilities at these centres. Based on these master plans, tourist facilities such as different types of accommodation, cafetarias, car parks, etc. will be developed. Measures for environmental improvement will be taken to enhance natural surroundings of the monuments. The implementation of the master plans of Kushinagar and Sravasti will be taken up first as no facilities exist at these places.

(c) No developmental schemes for Lumbini are under consideration as it is in Nepal. Similarly, no tourist facilities are contemplated in the Central sector at Kapilvastu until it is developed on proper lines as an archaeological centre. As regards Magahar, the Govt. of Uttar Pradesh has been requested to improve the surroundings of Sant Kabir's shrine and provide some facilities there.

युवा होस्टलों के कार्यकरण की जांच के लिए अध्ययन दल

2439. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवा होस्टलों के कार्यकरण की जांच करने और उनके कार्य संचालन में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) समिति के निदेश-पद क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन् मंत्री : (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) दल का गठन निम्न प्रकार है :—

1. श्री किशन पटनायक	अध्यक्ष
2. श्री शरद यादव, संसद सदस्य	सदस्य
3. उप महा निदेशक, (पूरक आवास), पर्यटन विभाग।	सदस्य
4. पर्यटन/युवा सेवाओं के राज्य निदेशक।	सदस्य
5. निदेशक/प्रबंधक, भारत सरकार के संबंधित पर्यटन कार्यालय।	सदस्य
6. उप मण्डल प्रबंधक, भारत पर्यटन विकास निगम।	सदस्य

7. निदेशक, सदस्य-सचिव।
(पूरक आवास)
पर्यटन विभाग।

(ग) दल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं।--

(i) इस समय कार्य कर रहे युवा होस्टलों/पर्यटक बंगलों/यात्री लाँजों का निरीक्षण करना;

(ii) इन प्रतिष्ठानों के कार्यचालन की त्रुटियों/दोषों तथा कमरों को कम लाग के कारणों का पता लगाना।

(iii) जहां आवश्यक हो, उपचारी उपायों तथा लाग दर में अभिवृद्धि करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना और इन प्रतिष्ठानों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना; और

(iv) इन विभिन्न पूरक आवास यूनिटों को अपने उद्देश्यों की पूर्ण रूप से पूर्ति करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से कोई अन्य सिफारिशें करना।

भारत और मंगोलिया के बीच व्यापार करार

2440. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और मंगोलिया के बीच हाल ही में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) 14 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त हुए नए व्यापार करार के महत्व के उपबंध निम्नलिखित हैं:--

(1) दोनों सरकारें दोनों देशों के बीच व्यापार से सम्बन्धित सभी विषयों पर परस्पर परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करेंगे।

(2) दोनों देशों के बीच सभी भुगतान आसानी से बदली जाने वाली मुद्रा से किया जाएगा।

(3) यह करार पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि दोनों में से किसी सरकार ने मुक्त अवधि के समाप्त होने के तीन महीने पूर्व इस करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा का लिखित नोटिस न दिया तो इसकी अवधि एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ जाएगी।

(4) इस करार के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए दोनों सरकारों के बीच जब भी आवश्यक होगा आपस में परामर्श किये जाएंगे।

Tourist Hotels in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras

2441. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Tourist Hotels in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras separately as also the number thereof in Private and Public sector, separately; and

(b) whether Government have made arrangements from time to time for checking of the tourists staying in private hotels so as to check smuggling going on in these Hotels ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) At present there are 26 Government approved hotels in Delhi, 34 in Bombay, 12 in Calcutta and 23 in Madras. Of these 5 in Delhi, 1 in Bombay and 1 in Calcutta belong to the public sector and the remaining 88 hotels are in the private sector.

(b) If any complaints are received in respect of tourists indulging in anti-social activities, these are brought to the attention of appropriate authorities. In case, it is found that such activities by tourists staying in hotels are encouraged by the management of approved hotels, Government approval is withdrawn along with benefits accruing therefrom. It is proposed to create an inspection unit in the Department of Tourism which will carry out regular inspections.

Report on Manner of Spending by Foreign Tourists

2442. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 448 on the 16th December, 1977 regarding facilities to Foreign Tourists and state :

(a) Whether Government have since received the final survey report on the manner of spending by foreign tourists; and

(b) If so, the salient features thereof and if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir.

(b) Draft report of the Foreign Tourists Survey received from the Administrative Staff College of India, Hyderabad is being examined in the Department of Tourism. It is expected to be finalised for publication soon.

Conditions of Services of Air Hostesses in Indian Airlines

2443. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Air Hostesses working in the Indian Airlines and the conditions of their service ; and

(b) whether it is a fact that these Air Hostesses are retired from service after they get married while such condition is not obtaining in other countries ; if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) A total of 397 Air Hostesses were working in Indian Airlines as on Ist January, 1978. Air Hostesses are appointed in the pay scale of Rs. 485-770. Their terms and conditions of service are the same as applicable to other cabin crew except that an Air Hostess is retire at the age of 30 years or when she gets married, whichever is earlier. An unmarried Air Hostess may, however, in the interest of the Corporation be retained in service with the approval of the Managing Director upto the age of 40 years.

It is understood that some Airlines permit their Air Hostesses to marry. However, the nature of duties to be performed by an Air Hostess involves undertaking flights commencing early in the morning and terminating late in the night, halts at outstations etc. Further, depending upon the operational requirements, an Air Hostess has to undertake a flight at a very short notice. The Air Hostesses have also to comply with prescribed medical standards. All these factors have a bearing on the present stipulations regarding marital status of Air Hostesses.

Industries against which cases of Tax Evasion are pending

2444. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the groups of industries against which the cases of tax evasion are pending with Government since January, 1977; and

(b) the names of the groups of industries out of them which have been black listed?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) & (b) In cases involving tax evasion (including those connected with industries) penal proceedings are initiated departmentally/prosecution launched as warranted in each case as provided for under the various tax laws. Collection of information in case of numerous groups of industries against which cases of tax evasion are pending since January, 1977 will take a very long time, and the results likely to be achieved may not be commensurate with the efforts required. However, if the honourable Member desires informatinion in respect of any particular case/groups of cases against any specific group of industries, the same can be collected and furnished.

महत्वपूर्ण स्वचालित उपकरणों के आयात पर सीमाशुल्क में कमी

2445. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कुछ महत्वपूर्ण स्वचालित उपकरणों पर लगी सीमा शुल्क को 120 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का निर्णय किया है, जिनका तदर्थ आधार पर आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सीमा शुल्क में की गई कमी से अनुमानतः कितनी हानि होगी; और

(ग) इस घाटे की पूर्ति कैसे की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां । सरकार ने, तारीख 30 जनवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या 23-सी० शु० और 24-सी० शु० द्वारा मोटर गाड़ियों तथा ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों पर तथा ऐसे संघटकों के निर्माण हेतु अपेक्षित सामान पर लगने वाले 120 प्रतिशत और इससे अधिक के सीमाशुल्क को घटाकर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) और (ग) इन छूटों के कारण होने वाली हानि काल्पनिक होगी क्योंकि यदि यह छूट नहीं दी जाती तो पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं होते।

विमुद्रीकरण के बाद सोने की खरीद में तेजी

2446. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1000 और उससे अधिक रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद देश में गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा की गई सोने की अचानक भारी खरीद के परिणामस्वरूप बाजार में सोने की कमी हो गई है जिससे देश में हजारों सुनारों के रोजगार पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में सोने के व्यापार को नियमित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत निजी तौर पर शुद्ध सोने को अर्जित करने, अपने पास रखने तथा बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है । इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि उच्च मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के कारण प्राइवेट पार्टियों द्वारा खरीदे गये सोने के आभूषणों के मूल्य में कोई विशेष तेजी आई है।

सोने के जवाहरात के निर्यात को बढावा देने के लिए सोने का आयात करने तथा सरकारी स्टाक में से सोने की बिक्री की अनुमति देने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव की वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में घोषणा किये जाने के बाद देश में सोने के मूल्य में काफी गिरावट आ गई है।

(ख) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, स्वर्ण-व्यापारियों को लाइसेंस देने और स्वर्णकारों को प्रमाणित करने तथा निर्धारित लेखे रखने की पद्धति द्वारा, देश में स्वर्ण-व्यापार पहले ही विनियमित किया जाता है।

त्रिपुरा में चाय बागान

2447. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो 55 चाय बागान विद्यमान थे उनमें से अब 42 काम नहीं कर रहे हैं और पंगु स्थिति में हैं; तथा उनमें से आधे रुग्णावस्था में हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा चाय की विदेशी मंडियों में मांग है; और

(ग) यदि हां, तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य के इस एक मात्र संगठित उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) चाय डायरेक्टरी, 1976 के अनुसार त्रिपुरा में पंजीयित चाय बागानों की संख्या 50 है। कुछ छोटे बागान, जिनका क्षेत्रफल 60/65 हैक्टर से अधिक नहीं है और जो अर्थक्षम नहीं थे, अन्तर्निहित स्थानगत हानियों, उद्यमियों की उदासीनता, तकनीकी जानकारी के अभाव और वित्त के अभाव जैसी विशेष समस्याओं के कारण शायद इस समय कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चाय बोर्ड विभिन्न तरीकों से उद्योग की सहायता करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। बागानों (300 एकड़ तक वाले) को परिवहन उपदान तथा उर्वरक उपदान प्रदान करने तथा विगत में चाय मशीनों की मरम्मत/बदली के लिए ऋण के अलावा बोर्ड की तीन प्रमुख अविरत विकास योजनाओं अर्थात् चाय रोपण वित्त योजना, चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना और पुन-रोपण उपदान योजना के अधीन सहायता त्रिपुरा उद्योग को भी उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश इन योजनाओं के प्रति रुझान बहुत कम रहा है। आवश्यक होने पर अनुसंधान का लाभ प्रदान करने और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए योजनाओं के आगे उदारीकरण पर राज्य सरकार से परामर्श करके गौर किया जा रहा है। चाय बागानों को अतिरिक्त भूमि के आबंटन और बिजली प्रदान करने से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

एयर इण्डिया के जम्बो जहाज का दम दम (कलकत्ता) में उतरना

2448. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि दम दम (कलकत्ता) हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार करने के लिए लाखों रुपये की धनराशि खर्च करने के बाद भी वहां एयर इण्डिया के जम्बो जहाज को न उतारने का क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : एयर इंडिया के 747 सेवाओं के परिचालित न करने का मुख्य कारण कलकत्ता में वहां से आरम्भ होने वाली एवं समाप्त होने वाली अंतर्राष्ट्रीय यातायात की मात्रा-अपर्याप्त होना है। पूर्व तथा पश्चिम के लिये दोनों दिशाओं में यातायात को 707 विमान से जुड़ी हुई उड़ानों से समुचित रूप से पूरा किया जाता है। एयर इंडिया का पिछला अनुभव, जब उस की कलकत्ता से/तक एक साप्ताहिक 707 सेवा थी, प्रकट करता है कि यातायात इस की लागत को पूरा करने के लिये न्यूनतम अपेक्षित यातायात से बहुत कम थी। बोइंग-747 के बहुत महंगी लागत के परिचालन से हानि बहुत हो जाएगी। क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स ने एयर बस का परिचालन शुरू कर दिया है कलकत्ता से/तक विमान क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। तथा एयर इंडिया द्वारा 747 के अतिरिक्त परिचालनों का परिणाम क्षमता से अधिक की स्थिति में काफी अपव्ययी तथा महंगा होगा।

विदेशों से पश्चिम बंगाल को मछली सप्लाई करने का प्रस्ताव

2449. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल में मछली सप्लाई करने के लिए अथवा राज्य के समुद्र तट पर तथा तट से दूर मछली पकड़ने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पश्चिम बंगाल की सरकार को किसी भी विदेश ने ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं की।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय फर्मों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श

2450. **श्री हरि विष्णु कामथ :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय फर्मों और कम्पनियों के कुछ प्रतिनिधियों ने हाल ही में उनसे विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार विमर्श का रूप और विषय क्या था ;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय फर्में देश में निरन्तर कार्य करती रहेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) बिजनैस इंटरनैशनल द्वारा बुलाये गए गोल मेज सम्मेलन में व्यापार, विकास और पूंजी निवेश के लिए अपनाई जाने वाली सरकारी नीतियों के बारे में अनौपचारिक रूप से चर्चा की गयी थी। सरकार की नयी औद्योगिक नीति और विदेशी पूंजी निवेश को सौंपी गयी भूमिका के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिए गए थे।

(ग) और (घ) पहले से कार्यरत विदेशी कम्पनीयों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निदेशों का पालन करना होगा और उन्हें अपने अनिवासी शेयरों में निर्धारित स्तरों तक कमी करनी होगी। उन्हें, अन्य कानूनों, नियमों और विनियमों की परिधि में रहते हुए ही कार्य करना होगा।

Export of H.P.S. Groundnut Kernel

2451. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Commerce** and **Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether H.P.S. (Hand Picked and Selected) Groundnut Kernel was exported to foreign countries through Indian Oil and Products Association, Bombay, if so, the quantity thereof exported through it during the last five years, year-wise ;

(b) the number of members of the Association and the places at which they are working;

(c) the quantity of groundnut kernels in tonnes exported by each company or individual during the last five years, year-wise; and

(d) the action proposed to be taken by Government to put a ceiling on the export of H.P.S. groundnut Kernel by a Company or an individual or a Government organisation ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir. Export of HPS Groundnuts in the last five years had been as follows ;

HPS Groundnut exported

(In '000' tonnes)

Year	Kernels	In shell	Total
1972-73	18.59	2.88	21.47
1973-74	73.54	9.14	82.68
1974-75	47.29	8.43	55.72
1975-76	107.09	5.71	112.80
1976-77	122.81	13.73	136.54

(b) IOPEA has 120 ordinary and 519 Associate Members and they operate mainly in and around groundnut growing States.

(c) Individual export-wise statistics are not maintained by Government.

(d) It has been decided not to allow export of HPS Groundnuts against 1977-78 crop and therefore the question of imposing exporter-wise ceiling does not arise.

Non-Acceptance of Low Denomination Notes by S.B.I. and State Bank of Saurashtra in Rajkot and Gujarat

*2452. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Bank of India and the State Bank of Saurashtra in Rajkot and other cities of Gujarat do not accept notes of denomination viz., one-rupee, five-rupee and ten-rupee notes issued by other banks and this issue was discussed in a Seminar of all the urban banks of Saurashtra region held in Rajkot in December, 1977;

(b) if so, reasons for not accepting such notes by the said banks; and

(c) what action Government propose to take in this regard and when?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) There was only one instance of non-acceptance of small denomination notes recently by the State Bank of Saurashtra, Surendranagar Branch. The issue was discussed in the Seminar of all the Urban Banks of Saurashtra region held at Rajkot in December, 1977.

(b) This was on account of accumulation of soiled notes at that branch.

(c) The accumulation was immediately removed and the concerned branch and its head office suitably advised.

Boeing service for Saurashtra-Kutch region of Gujarat

2453. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:.

(a) whether Boeing service has not been introduced at Rajkot, Porbandar, Jamnagar, Kashod, Bhuj etc. airports except Bhuvnagar airport of Saurashtra-Kutch region of Gujarat and the reasons therefor;

(b) the names of the airports of Saurashtra-Kutch region where Boeing service will be introduced and when ; and

(c) whether Government have formulated any programme in this regard and if so, the details thereof and if not, when it will be formulated?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a), (b) & (c) The operation of Boeing-737 on these routes depends upon traffic demand, suitability of air-fields and availability of air craft resources. At present the Indian Airlines fleet is commited to the existing schedule. However, the Corporation is considering the feasibility of introducing a Boeing -737 service between Bombay and Jamnagar as part of its 1978 Winter Schedule.

Export of Mangoes

2454. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the value and quantity, in tonnes of mangoes exported during 1974-75, 1975-76 and 1976-77, year-wise;

(b) the target set for the export thereof for 1977-78 and the extent to which export has already been made ;

(c) the target fixed for the year 1978-79 ; and

(d) the countries to which mangoes are exported ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Export figures are given below :—

Qty. in tonnes
Value in Rs. lakhs

Year	Quantity	Value
1974-75	1618	68.35
1975-76	3905	161.40
1976-77	3443	197.59

(b) The target set for export of mangoes during 1977-78 was 3,400 tonnes. Export figures for 1977-78 have not yet been compiled. However, exports during the period April-June, 1977 was as under :—

Qty. (Tonnes)	Value (Rs.lakhs)
1748	176.69

(c) Export target in respect of mangoes for 1978-79 has not been fixed.

(d) Mangoes are exported mainly to Dubai, Kuwait, Bahrein, U.K., Qatar, Singapore, Muscat, Abu Dhabi, Iran, Saudi Arabia, Australia. Belgium, France, Hong Kong, Malaysia, Oman, Switzerland, U.S.S.R.

फिल्म अभिनेताओं द्वारा आयकर का भुगतान

2455. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने फिल्म अभिनेता आयकर का भुगतान न करने के दोषी हैं और उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है ;

(ख) जिन फिल्म अभिनेताओं ने पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से आयकर नहीं दिया है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकार उल्ला) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। जिन फिल्मी सितारों की तरफ आयकर की बकाया हो सकता है, उन सभी के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। इसलिए, जिन फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की तरफ 28-2-1978 की स्थिति के अनुसार, आयकर की 10,000 रुपये से अधिक रकम की मांगें बकाया थीं, उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सूचना यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकार द्वारा उद्योगपतियों और व्यापारियों को आर्थिक अपराधों के विरुद्ध दी गई चेतावनी

2456. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद से सरकार ने न्याय निर्णय के पश्चात् उद्योगपतियों और व्यापारियों को कर अपवंचन, तस्करी, जमाखोरी और काला बाजारी जैसे आर्थिक अपराधों के बारे में कुल कितनी बार चेतावनी दी ;

(ख) इन चेतावनियों की क्या प्रतिक्रिया हुई ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) तथा (ग) प्रत्यक्षकर अधिनियमों के अन्तर्गत न्याय निर्णय संबंधी कार्यवाही करने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित ऐसे अन्य कानूनों के अधीन, जिनके अन्तर्गत न्याय निर्णय की व्यवस्था की गयी है, चेतावनी देना दण्ड सम्बंधी परिकल्पित कार्यवाहियों में शामिल नहीं है, हालांकि कुछ मामलों में न्यायनिर्णय की कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी ऐसे मामलों में चेतावनी जारी कर सकता है जिनमें अपराध छोटा हो अथवा तकनीकी स्वरूप का हो। शेष सभी मामलों में, कानून के अन्तर्गत, अवैध माल को जब्त करने, वैयक्तिक दण्ड लगाने तथा आवश्यक होने पर, मुकदमा चलाने की कार्यवाही की जा सकती है।

गांवों में बैंकों का विस्तार

2457. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने गांवों में बैंकों के विस्तार का समर्थन नहीं किया है ;

(ख) क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने में बाधा नहीं पड़ेगी ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

विमान दुर्घटना निकाय के कार्य का समाप्त किया जाना

2458. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान दुर्घटना निकाय के कार्य को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में ऐसा कोई "एयर मिसहैप बॉडी" (विमान दुर्घटना संगठन) काम नहीं कर रहा है। तथापि, श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में गठित की गयी नागर विमानन समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि गंभीर दुर्घटनाओं की जांच का काम जो इस समय नागर विमानन के महानिदेशक को सौंपा गया है नागर विमानन के महानिदेशक का उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिये तथा इसे पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक दुर्घटना जांच आयोग को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये। परन्तु इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि इस आयोग को नियुक्त कर देने के बाद इसके पास करने के लिए बहुत कम काम होगा, तथा क्योंकि बड़ी-बड़ी विमान दुर्घटनाओं के मामलों में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत नियुक्त कर दी जाती है, यह आवश्यक नहीं प्रतीत होता कि पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में अलग से एक दुर्घटना जांच आयोग की नियुक्ति की जाय।

अफीम की खेती

2459. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारत सहित नशीले पदार्थों में अवैध व्यापार में चिन्ताजनक वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या अफीम की अवैध खेती में भी वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उपलब्ध पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार यद्यपि विश्व में औषधि-द्रव्यों का तस्कर पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, परन्तु भारत में अवैध व्यापार की समस्या काफी नियंत्रण में है।

(ख) और (ग) देश में अफीम के उत्पादन के लिए पोस्त की किसी अवैध काश्त के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किये जाने की प्रभावशाली पद्धति और पर्यवेक्षण से अफीम की काश्त पर कड़ा नियंत्रण है तथा अफीम के अवैध माध्यमों में जाने को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

अमरीकी सहायता फिर से प्रारम्भ होना

2460. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी सहायता जो कुछ वर्ष पहले बन्द कर दी गई थी, राष्ट्रपति कार्टर के हाल के भारत के दौरे के पश्चात फिर से प्रारम्भ कर दी गई है ;

(ख) क्या पी० एल०. 480 के अन्तर्गत 270 लाख डालर मूल्य के खाद्य तेलों के आयात के लिए बातचीत को अभी-अभी अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी सहायता फिर से प्रारम्भ करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) पी० एल० 480, शीर्ष 1 के अंतर्गत कृषि वस्तुओं का आयात 1972 में बन्द कर दिया गया था, परन्तु 1975 में यह आयात फिर से शुरू कर दिया गया और हमने 1975, 1976 तथा 1977 में तीन वस्तु करार किए जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

करार की तारीख	वस्तु	मात्रा (मेट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ डालर)
20-3-1975	गेहूं	800,000	1.28
3-5-1976	गेहूं	400,000	8.3
3-2-1977	चावल	100,000	
3-2-1977	सोयाबीन का तेल	50,000	2.6

अभी हाल ही में 2.7 करोड़ डालर के मूल्य का 60,000 मैट्रिक टन सोयाबीन का तेल आयात करने के लिए 27 जनवरी, 1978 को एक और करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) लागत का 5 प्रतिशत नकद अदा किया जाएगा और शेष 95 प्रतिशत एक दीर्घावधिक ऋण के रूप में होगा, जिसकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि के बाद 31 वार्षिक किस्तों में डालरों में की जाएगी। इस ऋण पर पहले दस वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

(घ) जैसा कि उत्तर के भाग (क) और (ख) में बताया गया है, पी० एल० 480 आयात राष्ट्रपति कार्टर की यात्रा के बाद फिर से शुरू नहीं किया गया बल्कि 1975 से बराबर किया जा रहा है।

Areas where Cultivation of Opium was banned

2461. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) names of areas in the country where cultivation of opium was banned after independence ;

6 LSS/78—9

(b) the areas where opium is still grown; and

(c) the reasons for banning its cultivation in some areas but permitting cultivation in others ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) Cultivation of opium poppy was banned in Mahasu and Sirmaur districts of the State of Himachal Pradesh and Bhadarpur pargana of the erstwhile State of Bilaspur with effect from the year 1954-55. It was also banned in Jaunsar-Bawar tehsil of Dehradun District in the State of Uttar Pradesh with effect from the year 1962-63.

(b) At present cultivation of opium poppy is confined to certain traditional growing tracts in the States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh.

(c) The cultivation of poppy for the purpose of production of opium has been confined to the traditionally growing tracts where not only the average yield has been good but because of intensive cultivation, it is easier to exercise proper controls for preventing the leakage of opium into illicit channels. Cultivation of poppy for opium production has been discontinued in the areas referred to in (a) above because of low average yield, sparse cultivation and difficulties in exercising controls due to hilly terrains.

Inadequate Tourists Facilities in Madhya Pradesh

2462. **Shri Y.P. Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no arrangements have so far been made by Government to make available proper and adequate facilities to tourists at some of the most attractive natural tourist spots in Madhya Pradesh such as Cachai waterfall, Orchha, Chitrakoot, Amarkantak, Chitrakoot (Bastar) and Bheraghat and foreign tourist also visit these spots in large number every year; and

(b) whether any special schemes would be implemented by Government to develop the said tourist spots if so, the facilities which would be made available at the said tourist spots?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a) and (b) Accommodation and water supply facilities were provided at Khajuraho, Sanchi and Kanha, and accommodation at Mandu in the Central Sector during the earlier Plan periods. As regards the other centres, facilities to be developed will depend upon the funds provided for Tourism Plan (1978—83) in the Central and State sectors.

Imports from and Exports to U.S.S.R.

2463. **Shri Y.P. Shastri :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) the commodities proposed to be imported from and exported to U.S.S R. during the next three years togehter with the value, thereof, commodity-wise under the Indo-USSR trade agreement signed in September, 1977; and

(b) what will be the mode of payment in regard to these imports as well as exports ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation : (Shri Arif Baig) : (a) The list of items to be imported from and exported to U.S.S.R, under the Agreement between the Government of India and the Government of the U.S.S.R on the mutual deliveries of certain goods in 1978—80, are indicated in the attached statement.

(b) The payments will be made in non-convertible Indian rupees through the Central Account maintained by the U.S.S.R Central Bank with the Reserve Bank of India.

STATEMENT

Statement showing the imports from and exports to the USSR under the agreement on mutal deliveries of certain goods in 1978—80.

Imports from USSR during each of the years 1978—80	Exports to USSR during each of the years 1978—80
1	2
Crude oil	Channels, Merchant carbon steel including angles, deformed bars in coil/ cut-lengths, Plain round bars in coils/ cut-lengths.
	Ordinary cold rolled steel sheets/coils.
	Cold rolled construction steel sheets.
	Galvanised steel sheets Line pipes/ ERW. Wood veneers of tropical wood.
	Goat Skins, Semi-tanned & tanned.
	Raw opium.
	Wire ropes.
	Aluminium power cables.
	Organic dyestuffs.
	Instant coffee.
	Other items included in the Long-Terms Trade Agreement of 15th April, 1976.
Estimated value Rs. 123 crores per years.	Rs. 123 crores per year.

Utilization of Services of Trained Hindi Typists and Stenographers in his Ministry

2454. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of trained Hindi Typists and Hindi Stenographers in his Ministry/ Department at present ;

(b) the number of Typists and Stenographers, out of them, whose services are utilised entirely for Hindi work ;

(c) in case services of such Hindi Typists and Hindi Stenographers are not utilised fully for Hindi work, the reasons therefor ; and

(d) whether any scheme has been formulated to utilise their services for Hindi work, if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Shri Purushottam Kaushik) : (a) to (d) : The total number of typists and stenographers trained in Hindi typing and Hindi stenography in the Ministry of Tourism & Civil Aviation (Main) are 16 and 6 respectively but none of them is doing Hindi typing or Hindi stenography work entirely or fully as none of

these posts has been created exclusively for Hindi work. But 4 typists in the Hindi Section are by and large engaged in Hindi typing work. Likewise one Stenographer is doing mostly Hindi stenography work. Steps have, however, been taken to utilise the services of trained Hindi typists and Hindi stenographers in the Ministry more fully. More Hindi typewriters have been purchased and placed within easy access of all the Sections/Stenographers of the Ministry. Officers have been asked to do more and more work in Hindi and utilise the services of the stenographers trained in Hindi stenography in the Ministry. The Sections have also been asked to do their Hindi typing work in the Section itself with the help of their Hindi trained typists.

प्रीमियर कोआपरेटिव ट्रान्सपोर्ट सोसाइटी, नई दिल्ली की आस्तियां

2465. **श्री महीलाल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रीमियर कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, नई दिल्ली को 30 जून, 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 की आस्तियां कितनी थीं जिसमें अन्य चीजों के साथ-साथ सदस्यता राशि, बैंकों से लिये गये ऋण और उन पर ब्याज पृथक-पृथक वर्षवार की गयी सावधि जमा राशियों तथा उन पर ब्याज और इसके स्वामित्व वाले दो बसों से आय सम्मिलित है ;

(ख) 1974-75, 1975-76, 1976-77 को समाप्त होने वाले वर्षों में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सोसाइटी की देनदारियां विशेषकर (एक) मरम्मत (दो) पैट्रोल तथा लुबरीकेंट (तीन) वेतन (चार) सड़क कर और बीमा प्रीमियम सहित अन्य प्रभार (पांच) मनोरंजन (छ) ऋणों, सावधि जमा राशियों और उस पर ब्याज को पुनः अदायगी और (सात) विविध पदों के संबंध में किये गये भुगतान के संबंध में क्या थीं ?

(ग) रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी दिल्ली द्वारा निर्धारित राशि उधार लिये जाने की सीमा क्या है और क्या इससे अधिक राशि उधार ली गयी है ; और

(घ) क्या वर्ष 1974-75, 1975-76, तथा 1976-77 के लिए सोसाइटी के लेखों का लेखा परीक्षण किया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) मांगी गई सूचना अनुबंध पर दिये गये वितरण में दी गयी है।

(ग) 1.5 लाख रुपये को निर्धारित सीमा से अधिक राशि उधार ली गई है।

(घ) सोसाइटी के वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लेखाओं की परीक्षा हो चुकी है। इसके वर्ष 1966-77 के लेखाओं की परीक्षा करने के लिए एक लेखा परीक्षक लगाया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 1772/78]

उत्पादनशुल्क को युक्ति संगत बनाने के बारे में अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् से ज्ञापन

2466. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् ने दिसम्बर, 1977 में अपनी मांगों के बारे में कोई ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें और मांगे क्या हैं और प्रत्येक बात पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) उत्पादन शुल्क को युक्ति संगत बनाने के लिये अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् द्वारा क्या प्रस्ताव पेश किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परिषद ने चलचित्रों के प्रिंटों पर उत्पादन शुल्क पूर्णतः समाप्त करने और अन्य ऐसे तरीकों का पता लगाने का सुझाव दिया है जिससे कोई ज्यादा भार डाले बिना फिल्म उद्योग से राजस्व प्राप्त हो सके। सरकार ने, उपर्युक्त सुझाव स्वीकार्य नहीं पाया था। फिर भी, 1978 के बजट में फिल्म उद्योग को शुल्क में कुछ राहतें दी गई हैं, जिनके ब्यौरे वित्त विधेयक, 1978 के उपबन्धों के स्पष्टीकरण ज्ञापन में निहित हैं, जो 28 फरवरी, 1978 को वित्त विधेयक पेश करते समय लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

आपात काल के दौरान आयकर विभाग द्वारा रिहायशी समृद्ध कालोनियों का किया गया सर्वेक्षण

2467. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान आयकर विभाग ने बड़े शहरों की रिहायशी समृद्ध कालोनियों का सर्वेक्षण किया था;

(ख) क्या आयकर अधिनियम, 1961 अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किये बिना ही यह सर्वेक्षण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन छापों और सर्वेक्षण को किसने प्राधिकृत किया था और इनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये है कि आयकर विभाग के अधिकारी बिना किसी समुचित कानूनी अधिकार के नागरिकों के रिहायशी मकानों में प्रवेश न करें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) जी, हां। सरकार ने जुलाई से सितम्बर 1975 और जून से दिसम्बर 1976 के दौरान अपेक्षाकृत बड़े शहरों की समृद्ध बस्तियों का विशेष सर्वेक्षण बस्ती द्वारा सर्वेक्षण कराने के लिए आदेश दिया था।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 133-क, आयकर अधिकारियों को व्यापारिक परिसरों का कतिपय प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण करने की शक्तियां प्रदान करता है। इस अधिनियम में इस प्रकार के कोई उपबन्ध नहीं है जिनके अधीन आयकर अधिकारी सम्बन्धित दखलदार के सहयोग के बिना सर्वेक्षण के लिए रिहायशी स्थानों में घुस सके।

(ग) आवासीय परिसरों का उनमें रहने वाले लोगों के सहयोग से सर्वेक्षण सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया था। इसलिए, सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) विशेष सर्वेक्षण दस्तों द्वारा आवासीय परिसरों का सर्वेक्षण अब नहीं किया जा रहा है; यह तो केवल जुलाई से सितम्बर 1975 और जून से दिसम्बर, 1976 के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा दिये गये प्राधिकार के अनुसार किया गया था। इसलिये सावधानी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

चिट फंड कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

2468. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और अनेक राज्य सरकारों को देश भर में अनेक चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा बेईमानी, कुप्रशासन, लोगों को ठगने तथा धोखा किये जाने के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या चिट फण्ड कम्पनियों के फेडरेशन ने वित्त मन्त्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले प्रबन्ध, प्रशासन और वित्त वितरण पर नियंत्रण करने हेतु उसके द्वारा प्रस्तावित कानून के सुधार का भी समादेश है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार ने इन सुझावों पर ध्यान दिया है ।

कोहिनूर मिल्स और नेशनल रेयन कारपोरेशन को ऋण, देयताएं तथा बैंक ऋण

2469. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) कोहिनूर मिल्स (दो) नेशनल रेयन कारपोरेशन ने अपनी कुल आस्तियों के बदले कुल कितना ऋण देयताएं और बैंक ऋण प्राप्त किया है ;

(ख) उपरोक्त ऋण/उधार अथवा अग्रिम धनराशि में से कितनी धनराशि राष्ट्रकृत बैंकों से प्राप्त की गई, किन बैंकों से और कितनी-कितनी प्राप्त की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ फर्मों से, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से लिये गये ऋण और अग्रिम धनराशि के बोझ को काफी कम कर सकती है, नेशनल रेयन के शेयर खरीदने की पेशकश सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार कपाड़िया परिवार के मामलों की पूरी जांच कर रही है जिसने आपतस्थिति के दौरान अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त किया था ; और

(ङ) क्या सरकार नेशनल रेयन और कोहिनूर मिल्स को बन्द होने से रोकने के उपाय करने और इन कृत्यों और वित्तीय हेराफेरी के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड और नेशनल रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड के तुलनपत्रों के अनुसार उनकी कुल परिसम्पतियां, देनदारियाँ और लिये गए ऋणों की राशि की 31-3-1977 तथा 21-12-1976 की स्थिति क्रमशः नीचे लिखे अनुसार थी :—

1. कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड

	(लाख रु० में)	
(1) कुल परिसम्पत्तियां	24,90.23	(1266.14 लाख रुपये की अब तक हुई कुल हानि सहित)

	(लाख रुपये में)	
(2) चालू देनदारियाँ तथा प्रावधान	6,35.25	(जिनमें से चालू देनदारियां 634.99 लाख)
(3) लिये गये ऋणों की राशि		
(1) जमानत पर लिये गये ऋण :		
(1) बैंकों से . .	15,67.81	
(2) अन्य स्रोतों से	46.01	
(2) गैर-जमानती ऋण :		
(1) बैंकों से . .	37.26	
(2) अन्य स्रोतो से .	50.65	
कुल ऋण राशि . .	1701.23	

2 नेशनल रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड		
(1) कुल परिसम्पतियां .	39,42.80	
(2) चालू देनदारियाँ तथा प्रावधान	12,73.81	(जिसमें से चालू देनदारियां 829.82 लाख)
(3) लिये गये ऋणों की राशि :		
(1) जमानत पर लिये ऋण		
(1) बैंकों से .	5,37.36	
(2) अन्य स्रोतों से	2,61.10	
(2) गैर-जमानती ऋण :		
(1) बैंकों से . .	—	
(2) अन्य स्रोतों से . .	4,11.08	
कुल ऋण राशि . . .	12,09.54	

कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड का बैंक सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया है। नेशनल रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड के बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, देना बैंक, कनारा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक हैं ; इन बैंकों ने कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड और नेशनल रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड को कुछ कार्यकारी पूंजी विषयक सुविधायें प्रदान की हैं जिनमें बैंक की ऋण राशियां जैसी कि ऊपर दिखाई गयी हैं, शामिल हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 108 क और एस० 372 (4) के अधीन मोदीपोन लिमिटेड द्वारा नेशनल रेयन के 150,000 साम्या शेयरों के अधिग्रहण के लिए कम्पनी कार्य विभाग को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। शेयरों के स्वामित्व में परिवर्तन से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) और (ङ) कपाडिया परिवार के सदस्य नेशनल रेयन और कोहिनूर मिल्स के प्रबंधकों में नहीं है। सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन नेशनल रेयन में निदेशक नियुक्त कर दिये गये हैं और कोहिनूर मिल्स के प्रबंध को सैण्ट्रल बैंक द्वारा जुलाई 1976 से पूर्णतया व्यवसायिक बना दिया गया है। कम्पनी कार्य विभाग ने कोहिनूर मिल्स लिमिटेड और नेशनल रेयन कम्पनी के बारे में कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ, इन दोनों ही कम्पनियों को वित्तीय और तकनीकी रूप से पुनः स्थापित करने के लिये नेशनल रेयन को दीर्घकालीन सहायता की स्वीकृति और कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को उदार शर्तों पर ऋणों की पर्याप्त राशि देने पर विचार सहित बहुत से उपाय किये गये हैं। ये दोनों ही कम्पनियां बराबर चल रही हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कम ब्याज पर ऋण देने सम्बन्धी योजना के मानदंड

2470. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कम ब्याज पर ऋण देने संबंधी योजना के मानदण्डों को आसान बनाने का निर्णय किया है जिससे बड़े व्यापार गृहों को अपने संकटग्रस्त एककों के लिये रियायती दर पर धन प्राप्त हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली आसान शर्तों पर ऋण (सोफ्ट लोन) योजना का उद्देश्य सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, सीमेंट और कुछ इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादक एककों को रियायती दर पर वित्त तथा अन्य प्रोत्साहन देना है, ताकि वे अपने संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन और नवीकरण का बकाया काम पूरा कर सकें, जिससे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके और वे अपनी प्रतियोगितात्मकता को बढ़ा सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वित्तीय संस्थाओं ने सरकार के परामर्श से निर्णय किया है कि कमजोर एककों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाये तथा ऋण मंजूर करने के मापदण्ड अर्थात् ऋण और साम्या अनुपात प्रवर्तकों का अंशदान, मार्जिन आदि को भी अलग-अलग मामलों के आधार पर उदार बनाया जाये। इन मापदण्डों को लागू करते समय वित्तीय संस्थाएं समग्र बातों का ध्यान रखती हैं जैसे उद्यमकर्त्ता द्वारा जुटाई गई पूंजी, जिस प्रतिष्ठान/समूह का वह है, उसके पास के साधन आदि। इस प्रकार एक सम परिस्थितियों में बड़े गृहों के कमजोर एककों पर अधिक कड़े मापदण्ड लागू किए जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि

2471. **श्री सरत कार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को हुई कुल हानि के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 1976-77 के दौरान 43 उद्यमों ने 147 करोड़ रुपये का निवल घाटा उठाया । घाटा उठाने वाली प्रमुख कम्पनियां ये थीं :—

कम्पनी का नाम	घाटे की रकम
	(करोड़ रुपयों में)
1. कोल इण्डिया लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियां	47
2. फर्टिलाइज़र एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड	14
3. इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	15
4. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया	34

मांग कम होने के कारण कोल इण्डिया लिमिटेड में उत्पादन की गति धीमी रही तथा बिजली की कटौती का भी कोयला क्षेत्रों के कार्य संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ा । सरकार द्वारा किये गये मूल्य निर्धारण के साथ-साथ लागत बढ़ जाने का भी वित्तीय परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । उर्वरक कम्पनियों का भी कार्य-निष्पादन मुख्यतः लागत वृद्धि और मूल्य नियंत्रण के कारण कम रहा। इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन फिर से कम रहा तथा कम्पनी द्वारा अपने पुराने संयंत्र और मशीनों के नवीकरण के लिये प्राप्त ऋणों पर भारी ब्याज-प्रभार का इसकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा ।

विदेशों का दौरा करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि

2472. **श्री सरत कार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 और 1977-78 में विदेशों का दौरा करने वाले भारत के तीस बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रतिनिधि को कितनी विदेशी मुद्रा की राशि मंजूर की गई; और

(ग) इस प्रकार किये गये प्रत्येक दौरे का प्रयोजन क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तानी कोयले की उपयुक्तता का निर्धारण

2473. **श्री सरत कार** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी कोयले की उपयुक्तता का निर्धारण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमेरीका से पुराने ठेकों के कारण भारत को हानि

2474. **श्री सरत कार** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी डालर के मूल्य में कमी होने के कारण अमरीका को पुराने ठेकों के आधार पर निर्यात करने के कारण भारत को चालू वित्तीय वर्ष के गत पांच महीनों में कम से कम 25 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने अक्तूबर में दरों को कम कर दिया था लेकिन पुनरीक्षित दरें घोषित नहीं की थीं ; और

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सरकार को प्रत्येक मद पर हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ग) अमरीकी डालरों के रूप में व्यक्त निर्यात संविदाओं के मामले में रुपये-अमरीकी डालर विनिमय दर में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के कारण संबंधित निर्यातकों को हस्तगत होने वाली रुपया प्राप्ति में कमी होगी । किन्तु अमरीकी डालर आय वही रहेगी जो निर्यात संविदा में बताई गई है । निर्यात संविधाएं पूरे किए जाने तथा वास्तविक निर्यात प्राप्ति के बीच अलग-अलग अन्तर होने के कारण इस दृष्टि से पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा बताना संभव नहीं होगा ।

(ख) भारत ने 25 सितम्बर, 1975 से पौंड स्टर्लिंग के साथ रुपये का विनिमय दर जोड़ने की पुरानी परिपाटी छोड़ दी है और उसके बदले हमारे प्रधान व्यापार साझेदारों की बास्केट मुद्राओं के संदर्भ में रुपये के विनिमय मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली अपना ली है । सरकार रुपये की विनिमय दर में दैनिक उतार चढ़ाव पर निगरानी रखती है और जब कभी बास्केट मुद्राओं के अनुरूप रुपये की विनिमय दर बहाल करने के लिए कोई उपचारात्मक कार्यवाही आवश्यक होती है तो रुपया स्टर्लिंग दर में आवश्यक समायोजन कर दिया जाता है । नई प्रणाली के प्रारंभ से अब तक इस प्रकार के 10 समायोजन किए जा चुके हैं और नवीनतम समायोजन पहली नवम्बर, 1977 को किया गया था जबकि रुपया स्टर्लिंग दर एक पौंड-15.20 रुपये से बदलकर एक पौंड-15.75 रुपये की गई थी । सरकार द्वारा विनिमय दर स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और किसी पुनरीक्षण का प्रश्न तभी उठेगा जब कि ऐसा परिवर्तन विनिमय दर मूल्यांकन की बास्केट प्रणाली के ढांचे के भीतर आवश्यक हो जाये ।

हालांकि मूल्यांकनों की विनिमय दर की बास्केट प्रणाली के फलस्वरूप किसी एकल मुद्रा द्वारा अनावश्यक रूप में प्रभावित हुए बिना हमारे मुख्य व्यापार साझेदारों की मुद्राओं में उतार-चढ़ाव के अनुरूप विनिमय दर बनाई रखी जा सकी है फिर भी प्रधान मुद्राओं को फ्लोट करने की विशेषता वाले वर्तमान विश्व मुद्रा शासन में रुपये की विनिमय दर पर विदेशों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर पड़ने की संभावना रहती है । इस प्रकार जब तक विश्व की प्रधान मुद्राएं फ्लोट होती रहती हैं तब तक सभी देशों की मुद्राओं के जिनमें भारत की मुद्रा भी शामिल है, सौदे विनिमय दरें बढ़ाने तथा गिराने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होते रहेंगे । इसे देखते हुए किसी विशेष मुद्रा के संदर्भ में निर्यात सौदों के कारण हानि का, यदि कोई हो तो, हिसाब लगाना कठिन होगा ।

अधिक मूल्यवान अभ्रक की किस्मों का कम मूल्यों पर निर्यात

2475. **श्री के० ए० राजन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्राइवेट अभ्रक व्यापारियों द्वारा अत्यधिक प्रतियोगिता होने के कारण महत्वपूर्ण तथा अधिक मूल्यवान अभ्रक की किस्मों का कम मूल्यों पर निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सम्पूर्ण अभ्रक व्यापार को अभ्रक व्यापार निगम के अन्तर्गत लाने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है कि हमारा मूल्यवान अभ्रक का अलाभकर मूल्यों पर निर्यात न किया जाये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार की जानकारी के अनुसार, सामरिक महत्व तथा उच्च मूल्य वाली किस्मों की अभ्रक का निर्यात सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम कीमतों से कम कीमतों पर नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) यदि सम्पूर्ण व्यापार नहीं, तो साधित अभ्रक का निर्यात पहले ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से भागीकृत है । इसी प्रकार यह ध्यान रखा जाता है कि अभ्रक का निर्यात लाभप्रद कीमत से कम पर न हो ।

सोने का आयात

2476. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सोने की तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए सोने का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय सोने के मूल्यों में क्या अन्तर है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) सोने की तस्करी से निपटने के लिये निवारक उपायों के अलावा, सरकार ने अपने सोने के भण्डार से बिक्री शुरू करने का निर्णय किया है । सरकार ने निर्यात के लिए सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने के आयात की अनुमति देने का निर्णय भी किया है । फरवरी, 1978 के दौरान देश में सोने का औसत मूल्य 683.15 रुपये प्रति 10 ग्राम था और लंदन में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 178.20 डालर प्रति ट्राय आउंस था ।

भारतीय हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को उतारने और वहां खड़े करने के शुल्क

2477. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को उतारने और वहां खड़े करने के शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इससे प्रति वर्ष अनुमानतया कितनी आय होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास विमान क्षेत्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अवतरण प्रभारों में 1-4-1978 से 35 प्रतिशत की वृद्धि का एक प्रस्ताव भेजा है। पार्किंग प्रभारों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यातायात के वर्तमान स्तर पर 4.66 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आय होने की आशा है।

भारतीय होटल उद्योग में विदेशी सहयोग पर रोक का प्रस्ताव

2478 श्री मनोरंजन भक्त: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी नई होटल परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं और इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय होटल उद्योग में विदेशी सहयोग पर रोक लगाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) पर्यटन विभाग द्वारा प्राइवेट एवं सरकारी क्षेत्रों में 72 नयी होटल परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) होटल उद्योग में विदेशी सहयोग के लिये प्रस्तावों पर सरकार की नयी औद्योगिक नीति में विदेशी अर्थ विनियोजन के लिये निश्चित किये गये कार्य के आधार पर विचार किया जाता है। विशिष्ट रूप से विदेशी पार्टी द्वारा होटल की प्रबंध व्यवस्था में सम्मिलित होने के विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जा रही है।

विदेशों में नियुक्तियों के बारे में एयर इंडिया द्वारा अपनाई जाने वाली कसौटी

2479. **डा० भगवान दास राठौर**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा विदेशों में नियुक्तियों के मामले में क्या कसौटी अपनाई गई ; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितने असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंट, चीफ ट्रैफिक असिस्टेंट और ट्रैफिक असिस्टेन्टों की श्रेणी के कर्मचारियों की विदेशों में नियुक्तियां की गईं और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) एयर इंडिया द्वारा विदेशों में नियुक्तियों के लिए अपनाई जाने वाली कसौटी अधिकारियों के कार्य का रिकार्ड तथा संबंधित पद के कार्य क्षेत्र में उसकी उपयुक्तता एवं पर्याप्त अनुभव होते हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ग	1975			1976			1977		
	सामान्य	अनु०जा०	अनु०जनजा०	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजा०	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजा०
सहायक स्टेशन अधीक्षक	2			2		..	1		1
मुख्य यातायात सहायक/यातायात सुपरवाइजर	..			2			1		..
यातायात सहायक	..	..	..	.	.	..	1	..	..

Reserved Quota in Departments, Offices and Bodies under the Ministry of Tourism and Civil Aviation

2480. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the percentage by which reserved quota in various services has been completed in all the departments, offices, bodies International Airport Authority, Corporations etc. under the Ministry ;

(b) whether forty-point roster is in force in these establishments ; and

(c) the categories of posts not included in the roster ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a), (b) and (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha as soon as it becomes available.

"कोफेपोसा" का प्रवर्तन

2481. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 7 फरवरी, 1978 के "पेट्रियट" में प्रकाशित यह समाचार सच है कि वित्त राज्य मंत्री ने कलकत्ता में बताया था "कि पश्चिम बंगाल सरकार "कोफेपोसा" के प्रवर्तन के लिये सहमत नहीं थी परन्तु वह संघ सरकार द्वारा इसके जब आवश्यक हो, प्रवर्तन के विरुद्ध नहीं है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने इस दृष्टिकोण के समर्थन में क्या कारण बताये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) वित्त राज्य मंत्री ने कलकत्ता में 6 फरवरी, 1978 को अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार, चूंकि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को लागू करने के लिये तैयार नहीं थी, इसलिए पश्चिम बंगाल राज्य में उक्त अधिनियम लागू करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार की राय है कि सभी अपराधियों पर कानूनी कार्यवाही केवल सामान्य कानून के अन्तर्गत की जानी चाहिए और निवारक नजरबन्दी का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए ।

सभी वस्तुओं के निर्बाध आयात की अनुमति के द्वारा तस्करि को समाप्त करना

2432. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (पेट्रियट दिनांक 7 फरवरी, 1978 में प्रकाशित) यह समाचार सच है कि वित्त राज्य मंत्री ने कलकत्ता में यह बताया था कि "सरकार द्वारा आयात को उदार बनाने और आयात शुल्क कम करने के कारण देश में तस्करी में कमी हो रही है;" और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की यह नीति है कि सभी वस्तुओं के निर्बाध आयात की अनुमति के द्वारा तस्करी को पूरी तरह से समाप्त किया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) वित्त राज्य मंत्री ने कलकत्ता में कहा था कि आपात स्थिति हटा लिये जाने पर 2,000 से ऊपर तस्करों को छोड़ दिये जाने के बावजूद, तस्करी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण बना हुआ है । गत वर्षों के मुकाबले 1977 के दौरान पकड़े गये माल के मूल्य में गिरावटी रुख दिखाई दिया । निवारक और गुप्त सूचना संग्रह तंत्र को सुदृढ़ करने और सरकार द्वारा लिये गये कतिपय आर्थिक उपायों के परिणामतः यह संभव हो सका था । इन आर्थिक उपायों में आयात को उदार बनाना और तस्करी की संभावना वाली कतिपय वस्तुओं पर सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कम करना/हटाना शामिल है । जब कभी आवश्यक समझा जायगा ऐसे उपाय भविष्य में भी किये जायेंगे ।

"पालिसी कंफ्यूशन सेट्स विस्कास फाइवर इम्पोर्ट्स" शीर्षक समाचार

2433 **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस समाचार में कोई सच्चाई है जो "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" दिनांक 10 फरवरी, 1978 में प्रकाशित हुआ कि केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रियों के बीच समन्वय न होने के कारण तथा आयात नीति में अचानक तथा गलत परिवर्तनों के कारण "पालिसी कंफ्यूशन सेट्स विकास फाइवर इम्पोर्टस्" की स्थिति है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : जी नहीं ।

गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी निवेश

2434. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में देश के पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र से आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों में गैर-सरकारी पूंजी निवेश हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) सरकार की यह नीति रही है कि पिछड़े क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाये ताकि अधिकाधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके । इस नीति के अनुसरण में, अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थायें 1970 से, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की योजनायें चलाती रही हैं, इनमें कम ब्याज दर, लम्बी प्रारम्भिक कृपा-अवधि (ग्रेस पीरियड) तथा ली नहीं गई शेष राशि पर कम वचनबद्धता प्रभार योजनायें शामिल हैं।

(घ) यद्यपि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश से संबंधित संक्षिप्त सूचना उपलब्ध नहीं है, फिर भी पिछड़े इलाकों में निहित क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता, आमतौर से इन इलाकों में किये जाने वाले निवेश की मात्रा का सूचक होती है। दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े जिलों में, गैर सरकारी क्षेत्र के एककों को स्वीकृत की गई सहायता की राज्यवार सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों/इलाकों में अवस्थित गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता की 31-12-1977 की स्थिति

राज्य	(लाख रुपयों में) स्वीकृत सहायता की 31-12-77 की स्थिति
1. आंध्र प्रदेश	3785.00
2. आसाम	724.00
3. बिहार	2117.00
4. गुजरात	4966.00
5. हरियाणा	1604.00
6. हिमाचल प्रदेश	758.00
7. जम्मू और काश्मीर	993.00
8. कर्नाटक	5791.00
9. केरल	2685.00
10. मध्य प्रदेश	2435.00
11. महाराष्ट्र	4492.00
12. मणिपुर	37.00
13. मेघालय	142.00
14. नागालैंड	44.00
15. उड़ीसा	1319.00
16. पंजाब	1700.00
17. राजस्थान	3314.00
18. तमिलनाडु	6226.00
19. त्रिपुरा	52.00
20. उत्तर प्रदेश	3387.00
21. पश्चिम बंगाल	4455.00
22. संघ शासित क्षेत्र	7653.00
कुल	58679.00

मितव्ययिता बरतने के लिए सरकारी उपक्रमों द्वारा की गई कार्यवाही

2485. **श्री दुर्गाचन्द:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक केन्द्रीय सरकारी उपक्रम अनुत्पादक मदों पर अनुपयोगी व्यय कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने विभिन्न सरकारी उपक्रमों को अनुदेश जारी किये है अथवा जारी करने का विचार है कि वे अपने कार्यकरण में मितव्ययिता बरतें;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) वर्ष 1977 के दौरान मितव्ययिता बरतने के लिये सरकारी उपक्रमों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम रहे ; और

(ङ) मितव्ययिता बरतने के परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी उपक्रमों को वर्ष 1977 में कुल कितनी बचत हुई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ उपक्रम अनुत्पादक मदों पर बेकार खर्च कर रहे हैं । सभी उद्यम ज्यादा से ज्यादा किफायत बरतने तथा उनके द्वारा नियोजित संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की आवश्यकता को भलीभांति समझते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग), (घ) और (ङ) सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों का मुख्य उद्देश्य है--फालतू कर्मचारियों, कार्यालय संबंधी फुटकर खर्च, यात्रा भत्ता, उद्योगेत्तर समयोपरि भत्ता, विदेश यात्राओं आदि में कमी करना । कार्यालय तथा रिहायशी इमारतों के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है । सरकारी उद्यमों को इन अनुदेशों का पालन करना पड़ता है । यद्यपि इन उपायों के लागू करने से कुल कितनी बचत हुई, इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना तो कठिन होगा, किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण मौजूद हैं कि इनसे काफी बचत हुई है । इस बचत के अलावा सरकारी उद्यमों ने अपना कार्य निष्पादन सुधारने तथा अपने निजी वित्त पोषण और सामान्य राजस्व में पर्याप्त अंशदान करने के लिये भी प्रयत्न किये हैं।

यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, पटना में कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाना

2486. **श्री मदनलाल शुक्ल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, पटना में बैंक कर्मचारी संघों के कुछ सदस्यों को मकान बनाने के लिये ऋण दिये गये हैं जबकि उन्होंने मकानों के लिये भूमि खरीदी ही नहीं थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता की जांच करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यूनाइटेड कामर्शियल बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की पटना शाखा के उसके कर्मचारियों को मंजूर किये गये आवास ऋण बैंक की कर्मचारी आवास ऋण योजना के अनुरूप हैं और ऐसा कोई नहीं है जिसे गृह निर्माण के लिए ऋण मंजूर किया गया हो और वह इस प्रयोजन के लिए जमीन न खरीद सका हो ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1973-74 के लिए काफी बोर्ड के लेखे

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : श्री आरिफ बेग की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

काफी बोर्ड के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1745/78]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री कृष्ण कुमार गोयल: मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1746/78]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं और यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1976 का वार्षिक प्रतिवेदन और उससे सम्बद्ध विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 25 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 444 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1978, जो दिनांक 25 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 445 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1747/78]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण*) की एक-एक प्रति :—

(एक) यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1748/78]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सिक्किम के विलय के बारे में प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : श्रीमान, मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य कि सिक्किम का विलय गलत था।"

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): सिक्किम के सवाल पर प्रैस के साथ मेरी भेंटवार्ता और अखबारों में छपी खबर पर माननीय सदस्यों को चिन्ता हुई है। मैंने इसे 'बलात मिलाये जाने' की बात नहीं कही है, विलय की बात कही थी। संवाददाता के एक खास सवाल के जवाब में मैंने यह कहा था कि विलय का तरीका अवांछनीय था। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इसे रद्द नहीं किया जा सकता। मैंने विलय के तरीके के संबंध में अपनी राय जाहिर की है। विलय के समय भी मैंने ऐसा कहा था और तब से मैंने ऐसा ही कहा है। मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि वांछनीय उद्देश्यों को भी उस तरीके से हासिल नहीं किया जाना चाहिए जिसकी अनावश्यक रूप से आलोचना हो और जिससे शंका पैदा हो।

सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है यह एक दृढ़ सत्य है। इसे खत्म करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने चोग्याल को यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना चाहिए और यही बात खास तौर से मैंने प्रैस के साथ अपनी भेंटवार्ता के दौरान दोहराई थी।

श्री सौगत राय : मुझे खुशी है कि प्रधाममंत्री जी ने समामेलन शब्द का प्रयोग नहीं किया यद्यपि कल के टाइम्स आफ इंडिया में ऐसा ही छपा है। वैसे तो इस विषय पर सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा जाना चाहिए था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधान मंत्री ने देश के अभिन्न अंग को मिलाये जाने का विरोध किया हो चाहे यह व्यक्तिगत राय ही क्यों न हो। यह 36वें संविधान संशोधन के भी विरुद्ध है जिसे सभा ने पारित किया था।

श्री मोरारजी देसाई: मैंने सभा में ऐसा नहीं कहा। श्री श्यामनन्दन मिश्र ने जो मेरे दल के उपनेता हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा था।

श्री सौगत राय : 4 सितम्बर, 1974 को सभा में संविधान के 36वें संशोधन पर चर्चा हुई थी। उस समय न तो प्रधान मंत्री उसके विरुद्ध बोले थे और न ही श्री श्यामनन्दन मिश्र ने इसके विरुद्ध मत दिया था।

लगता है प्रधानमंत्री जी नेपाली भावी लोगों के विरुद्ध हैं, जो सिक्किम में कुल जनसंख्या का 72 प्रतिशत हैं। इससे उन लोगों के मन में भी कुछ भ्रान्तियां पैदा हो गई हैं। प्रधानमंत्री नेपाली भाषा के भी विरुद्ध हैं। क्या प्रधानमन्त्री जी अपने कथन पर खेद प्रकट करेंगे?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे खेद है कि सदस्य महोदय ने भाषा के बारे में बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाये हैं। मैं किसी को नापसन्द नहीं करता। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं कहीं। वे ऐसी बातें क्यों कहते हैं?

(व्यवधान)

मैंने ऐसा वक्तव्य कभी नहीं दिया भले ही आप उन लोगों से पूछ लें। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं हर दृष्टि से गांधीवादी हूं। सत्य कहने से मैं दुनिया भर से भी नहीं डरना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा अपने लिए कहा। यदि आप यह समझते हैं कि मैं राष्ट्र की ओर से बोला हूं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। **(व्यवधान)**।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : प्रधान मन्त्री कोई वक्तव्य किसी विदेशी को प्रधान मंत्री की हैसियत से देते हैं तो उन्हें गलत समझा जा सकता है **(व्यवधान)**। राष्ट्र सर्वोपरि है और प्रधान मंत्री को स्पष्टीकरण करना चाहिए और उन्हें सदन से क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : इस प्रकार की गलत बात के लिए मैं तो क्षमा मांगने को नहीं कह सकता क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं है (**व्यवधान**)। मैंने एक बात कभी कही हो और आज मुझसे कोई पूछे तो यह कहना होगा कि हां मैंने यह कहा था। सदस्य महोदय कुछ भी कहें मैं अपनी बात पर अटल हूँ **(व्यवधान)**।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : The utterance of the Prime Minister regarding Sikkim have created misunderstanding but it must be seen in the context in which it was done.

There are no two opinions that the merger of Sikkim was correct. But we should also see how it was done. For this, we should also see the opinions expressed in the world press. Almost the entire world press criticised it.

श्री वयालर रवि (चिरयंकिल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संसद देश की प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार है और उसे इस प्रकार के कथन की उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री कंवलर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह बड़ा नाजुक मामला है। प्रधान मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और इससे राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

Dr. Ramji Singh : Whether there were irregularities on the merger of Sikkim in the Assembly ?

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

यह सही है कि सदस्य को सदन में अपनी बात कहने का अधिकार है परन्तु क्या वह राष्ट्र के हितों के विरुद्ध भी कुछ कह सकता है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस सम्बन्ध में और उत्तेजना पैदा नहीं करना चाहता और इसलिए अब मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में आपको राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : क्षमा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम सदन का बहिष्कार करेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए

Shri Yeshwantrao Chavan and some others hon. Members left the House

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : हमारे दल का यह मत है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। हमें यह देखकर बड़ा दुःख हुआ है कि प्रधान मंत्री महोदय मामले की गम्भीरता को नहीं समझ रहे

हैं। जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होता है तो उसे कुछ बन्धन में रहना पड़ता है और किसी विदेशी पत्रकार से बातचीत करते समय जब किसी ऐसे मामले के बारे में कोई टिप्पणी दी जाती है, जिसका सम्बन्ध देश के संविधान और जिसमें देश की आन्तरिक स्थिति का मामला निहित होता है, तो उन्हें उस टिप्पणी या वक्तव्य को व्यक्तिगत रूप में दिया गया नहीं समझना चाहिये।

दूसरे सिक्किम देश का अभिन्न भाग है। संसद का प्रत्येक सदस्य और प्रधान मंत्री देश की अखंडता बनाये रखने के लिए उत्तरदायी हैं। और यह कहना कि जिस ढंग से अखण्डता लाई गई आपत्तिजनक है, यह देश की अखण्डता को कायम रखना नहीं है। इस सीमा तक प्रधान मंत्री ने उस शपथ का उल्लंघन किया है जो उन्होंने अपना पद भार सम्भालते समय ली थी। अतः हम प्रधान मंत्री महोदय से यह आशा करते हैं कि वह अपना वक्तव्य वापस लेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : मैं कोई बात नहीं कहने जा रहा हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह अपना वक्तव्य वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः प्रधान मंत्री के इस रवैये के विरोध में तथा देश की अखण्डता बनाये रखने के लिए मैं और मेरा दल सदन से बाहर जाते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये

Shri C.M. Stephen and some other hon. members left the House

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवन्द्रम): हम भी प्रधान मंत्री के वक्तव्य का विरोध करते हैं और सदन से बाहर जाते हैं।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए

Shri M.N. Govindan Nair and some other hon. members left the House.

श्री जार्ज मैथ्यु (मुवुत्तुजपुां) हम भी केरल कांग्रेस की ओर से विरोध करते हैं और सदन से बाहर जाते हैं।

श्री जार्ज मैथ्यु और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए

Shri George Mathew and some other hon. members left the House

---

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं 13 मार्च, 1978 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :--

(1) आज की कार्यसूची से स्थगित सरकारी-कार्य के किसी मद पर विचार।

(2) वर्ष 1978-79 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा के मतदान के लिए रखना।

(3) निम्नलिखित पर चर्चा तथा मतदान :--

(क) वर्ष 1978-79 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)।

(ग) वर्ष 1975-76 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)।

(छ) वर्ष 1975-76 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)।

(ज) वर्ष 1977-78 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): मैंने एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको स्थिति पहले ही बता दी गई है।

श्री हरिकेश बहादुर। डा० अम्बेडकर राष्ट्र के सम्मानित नेता रहे हैं, बरेली में उनके फोटो को फाड़ा गया है। इसके बारे में भी मैंने एक नोटिस दिया है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह विचाराधीन है .... **(व्यवधान)**।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील): संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आगामी सप्ताह के लिए प्रस्तुत सरकारी कार्य के संबंध में मेरे दो सुझाव हैं। एक बरघीस समिति के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि इसका बहुत प्रचार हो चुका है और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गया है। उन्होंने संसद सदस्यों से कहा है कि आकाशवाणी के बारे में कोई प्रश्न न किया जाए। इसके बारे में मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लेकिन मैं इस समय उसके बारे में नहीं बोलूंगा। सर्वप्रथम मैं बरघीस समिति के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा की मांग करता हूं। दूसरे, केरल में काजू के कारखानों के बन्द होने के बारे में वहां अत्यन्त गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस उद्योग में 1.3 लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं। काजू निगम कच्चा माल सप्लाई करने में असफल रहा है। यह अत्यन्त अविलम्बनीय मामला है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

फिर प्रेस में एक अत्यन्त गम्भीर समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री जयप्रकाश नारायण को 65 लाख रुपये की थैली भेंट की जानी है। वे देश के सम्मानित नेता हैं और इतनी अधिक राशि के एकत्र किए जाने कीं शंका पैदा होने से इनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को धक्का लग सकता है। सदन को पता लगना चाहिए कि यह धन कहां से और किन व्यक्तियों से एकत्र किया गया है। अन्यथा यह शंका पैदा हो जाएगी कि काले धन के इस दान से यह राशि जमा की गई है। अतः सदन को पता होना चाहिए कि यह धन कहां से और कैसे एकत्र किया गया है और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए।

प्रो० पी० डी० मावलंकर (गांधीनगर): संसदीय कार्य मंत्री ने अभी तक यह नहीं बताया है कि दल बदल विरोधी विधेयक कब तक लाया जायेगा। मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बताएं कि हम कब तक ऐसे दल बदल को देखते रहेंगें ? कल ही अध्यक्ष महोदय ने एक दल में से एक नया दल बनाने के लिए मान्यता प्रदान की है। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि अध्यक्ष महोदय दल बदलुओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं लेकिन यह सत्य है कि जिस दल के टिकट से हम यहां आये हैं हमें उसमें परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पहले लोक सभा या विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा उन्हें फिर नये टिकट पर चुनाव लड़कर आना होगा। मुझे खेद है कि भ्रष्ट लोगों को जनता पार्टी में लाया जा रहा है। ऐसे दल बदल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बिक्री कर के बारे में वित्त मंत्री ने अपनी असमर्थता प्रकट की है। लेकिन आपको चुनाव घोषणा पत्र में किए गये वायदों को पूरा करना चाहिए और एक विधेयक लाकर इससे छुटकारा पाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह की सरकारी कार्य की सूची में विधि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए इसे सम्मिलित नहीं किया है। जबकि उन्होंने कल ही कहा था कि

इसे शामिल किया जायेगा । ऐसे मामलों में विचार के लिए विपक्ष के सदस्यों को बुलाया जाता था, लेकिन उन्होंने हमें भी नहीं बुलाया है । इस तरह से तो कुछ मंत्रालयों की मांगों पर कभी भी चर्चा नहीं होगी ।

संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा है कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों, आधे घंटे की चर्चाओं पर सप्ताह में केवल एक दिन ही चर्चा की जाया करेगी । और वह भी सायं 6 बजे के बाद । बजट सत्र में और आगे कोई चर्चा नहीं की जायेगी । अतः गैर सरकारी सदस्यों के बहुमूल्य और सीमित समय में इस तरह से कटौती न की जाए ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर): कल अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि विदेश मंत्री झाम्बिया के प्रधान मंत्री के वक्तव्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे । झाम्बिया के प्रधान मंत्री के वक्तव्य से दूसरे देश के आन्तिरिक मामलों में हस्तक्षेप होता है । लेकिन अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय: जहां तक ध्यानाकर्षण और नियम 377 के अधीन सूचनाओं का संबंध है, इन पर विचार किया जाएगा ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): जहां तक विभिन्न मंत्रालयों के कार्यकरण का संबंध है कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत है । प्रतिवेदन को स्वीकार करने के बारे में प्रस्ताव है और इस मामले पर विचार किया गया था । लेकिन मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे । और मैं इस पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता । दूसरा मामला उन्होंने दल बदल विरोधी विधेयक के बारे में उठाया था । इस संबंध में मैं कोई वक्तव्य देना उचित नहीं समझता । दूसरे मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सरकार का तात्पर्य कार्य करना है । फिर सरकार इस विधेयक के बारे में बहुत ईमानदारी से काम कर रही है । मैं कह चुका हूं कि दल बदल विरोधी विधेयक विरोधी दलों से विचार विमर्श सहित सरकार के विचाराधीन है ।

मिजोरम बजट, 1978–79

MIZORAM BUDGET, 1978-79

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): श्रीमन्, मैं मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र का वर्ष 1978-79 की प्राप्तियों और व्यय के अनुदानों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

सदन को मालूम है कि मिजोरम में पिछली विधान सभा की अवधि समाप्त हो जाने पर मंत्रि-परिषद् द्वारा त्याग पत्र दे दिये जाने के बाद 11 मई, 1977 से सात महीनों की अवधि के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था । बाद में यह व्यवस्था, 11 दिसम्बर, 1977 से और चार महीनों की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी । इन परिस्थितियों में, संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम की विधान सभा के कार्यों का निष्पादन तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग इस समय संसद द्वारा किया जाना है । तदनुसार, महोदय, मैं आपकी अनुमति से संघ राज्य क्षेत्र का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के सामने पेश कर रहा हूं जिसमें पहली अप्रैल 1978 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उसकी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा दिया गया है ।

2. अनुमान है कि 1978–79 में संघ राज्य क्षेत्र को 1.59 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्त होंगे और 39.46 करोड़ रुपये के व्यय होंगे और इस तरह 37.87 करोड़ रुपये का घाटा होगा जिसे केन्द्र के सहायता-अनुदान से पूरा किया जाएगा । पूंजी खातों के अनुमानों में 8.86 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जिसे भारत सरकार से ऋण लेकर पूरा किया जाएगा । 1978–79 में आयोजना परिव्यय 16.65

करोड़ रुपये का होगा जबकि चालू वर्ष के बजट में 11.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। आयोजना परिव्यय का क्षेत्रवार वितरण व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1978-79 के अनुमानों में केन्द्रीय स्कीमों तथा केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत स्कीमों के लिए 1.44 करोड़ रुपये के तथा उत्तर पूर्वी परिषद् की आयोजनागत स्कीमों के लिए 1.79 करोड़ रुपये के परिव्यय को भी शामिल किया गया है।

3. महोदय, अभी मैंने सदन के सामने जो, अनुमान रखे हैं उनके आधार पर इस समय हम केवल 5 महीने के लिए "लेखानुदान" की स्वीकृति मांग रहे हैं।

4. महोदय, मैंने अभी कहा है कि 11 दिसम्बर, 1977 से चार महीनों के लिए राष्ट्रपति का शासन काल बढ़ा दिया गया था। शासन काल का बढ़ाना जरूरी था क्योंकि मिजो नेशनल फ्रंट के प्रतिनिधियों के साथ बात-चीत चल रही थी। अब भी बातचीत चल रही है और आशा है कि विप्लव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। परन्तु इस बातचीत के कारण चुनाव कराने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हालांकि पांच महीनों की अविध के लिए "लेखानुदान" का प्रस्ताव रखा गया है पर सरकार इस बात के लिए इच्छुक है कि शासन यथा शीघ्र जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाये और उसके निकट भविष्य में चुनाव कराए जाएं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें मिजोरम, 1977-78

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (MIZORAM), 1977-78

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं वर्ष 1977-78 के लिये मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

रेलवे बजट 1978-79 —सामान्य चर्चा –जारी

RAILWAY BUDGET, 1978-79—GENERAL DISCUSSION—(Contd.)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

Shri Krishna Singh (Monghyr) : The hon. Railway Minister deserve congratulations for giving more facilities to the 2nd class passengers and for showing an estimated surplus of Rs. 65 crores, without increasing freights and fares. We support the policy adopted by the hon. Minister in regard to class IV employees. Not only the service conditions of the loco running staff have been improved, but the pay scales of firemen have also been increased. All these are steps towards Gandhian Socialism. But unfortunately the Minister has not paid adequate attention towards laying of new railway lines in the backward areas. This should be rectified.

Nirmalia—Bhaptia and Pratapgang—Virpur lines were damaged by the Kosi floods which need to be restored. These lines are very necessary for the farmers of North Bihar.

The hon. Minister gave assurance last year for the construction of Sakri—Hasanpur, Ranchi Road—Koderma and Bhagalpur—Maudas lines. The survey of Ranchi-Road—Koderma line has been conducted thrice but construction work bas not so far been taken up. All these lines should be taken up without further delay.

So far as Jamalpur workshop is concerned, it is Asias biggest and oldest workshop. It was set up in 1862 for repair and overhaul of all types of engines. But how it is running today ? The number of workers has gonedown from 18,000 to 9,000. The bolt and nut shop. The rolling mill and the pressing shops are closed and thousands of workers are withot work. A parliamentary team should be sent there to find out why its full capacity is not being utilised.

डा० श्रार० रोथुश्रम (मिजोरम) : रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने यात्री गाड़ियों में कुछ परिवर्तन किए हैं और श्रेणीविहीन गाड़ियों के संबंध में कुछ नई बातें लागू की हैं और जनता खाना आरंभ किया है । लेकिन मुझे यह देख कर बहुत क्षोभ हुआ है कि विशेषत: पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में नई रेलवे लाईनें बिछाने के लिए नये प्रस्ताव इस बजट में त्याग दिये गये हैं । मंत्री महोदय पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नई रेल लाईनें बिछाने की आवश्यकता को भली प्रकार समझते हैं ।

पिछले वर्ष एक प्रश्न किया गया था कि क्या मिजोरम में ऐजवाल के निकटतम स्थान तक रेलवे लाईन लाने के लिए तकनीकी एवं वाणिज्यिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है और यदि हां, तो क्या कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा ? मंत्री महोदय ने इसके उत्तर में कहा था कि लाल घाट लाल बाजार जो ऐजावल के निकटवर्ती स्टेशन है, तक रेलवे लाइन बढ़ाने का प्राथमिक इंजीनियरिंग एवं ट्रैफिक सर्वेक्षण हो रहा है और इसके 1977 के अंत तक पूरा होने की आशा है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया था कि सर्वेक्षण कार्य पूरा होने और इसकी रिपोर्ट का सभी दृष्टि से परीक्षण करने के बाद ही इस परियोजना पर और आगे विचार किया जायेगा । लेकिन रेल मंत्री के बजट भाषण में इस लाइन को शामिल नहीं किया गया है । ऐसा क्यों है ? मंत्री महोदय को इस प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए ताकि वह अगले बजट में इस रेलवे लाईन को शामिल कर सकें ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[**श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए ।**
Shri M. Satyanarayan Rao in The Chair.]

श्री अहमद हुसैन (धुबरी) :इस रेल बजट का रेल प्रयोक्ताओं एवं यात्रियों द्वारा स्वागत किया गया है क्योंकि इसमें रेल भाड़े और किराये में वृद्धि नहीं की गई है । लेकिन पिछड़े क्षेत्रों के विकास, रेल सेवाओं में अल्पसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई लाइनें खोलने में मंत्री जी की ढुलमुल नीति रही है ।

ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे विशेषतया मेघालय, गोआलपाड़ा और दक्षिणी कामरूप की ग्रामीण जनसंख्या ने कभी रेल के दर्शन तक नही किए और विज्ञान के इस प्रगतिशील युग में उनके लिए रेलगाड़ी बिस्मय की वस्तु है ।

ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीगोपा-पंचरत्न के निकट रेलवे उपरि पुल बनाने के लिए गोहाटी विश्वविद्यालय द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है ।

पंचरत्न से गोहाटी और पंचरत्न से महेन्द्रगंज तक बरास्ता मानिगचार नई रेलवे लाइने बनाने का भी प्रस्ताव था । लेकिन बजट भाषण में इन परियोजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए न कोई ठोस प्रस्ताव किया गया है और न ही कोई वायदे किए गए हैं । रेल मंत्री को पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों की निम्नलिखित मांगों पर विचार करना चाहिए :—

(क) बंगई गांव से गोहाटी तक बड़ी लाईन बनाने के कार्य में तेजी लाई जाये और इसे निर्धारित समय अर्थात् 1980 तक पूरा करने के लिए समय पर अपेक्षित धनराशि दी जाये ।

(ख) गोहाटी से तिनसुखिया तक और धुबरी से पोकिरा ग्राम तक वर्तमान मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तन करने के संबंधी प्रस्ताव पर इसी वर्ष में ही विचार किया जाये ; और

(ग) जोगीगोपा तक बिछी वर्तमान बड़ी लाईन को ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर पंचरत्न से गोहाटी तक बढ़ाया जाये जो मेघालय की सीमा और पंचरत्न को भी जायेगी और भावीकादुचर से होकर गोग्रालपाड़ा से महेन्द्रगंज तक जायेगी । ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीगोपा-पंचरत्न के निकट एक पुल का निर्माण किया जाये ।

आसाम में कुछ रेलवे स्टेशनों की वर्णनातीत दयनीय स्थिति है । रेल मंत्री को अनेक अभ्यावेदन देने के बावजूद उस संबंध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है । तथा सतग्राम रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाने तथा मोंगलाझोरा पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाने संबंधी मांग के बारे में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को रेलवे सेवाओं में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला हैं । सम्पूर्ण रेल व्यवस्था में अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की भर्ती के बारे में भेदभाव बरता जा रहा है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती न करने से उत्पन्न रिक्तता को पूरा करने के लिए आपात स्थिति के दौरान आदेश दिए गए थे कि इस कमी को नई नियुक्तियां करके पूरा किया जाये । लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । रेल मंत्री महोदय को रेलवे सेवाओं में चपरासी से प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तक के पदों तक अल्पसंख्यकों की समुचित नियुक्ति करने के लिए ध्यान देना चाहिए । नई दिल्ली-तिनसुखिया मेलगाड़ी में खराब डिब्बे लगाये जाते हैं और पानी, बिजली, पंखों तथा खान-पान की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती । इसकी जांच के लिए एक दल भेजा जाये और गाड़ी की गति भी बढ़ायी जाये । या तो इसमें और डिब्बे जोड़े जाये या एक तेज गाड़ी और चलाई जाये जिससे भीड़ कम हो सके ।

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : अच्छा बजट पेश करने के लिए मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं । लेकिन इसमें साहसिक गतिशील उपायों का अभाव है । सामान्य बजट तो कृषि विकास और ग्राम विकास पर आधारित है किन्तु रेल बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करने हेतु पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाईने बिछाने का उपबंध नहीं है । बजट में नई योजनाओं का कृषि-औद्योगिक नीति से कैसे ताल-मेल बैठेगा ? लाईन चाहे लाभकारी हो या अलाभकारी हमें निश्चित रूप से बताया जाये कि पिछड़े क्षेत्रों में गाड़ियां चलायी जायेंगी या नहीं ? दीर्घकालीन निवेश के रूप में कुछ अलाभकारी लाईनें भी बिछायी जायें । उन्हें बाद में मितव्ययी और लाभकारी भी बनाया जा सकेगा ।

यदि पैसा न हो तो पिछड़े क्षेत्रों में ऋण पत्र भी जारी किए जा सकते हैं। इस दिशा में अन्य उपाय भी किए जायें ।

पिछले शासन के दौरान जो सर्वेक्षण किये गये थे उन पर मंत्री जी को निर्भर नहीं करना चाहिए। उस समय वे क्षेत्र खर्चीले थे । पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाईनों के विकास कार्यों के बारे में एक विशेष सर्वेक्षण दल बनाया जाये ।

मध्य प्रदेश सरकार ने 17 नई लाईनें बिछानें और कुछ वर्तमान रेल लाईनों को बड़ी लाईन में परिवर्तित करने के प्रस्ताव किये हैं । इनमें से कम से कम ग्वालियर---शिवपुरी छोटी लाईन को बड़ी लाइन में बदलने उसे गुना तक बढ़ाकर तथा मकसी और देवास तक उसका विस्तार करने के कार्य को आरम्भ किया ही जाना चाहिए ।

गंज बसोढा से सिरोंग और लटोनी के रास्ते बियोरा तक नई रेल लाइन बिछायी जाये जो कृषि विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । भोपाल---विदिशा शटल गाड़ी को बीना तक बढ़ाया जाये । मध्य रेलवे में बम्बई से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाये ।

टयूब रेलवे, दुमंजिले डिब्बों आदि के लिए संयुक्त क्षेत्र को आमंत्रित कर के धन पैदा किया जाये। बाद के 15-20 वर्षों में ट्यूब रेलवे का काम रेल प्रशासन चला सकता है। इस तरह से पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए वित्त पोषण किया जा सकता है। इन क्षेत्रों के लिए कुछ गतिशील कार्यक्रम बनाये जायें।

रेलवे प्रशासन में साक्षात्कार द्वारा तथा लिखित परीक्षा द्वारा नियुक्त अधिकारियों के बीच भेद-भाव किया जाता है। हजारों ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है और वे निराश हैं। उनकी वरिष्ठता का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। उन्हें भी सेवा आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के बाद छांटा गया है। यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए

Shri Chhitubhai Gamit (Mandvi). My Constitueney Mandvi is a backward and tribal area where railway facilities are very inadequate. A Foot over-bridge should be constructed at Marhi, Bardoli and Vyara stations. A survey was made for a foot over-bridge at Sonegarh, but nothing further has been done. Required funds should be released early for the construction of these overbridges.

The tribal area from Ambaji to Dhananpur in Gujarat is very much backward and is having no railways and other means of communications. Dhananpur, Bagai, Bansora, Uyara, Mandvi, Rajpipla, Modasa and Saulaji should be linked by rail with a view to provide a scope for the economic development of this area.

Rajdhani Express should stop at Surat also as it is a big industrial city.

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, रानीगंज और आसनसोल महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनमें इस्पात, कोयला, बिजली तथा इंजीनियरिंग उद्योग हैं। बर्दवान-आसनसोल सेक्शन को पूर्व रेलवे का उपनगरीय सेक्शन घोषित किया जाए। बंदेल—कटवा सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछा कर उसका विद्युतीकरण किया जाए।

बांकुरा से रैना तक बांकुरा-दामोदर छोटी लाइन है जो बड़े पिछड़े क्षेत्र से गुजरती है। इसमें सुधार किया जाए।

अनुमान है कि रानीगंज से हाल्दिया तक बरास्ता बांकुरा रेल मार्ग के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। इस कार्य में तेजी लाई जाये ताकि कम समय में औद्योगीकरण और कोयले के सस्ते यातायात की व्यवस्था हो सके।

दुर्गापुर स्टेशन के निकट रेल फाटक पर उपरि पुल बनाया जाये। बांकुरा के रास्ते पुरुलिया से हावड़ा तक एक तेज गाड़ी चलाई जाये।

रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाये। रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दिया जाये। उसके पुनर्गठन से कुछ नहीं होगा।

हावड़ा स्टेशन का तुरंत नवीनकरण किया जाये क्योंकि दिल्ली, बम्बई और अन्य स्थानों से वहां बहुत सी गाड़ियां आती हैं।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : कुछ सदस्यों ने बजट का स्वागत करते हुए यह भी कहा कि बजट प्रस्तावों में साहस या नये और क्रान्तिकारी विचारों की कमी है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि बजट प्रस्ताव वर्तमान वित्तीय प्रणाली के ढांचे में ही तैयार किये गये हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि समूची वित्तीय प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए जाएं ताकि देश के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाईनें बिछायी जा सकें। उसके लिए कुछ समस्याओं पर पुनर्विचार करना होगा। बजट भाषण में उनके उल्लेख की परिपाटी नहीं है।

मैंने कुछ सुझाव दिये हैं और कहा है कि रेलों के पूंजी ढांचे पर क्रान्तिकारी ढंग से विचार हो। मैंने 'सामाजिक दायित्वों' और ऋण की समस्याओं पर भी विचार किया है और विकास निधि सम्बन्धी कुछ सुझाव दिये हैं।

इस समय पिछले जमा हो रहे ऋणों की समाप्ति हेतु अतिरिक्त निधि पूरी खर्च हो गई है। ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है। 1973-74 में 208 करोड़ रुपये का ऋण 1974-75 में बढ़कर 379 करोड़ रु० और 1975-76 में बढ़कर 460 करोड़ रुपये हो गया। जनता सरकार बनने के बाद यह कम होकर 368.66 करोड़ रुपये और 1978-79 में यह 345.37 करोड़ रुपये तक आ गया। मैंने सुझाव दिया था कि सारी अतिरिक्त राशि को ऋण चुकता करने पर लगाने के स्थान पर उसके कुछ भाग से विकास निधि बनायी जाये जिसका उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में लाइनों के निर्माण हेतु किया जाये। हम इस ठोस प्रस्ताव पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से बात कर रहे हैं।

श्री स्टीफन ने कहा कि रेलों की कुल आय में वृद्धि के स्थान पर कमी हो रही है। वह आंकड़े देते समय यह भूल गये कि पहले हमेशा रेलों के किराये-भाड़े में वृद्धि की जाती थी जिससे यह वृद्धि नजर आती थी।

नई रेल लाइनों के निर्माण की समस्या से मैं पूरी तरह अवगत हूं न केवल रेलवे प्रशासन के लिए बल्कि पिछड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी रेलों को देश में एक महत्वपूर्ण ढांचे का निर्माण करना है और हमें केवल उन लाइनों से होने वाली आय को ही नहीं देखना है। हमारा पूरा प्रयास अधिकतम परिणाम प्राप्त करना है।

कई सदस्य शायद यह समझते हैं कि नई बिछायी जाने वाली सभी लाइनों को रेलवे प्रशासन बजट में दिखाना चाहता है। उन्हें पता होना चाहिए कि निर्णय कई स्तरों पर लिया जाता है। हम योजना आयोग को लागत प्राक्कलन और उपलब्ध वित्तीय आबंटित राशि की जानकारी देते हैं। वे इनका अध्ययन कर कुछ नई लाइनों की मंजूरी देते हैं। यदि हमारे सुझाव मान लिए जायें और अतिरिक्त राशि को विकास निधि में बदला जाये तो काफी नये कार्य आरम्भ किये जा सकते हैं।

वर्तमान नियंत्रणों के अधीन मैंने नई लाइनों को बदलने और नई लाइनों के सर्वेक्षण के कार्यों को इस प्रकार वितरित करने का प्रयास किया है जिस से सभी पिछड़े क्षेत्रों को लाभ मिल सके। इस देश में बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र को कौन भूल सकता है जिनमें पिछड़े क्षेत्र हैं और उनमें आदिवासी रहते हैं? वहां अधिक राशि उपलब्ध की गई है। इसी प्रकार दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में मंजूर कार्यों में तेजी लाई जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है हमने पहले ही कुछ लाइनों की सिफारिश की है। पूर्वोत्तर परिषद ने कुछ छोटे मार्ग की रेल लाइनों की सिफारिश की है। उसमें त्रिपुरा में धर्मनगर-कुमारघाट लाइन को भी शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद द्वारा सुझायी गई सभी लाइनों एवं त्रिपुरा की इस लाइन के बारे में योजना आयोग ने सरकारी तौर पर बताया है। उन पर चर्चा होगी और विशेष रूप से विचार होगा।

सामान्य बजट पेश होने के बाद कुछ परिणाम सामने आयेंगे लेकिन स्थिति चिंतनीय नहीं होगी जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है। कोयले, डीजल तेल, बिजली आदि पर उत्पाद शुल्क लगने से इंधन पर होने वाले व्यय तथा अन्य व्यय के बारे में मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया गया है। 19.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि अतिरिक्त भार को 19 करोड़ रु० या यथासम्भव कम करने के लिए फालतू व्यय को रोका जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने रेल, जहाज और मोटर यातायात साधनों में समन्वय की कमी का उल्लेख बराबर किया है । मैंने कहा था कि 19-सदस्यीय समिति जब विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी तो यह पहल भी विचारार्थ रखा जायेगा ।

रेलवे सुरक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है । कुछ समय पूर्व हमने इस पहलू पर विचार किया था । रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में तथा इनकी समस्याओं पर दोनों ओर के सदस्यों ने ठोस सुझाव दिए थे। उनमें से कुछ सुझाव मानकर हमने उन्हें कार्यान्वित भी किया है । परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं में काफी कमी हुई है । हमारे गैंग मैनों तथा रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गश्त किए जाने के फलस्वरूप 23 दिसम्बर के बाद कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई है । गश्त लगाने वाले अधिकारियों के सहयोग से पटरियों को तोड़ने और फिश पलेट उखाड़ने के 20 मामले पकड़े गये हैं । मैं इस स्थिति से सन्तुष्ट होकर बैठने वाला नहीं हूं । हम तो यही कोशिश करते हैं कि दुर्घटनाएं होने न पाये । लेकिन गत कुछ महीनों में इस दिशा में उत्साहजनक प्रगति हुई है। वर्ष 1977-78 में केवल 805 रेल दुर्घटनायें हुई हैं जबकि वर्ष 1975-76 में 920 रेल दुर्घटनायें हुई तथा वर्ष 1976-77 में 1720 रेल दुर्घटनायें हुईं । यह आंकड़े देने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब आंकड़ों में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है । धीरे-धीरे हमारे सुरक्षा प्रबन्ध सफल हो रहे हैं। रेल दुर्घटनाओं का एक अन्य कारण यह भी है कि कई रेल मार्ग ऐसे हैं जिन्हें 15 या 20 वर्ष पहले ही बदल दिया जाना चाहिये था । परन्तु उन्हें बदली नहीं किया । अब रेल मार्गों को बदला जा रहा है तथा पहले पांच वर्षों में इस कार्य पर हम 560 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं ।

चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने यह मांग भी उठाई थी कि हमें स्वचालित चेतावनी प्रणाली का विकास करना चाहिए । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने स्वचालित चेतावनी का विकास कर लिया है । इस प्रणाली का उपयोग हावड़ा-बर्दवान तथा गया मुगल सराय मार्गों पर किया जा रहा है । इन मार्गों पर यातायात काफी अधिक रहता है और अगर यह प्रणाली यहां सफल हो गई तो निश्चय ही अन्यत्र भी सफल हो जायेगी ।

कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर विद्युतीकरण का सुझाव दिया है । यह ठीक है कि तीनों तरह की प्रणालियों में से, विद्युतीकरण सबसे सस्ता बैठता है, परन्तु इसमें सब से बड़ी कठिनाई यह है कि इसके लिए पूंजी निवेष काफी अधिक करना पड़ता है । आर० डी० एस० ओ० लखनऊ में इस आरम्भिक पूंजी को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं । हमें आशा है कि यदि यह प्रयोग सफल रहे तो विद्युतीकरण का खर्चा काफी कम हो जायेगा । हमारा यह निरंतर प्रयास रहा है कि रेल मार्गों का अधिकाधिक विद्युतीकरण किया जाये ।

कुछ सदस्यों ने कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के बारे में भी प्रश्न उठाया है । इस समस्त परियोजना पर 250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी जिसमें से 143 करोड़ रुपये केवल निर्माण कार्य के लिए चाहिए । वस्तुतः देखा जाए तो भूमिगत रेलवे के निर्माण पर कुल 143 करोड़ रुपया व्यय होगा । 31 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आबंटन में धीरे-धीरे वृद्धि की जाए । जहां तक दिल्ली, बम्बई और मद्रास का संबंध है रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अब भूमिगत परियोनाओं पर व्यय न करके उन परियोजनाओं पर धन व्यय करेंगे जोकि आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद हैं ।

रेलवे बोर्ड की संरचना तत्वतः क्रियात्मक है । मैं चाहता हूं कि इसकी शक्तियों का हस्तान्तरण किया जाए और इसका पुनर्गठन किया जाए । रेलवे बोर्ड की कुछ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां जोनल मैनेजर को दे दी गई हैं और कुछ शक्तियों का अन्तरण क्षेत्रीय स्तर से मंडलीय स्तर पर करना होगा । विगत के

अनुभव से यह पता चला है कि क्षेत्रीय और मंडलीय स्तर की अनेक समस्याओं का निपटारा इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि वे सारी समस्याएं रेलवे बोर्ड के समक्ष रखी जाती थीं जोकि इनके संबंध में निर्णय लेता था और इनका क्रियान्वयन तभी हो पाता था जब यह मामले डिवीजन को वापिस भेजे जाते थे। यह प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो गई है। यदि सदस्य यह समझते हैं कि वित्तीय शक्तियों को आगे हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है तो उस मामले में हम सभी ठोस प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे और हम रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की कोशिश करेंगे।

जहां तक श्रमिकों के योगदान का संबंध है हमारे यहां एक निगमित उद्यमी दल है जिसमें मान्यता-प्राप्त फेडरेशनों के प्रतिनिधि, आफिस फेडरेशनों के प्रतिनिधि, रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा मंत्री सभी मिलकर महत्वपूर्ण नीति के मामलों पर विचार विमर्श करते हैं। यह केन्द्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। हम क्षेत्रीय स्तर और मंडलीय स्तर पर भी यह कार्य कर रहे हैं। इसमें पुनः सुधार की गुंजाइश है और हम श्रमिक योगदान को बनाए रखने को कोशिश कर रहे हैं।

माल डिब्बों के आवंटन के संबंध में भी एक प्रश्न उठाया गया है। यह सच है कि कुछ समय पहले नमक, कोयला तथा कुछ अन्य कच्चे माल के संबंध में मालडिब्बों के आवंटन में कुछ कमी कर दी गई थी लेकिन अब हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोयला, खाद्य सामग्री, नमक तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लाने ले जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर यह समस्या अब हल हो चुकी है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की समस्याओं के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए सांविधिक उपबन्ध है निश्चय ही उसका पालन किया जाएगा और हमारा मंत्रालय इस कार्य में एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा।

जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय का संबंध है इस बारे में कोई सांविधिक उपबंध नहीं है लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मात्र इसलिए नहीं पिसने दिया जाएगा कि क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

जहां तक कर्मचारियों की समस्याओं का संबंध है कई मामलों पर विचार किया गया है। सबसे पहले प्रश्न मान्यता के बारे में है। जिन संघों को काफी अरसे से मान्यता प्राप्त है उनकी मान्यता मात्र इसी आधार पर जारी नहीं रखी जा सकती कि उन्हें पिछले काफी वर्षों से मान्यता मिली हुई है। अतः एक औद्योगिक संबंध विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। यह सच है कि अभी भी अनेक समस्याएं निपटाई नहीं गई हैं। हमने पिछले 10 महीने में जितने मामले निपटाए हैं पिछली सरकार ने पाँच वर्ष में भी उतने मामले नहीं निपटाए। रेलवे में श्रेणी 4 के लगभग 50,000 कर्मचारियों को सलैक्शन ग्रेड दिया गया है। फायरमैनों के लिए भी कुछ विशेष ग्रेड दिए गए हैं। हमने इस संबंध में भी निर्देश दिए हैं कि उन नैमतिक कर्मचारियों को जिन्होंने पहले के निर्माण कार्यों में भी कार्य किया है प्राथमिकता दी जाए और बाद में दूसरे लोगों को लिया जाए। कई स्थानों पर नैमतिक कर्मचारियों को नियमित रोज़गार पर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बोनस का प्रश्न भी उठाया गया है। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि हम अन्य बातों को बोनस के मामले से अलग रखेंगे। हम चरणबद्ध रूप में इसे हल करेंगे। पहला चरण आपात स्थिति से पहले के बोनस अधिनियम को पुनः पुरःस्थापित करना है और वह किया जा चुका है। जो लोग पुराने बोनस अधिनियम से लाभान्वित नहीं होते उनकी समस्याओं पर मजूरी-आय-मूल्य पर गहन विचार करके निर्णय लिया जाएगा। हम भूतलिंगम समिति के प्रत्येक सिफारिश पर गहराई से विचार करेंगे और उन के निष्कर्षों के आधार पर हम अपनी नीति तैयार करने में समर्थ होंगे।

1947 में अन्य देशों पर हमारी निर्भरता 60 प्रतिशत थी लेकिन हमारे तकनीशियनों ने अन्य देशों पर हमारी निर्भरता को घटा कर सात प्रतिशत कर दिया है । रेल कर्मचारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं । अफसर, तकनीशियन, इंजीनियर और प्रबंधकीय वर्ग के लोग भी बधाई के पात्र हैं । हमने कुछ ऐसे उपाय भी किए हैं जिनसे अफसरों के विशेषाधिकार कम होंगे। हमारा प्रयास एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जिसमें कोई भी विशेषाधिकार रेलवे के निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों की आंखों में न खटके बहरहाल हम उनकी उचित मांगों पर हमेशा ध्यान देंगे ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

13वां प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो 8 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो 8 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अष्टम अनुसूची का संशोधन)

(Amendment of Eighth Schedule)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं भारतीय संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"कि भारतीय संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

FACTORIES (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 का संशोधन)

(Amendment of Section 2)

श्री के० रामामूर्ति (धर्मपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना विधेयक 1948 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखाना विधेयक 1948 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री के० रामामूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मूल्य निर्धारण विधेयक

PRICE FIXATION BILL

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) **:** Mr. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to provide for prevention of charging exorbitant rates and for fixing fair prices of commodities.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिक दाम लेने की लूट बंद करने और वस्तुओं की उचित कीमत नियत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Vinayak Prasad Yadav : Mr. Chairman, Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 16 का प्रतिस्थापन)

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) **:** Mr. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Vinayak Prasad Yadav : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 44 का लोप)

(Omission of Article 44)

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) **:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का संशोधन और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 80 का संशोधन)

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT BILL)

(Amendment of section of 80)

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 का संशोधन)

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT BILL)

(Amendment of section of 2)

डा० भगवान दास राठौर (हरिद्वार) मैं प्रस्ताव करता हूं कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दीं जाए ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० भगवान दास राठौर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 101 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 101)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है: "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 102, 103 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 102, 103 ETC.)

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है: "कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Dr. Ramji Singh : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 83क का अन्तःस्थापन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (INSERTION NEW ARTICLE 83 A)

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है: "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Dr. Ramji Singh : I introduce the Bill.

(संविधान संशोधन विधेयक)
(अनुच्छेद 84 और 326 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 84 and 326)

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Dr. Ramji Singh : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 13क का अन्त:स्थापन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW ARTICLE 13 A)

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Dr. Ramji Singh : I introduce the Bill.

लोकप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 78क का अन्त:स्थापन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW SECTION 78 A)

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सौगत राय : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 329ख आदि का अन्तःस्थापन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW ARTICLES 329B etc.)

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और [संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सौगत राय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन)--जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 352)—*Contd.*

सभापति महोदय : अतः हम हरि विष्णु कामत द्वारा पेश किये निम्न प्रस्ताव पर विचार करेंगे

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को विचारार्थ लिया जाये"।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : आपातस्थिति के अनुसमर्थन के संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि केवल दोनों सदनों के साधारण बहुमत से आपातस्थिति की घोषणा करना उचित नहीं है । इसके लिए विशेष बहुमत की व्यवस्था होनी चाहिए ।

[श्री धीरेन्द्र नाथ वसु पीठासीन हुए
[Shri Dhirendra Nath Basu in the chai]

संविधान में उल्लिखित मूल आपातस्थिति उपबधों में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों को इसका अनुसमर्थन करना चाहिए और संसद द्वारा एक बार अनुसमर्थन करने के पश्चात् राष्ट्रपति जब तक आपातस्थिति हटाने के लिए आदेश नहीं देता तब तक आपातस्थिति अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है और संसद इस मामले में कुछ नहीं कह सकती ! यह बहुत दुःखद अनुभव रहा है । भूतपूर्व सरकार ने देश में स्थिति सामान्य हो जाने के उपरोक्त भी काफी वर्षों तक आपातस्थिति को जारी रखा । सरकार को यह हक है कि वह जब तक ठीक समझे देश में आपातस्थिति लागू करे और जब इसकी आवश्यकता न रहे अर्थात् देश की स्थिति सामान्य हो जाए तो आपातस्थिति समाप्त कर दी जाए । अतः यह सुझाव दिया गया है कि आपातस्थिति लागू करने के हर छः महीने बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातस्थिति के मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए । सरकार का भी विचार कुछ ऐसा ही है ।

इस संबंध में सरकार इसी सत्र में एक व्यापक संविधान (सशोधन) विधेयक लाने पर विचार कर रही है, जिसमें इस बात की व्यवस्था होगी कि आपातस्थिति लागू किए जाने के पश्चात् हर छः महीने बाद संसद के दोनों सदन इस बात पर विचार करेंगे कि क्या देश में आपातस्थिति जारी रखने

की आवश्यकता है अथवा इसे समाप्त कर दिया जाए । इस संबंध में अनुच्छेद 352 के उपबंधों का संशोधन करने के अतिरिक्त कुछ और सुरक्षा उपायों को भी पुरःस्थापित करना होगा, ताकि आपातस्थिति की शक्तियों का दुरुपयोग न हो । इसीलिए अनुच्छेद 359 का संशोधन करके यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया जाएगा और न ही किन्हीं परिस्थितियों में इसके प्रत्यावर्तन को स्थगित किया जा सकेगा । जीवन और स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता ।

पूर्व संशोधनों द्वारा खण्ड 5 अथवा एक समान खण्ड जोड़ा गया है, ताकि ऐसी उद्घोषणा को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके । सरकार इस संबंध में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वापिस लौटाना चाहती है । सरकार के निर्णय अथवा संसद के निर्णयों पर अपील की सुनवाई न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है । न्यायालय के पास एक विशेष क्षेत्राधिकार है जिसमें सीमित आधारों पर दुराग्यपूर्ण उद्घोषणा को चुनौती दी जा सकती है । वर्तमान सरकार न्यायालयों की शक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है। अतः मेरा विधेयक के प्रस्तावक से अनुरोध है कि वह इस विधेयक पर जोर न डाले और इसे वापिस ले ले क्योंकि इसी सत्र के दौरान हम एक व्यापक संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रहे हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : श्री कामत का विधेयक, जो अनुच्छेद 352 के एक बहुत मूलभूत संशोधन के बारे में है, समर्थन योग्य है । यदि समय पर इसकी समीक्षा के लिए शीघ्र उचित कार्यवाही न की गई तो इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हो सकता है । हमें अनुच्छेद 352 को अनुच्छेद 358 और 359 के संबंध में देखना चाहिए क्योंकि आपातस्थिति की आड़ में अनुच्छेद 358 आपातस्थिति के दौरान नागरिकों को काफी मूल अधिकारों से वंचित कर देता है । विधेयक का प्रस्तावक बधाई का पात्र है । यह ठीक ही सुझाव दिया गया है कि आंतरिक अशान्ति के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए । आंतरिक अशान्ति शब्द बहुत ही अस्पष्ट है । यह समझ नहीं आता कि क्या आन्तरिक अशान्ति को एक बार घोषित किए जाने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है इस बात पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिए । न्यायालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते आया कि घोषणा कानूनी थी अथवा गैर कानूनी सवैधानिक थी अथवा असंवैधानिक । अतः मैं इसके बाद योग्य भाग को केवल एक वाक्य तक सीमित रखता हूं कि क्या घोषणा दुराश्यपूर्ण है अथवा सद्भावपूर्ण इससे ज्यादा न्यायिक शक्ति को घसीटा नहीं जाना चाहिए । वैसे तो पूरे अनुच्छेद 352 को ही समाप्त कर देना चाहिए विधिमंत्री हमें बताएं कि इस अनुच्छेद का क्या कोई औचित्य है और यदि कोई औचित्य है तो क्या वह इसे इतना कठोर बनाएंगे कि अत्यधिक विकट परिस्थितियों के अतिरिक्त इसका उपयोग कभी न किया जा सके ।

श्री कामत ने ठीक ही कहा है । सारा मामला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर न छोड़कर केवल संसद पर छोड़ना चाहिए । यह मामला समय-समय पर संसद के समक्ष विचारार्थ पेश किया जाना चाहिए ताकि संसद इस बात पर विचार कर सके कि आपातस्थिति लागू रखी जाए अथवा नहीं । वर्तमान उपबंधों के अनुसार एक बार संसद आपातस्थिति का अनुसमर्थन कर दे तो जब तक राष्ट्रपति आपातस्थिति हटाने का आदेश नहीं देता तब तक आपातस्थिति जारी रहती है । संसद इस मामले में कुछ नहीं कर सकती । अतः बाद में भी संसद को इस संबंध में कुछ अधिकार रहने चाहिएं । अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे गणतंत्र देशों में आपातस्थिति का कोई उपबंध नहीं है । अतः हम अपने देश में आपातस्थिति की संभावनाओं के बारे में सोच कर संविधान में ऐसे उपबंधों को निगमित करें ।

अतः हमें श्री कामत के विधेयक का समर्थन करना चाहिए । हम आशा करते हैं कि सरकार हमें यह आश्वासन देगी न केवल अनुच्छेद 352 अपितु अनुच्छेद 358 और 359 में भी मूलभूत परिवर्तन किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी कार्यपालिका इन शक्तियों का दुरुपयोग करने में समर्थ न हो ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अधिकांश सदस्यों, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, ने इस विधेयक का समर्थन किया है । इस विधेयक को लाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि देश में लोकतंत्र सुदृढ़ हो तथा हमारा लोकतंत्र सुस्पष्ट तथा दोष रहित होना चाहिए जिसे किसी तरह नष्ट न किया जा सके विधि मंत्री ने इस विधेयक के अधिकांश उपबंधों पर सहमति प्रगट की है । मंत्री महोदय 'विप्लव' शब्द के स्थान पर 'विद्रोह' शब्द को रखना चाहते हैं इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । एक सदस्य ने विद्रोह शब्द के स्थान पर क्रान्ति शब्द रखना चाहा है । यह उचित नहीं लगता क्योंकि यदि विद्रोह सफल हो जाए तभी उसे क्रान्ति कहा जा सकता है ।

यह अच्छी बात है कि सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वापिस लौटाना चाहती है । अनुच्छेद 21 जो कि नागरिकों को जीवन और व्यैक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है संविधान में संस्थागित किया जाना चाहिए और किसी भी संसद अथवा कार्यकारिणी द्वारा यह समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है और न्यायालय की शक्तियां वापिस लौटा दी जाती हैं तब हमें आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपाय करने होंगे ।

इसके अतिरिक्त मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला ले जाने के अधिकार की गारंटी देने वाला अनुच्छेद 32 को समाप्त किया जाना चाहिए अथवा नहीं । व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाना चाहिए ।

मैं इस विधेयक के माध्यम से असाधारण परिस्थितियों में राज्य की शक्तियों तथा कार्यों और नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के बीच एक अच्छा सम्पर्क स्थापित करना चाहता हूं । यह प्रसन्नता की बात है। मंत्री महोदय ने विधेयक के अधिकांश उपबंधों के बारे में सहमति व्यक्त की है । यद्यपि यह विधेयक समुचित नहीं है फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ अन्य अनुच्छेदों अर्थात् 356, 358 और 359 पर भी विचार किया जाए और उनका उचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इन उपबधों के कारण जो हमारे लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए । जहां तक अनुच्छेद 356 का संबंध है यह निश्चेष्ट नहीं है यह कभी भी सक्रिय है । डा० अम्बेदकर ने कहा था कि यह उपबंध अप्रचलित रहेगा लेकिन वास्तव में यह अप्रचलित न रहकर सक्रिय रहा है । अनुच्छेद 356, 352 और 359 के उपबंध तानाशाही को जन्म देने वाले हैं यह सच है कि यह विधेयक आपातस्थिति के उपबंधों में संशोधन करने के लिए समुचित नहीं है वस्तुतः मेरी योजना सरकार का इस मामले पर ध्यान आकृष्ट करने की है ।

हम आशा करते हैं कि विधि मंत्री एक व्यापक विधेयक लाएंगे जिससे आपातस्थिति के उपबंधों के सशोधन भी शामिल होंगे । एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि यह व्यापक विधेयक इसी सत्र के दौरान लाया जाएगा । इस माह के अन्त तक यह विधेयक पुरःस्थापित कर दिया जाना चाहिए । ऐसा कोई बहाना न बनाया जाए कि सरकार इस मामले पर प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ विचार कर रही है यदि इस महत्वपूर्ण उपाय को लाने में कुछ विरोध भी किया जाता है तो भी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए । हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वचन दिए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

बेरोजगारी भत्ता विधेयक

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL

ी के० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से भत्ता देने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और अत्यन्त महत्वपूर्ण है । डाक्टरों, इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों को जो बेरोजगार हों । 150 रु० प्रति मास बेरोजगार भत्ता दिया जाये । इस समय देश में 20,000 डाक्टर, इंजीनियर और डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं । सरकार ने बड़े प्रभावी शब्दों में 50,000 नौकरियों की योजना की घोषणा की थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया ।

अब देश केवल आश्वासनों पर निर्भर नहीं रह सकता । सरकार को देश में विस्फोटक स्थिति को समझना चाहिये ।

प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता देने के विरुद्ध हैं । पता नहीं सरकार क्यों असहाय अनुभव कर रही है । जनता सरकार के लोग तथा जनता पार्टी के नेता इस समस्या को दूर करने के लिए समयावधि बढ़ाते ही जा रहे हैं । लेकिन सरकार अभी तक बेरोजगारों की ठीक-ठीक संख्या भी नहीं बता पायी है । वे केवल शब्दों से भरमाते हैं ।

सरकारी क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार भाई-भतीजाबाद का बोलबाला है । विभिन्न कम्पनियों में भी यही हालत है ।

शिक्षित लोग भी बेकार हैं जिस से देश में निराशा फैली है ।

समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों देशों में लोगों की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है । लेकिन हमारा देश इस मामले में बहुत पीछे है । आस्ट्रेलिया में उन बेकार तथा बीमार पुरुषों को, जो 16 वर्ष से ऊपर तथा 65 वर्ष से कम आयु के हैं और उन महिलाओं को, जो 16 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम आयु की हैं, बेकारी तथा बीमारी भत्ता दिया जाता है । परन्तु भारत में लोग स्वस्थ हैं, मानवशक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । परन्तु रोजगार उपलब्ध नहीं है । जब रोजगार हैं नहीं और उन्हें कोई भत्ता भी नहीं दिया जाता तो वे कहां जायें ? ऐसी हालत में वे राष्ट्र के लिये और आन्तोगत्वा समाज के लिये मुसीबत बन जायेंगे ।

कुछ देशों में अंशदायी समाज कल्याण उपायों की व्यवस्था है जैसेकि बेरोजगारी बीमा जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी की हालत में भुगतान किया जाता है। बहुत से देशों में ये सुविधाएं दी जाती हैं। प्रधान मंत्री ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ते से भिक्षावृत्ति पैदा होगी। मेरे विचार में ऐसा नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार ने समस्या का गम्भीरता से विचार नहीं किया है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने कहा है कि वह रोजगार उन्मुख नीति अपनायेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि-उद्योग, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास होगा। सरकार ने कहा है कि शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों को लाभ मिलेगा।

देश में बेकार लोगों के लिये क्या किया गया है। हजारों इंजीनियर दूसरे देशों में रोजगार के लिये भाग रहे हैं। वहाँ पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। इस देश में रोजगार क्षमता पर्याप्त मात्रा में है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक सम्पदा पर्याप्त है। हमारी नदियाँ पानी से तथा प्राकृतिक संसाधनों से भरी हुई हैं। अतः रोजगार पैदा किये जा सकते हैं। केवल सरकार की इच्छा होनी चाहिये। परन्तु इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठाने में संकोच कर रही है। सरकार ने इस समस्या को जिस ढंग से हल करने का प्रयास किया है, वह इसके दिमागी दिवालियापन का द्योतक है।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए।
Shri M. Satya Narayan Rao in the Chair.]

यह विधेयक काफी समय से लम्बित है। लोक सभा के पिछले सत्र में मैंने इसे लाने का प्रयास किया था परन्तु किसी तरह यह व्यपगत हो गया।

यह विधेयक बड़ा सरल तथा महत्वपूर्ण है। इससे युवा पीढ़ी में विश्वास पैदा होगा। आप मितव्ययता के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे विचार में बेरोजगार लोगों को भत्ता दिया जाना चाहिये। इस विधेयक से भारत की संचित निधि में से 15 करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं होगा। क्या आप 15 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते? करोड़ों रुपये विभिन्न योजनाओं पर बेकार खर्च किये जा रहे हैं। सरकार इसकी व्यवस्था आसानी से कर सकती है। यदि मंत्री महोदय एक विस्तृत विधेयक लाने को तैयार हैं तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं।

अतः मैं सभा से इस विधेयक को स्वीकार करने की अपील करता हूं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें इस देश के लाखों लोगों को सामाजिक न्याय देने की व्यवस्था है।

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : महोदय, न केवल युवकों में ही अपितु बड़ी आयु के लोगों में भी बेकारी के कारण असन्तोष है। मैं महसूस करता हूं कि जिस देश में कुशल, अकुशल और अतिकुशल लोग बेरोजगार हों उस देश की प्रगति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः सरकार को इस समस्या की ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इसे हल करने के लिये ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिये ताकि इस असन्तोष को दूर किया जा सके।

मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार यदि 1 करोड़ व्यक्तियों को 30 रुपये प्रति महीना दिया जाये, तो इससे प्रति वर्ष 360 करोड़ रुपये का खर्च होगा। देश के कुछ छोटे राज्य भी 40 रुपये से 50 रुपये तक प्रति मास के हिसाब से ऐसे बेकारों को भत्ता दे रहे हैं जो मैट्रिक पास हैं और जिन्हें पाँच वर्ष तक कोई नौकरी नहीं मिली है। यदि पंजाब जैसा राज्य ऐसा कर सकता है, तो भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती।

बेकारी की समस्या से निपटने के लिये अन्य उपाय किये जाने चाहियें । मेरा एक सुझाव है । दो प्रकार के पूंजीगत माल होते हैं । पूंजीगत माल बड़ी मशीनरी वाले उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है जिसके दो परिणाम होते हैं । बड़ी-बड़ी मशीनरी के प्रयोग से अधिकाधिक लोग हाथ के काम से वंचित हो जाते हैं । इससे आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो जाता है । इसके साथ ऐशो-आराम की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं ।

कुछ समय पूर्व श्रम मंत्री ने बिहार में कहा था कि सरकार लघु उद्योगों को अधिक सुविधाएं देगी ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके । परन्तु सरकार की कथनी तथा करनी में बहुत अन्तर है । मुझे खेद है कि इस बजट से नवयुवकों के बीच निराशा पैदा हुई है ।

एक छोटा सा उदाहरण बजट के बारे में स्थिति स्पष्ट कर देगा । आज के समाचार पत्रों में कहा गया है कि इस सरकार की नई विज्ञापन नीति से 10,000 गरीब लोगों की नौकरी चली जायगी । देश में पहले ही बेरोजगारी बहुत है । प्रशिक्षित और कुशल नौजवानों को नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं ।

नौकरी के लिए जो विज्ञापन दिये जाते हैं उनमें 10 रु०, 15 रु० या 20 रु० के पोस्टल आर्डर आवेदन पत्र के साथ लगाने को कहा जाता है । यह तो बेरोजगारों का शोषण है । वे बेचारे ये रुपये उधार लेकर भेजते हैं । आवेदन पत्र के साथ फीस नहीं होनी चाहिये । रोजगार केन्द्रों में दो वर्ष तक ही नाम रखा जाना चाहिये ।

नौकरी के लिए अधिकतम आयु 25 से बढ़ा कर 30 व : तक की जानी चाहिए क्योंकि युवकों की आयु नौकरी ढूंढ़ने में ही निकल जाती है ।

कुछ संस्थाएं विज्ञापन देते समय पोस्ट बाक्स नं० का ही पता देती हैं । इस से कुछ लोग ही आवेदन दे पाते हैं । इससे भाई-भतीजावाद ही पनपता है ।

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य (उलूबेरिआ) : मैं श्री के० लकप्पा के विधेयक का समर्थन करता हूं ।

यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है । लगभग 50 करोड़ आदमी इस समस्या से त्रस्त हैं । हमारे देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं और मानव शक्ति है जो देश को स्वस्थ, सुखी और स्मृद्ध बनाने में सहायक हो सकती है । फिर भी हम 50 करोड़ लोगों की श्रम शक्ति प्रतिदिन खो रहे हैं ।

एक अकुशल किसान या मजदूर प्रतिदिन कम से कम 15 रु० तक उत्पादन कर सकता है जबकि कुशल व्यक्ति का उत्पादन 100 रु० मूल्य तक हो सकता है । अतः अनुमान लगायें कि कितनी हानि हो रही है । इस शक्ति से तो हम क्या नहीं पैदा कर सकते ।

देश में कोई बेकार नहीं रहना चाहिये । कोई अशिक्षित न हो और कोई भी लोगों के हितों के विरुद्ध कार्य न करे । पर जनता सरकार अभी तक अपने वचनों को पूरा करने हेतु तैयार नहीं नजर आती ।

एक राज्य के व्यापारी दूसरे राज्य से वस्तुएं नहीं आने देते क्योंकि इससे उनका मुनाफा कम होता है । खाद्य तेल के मामले में ऐसा ही हुआ है ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पंजाब सरकार से भी पहले बेरोजगारी भत्ता देने की बात आरम्भ की है। इस भावना का आदर किया जाये। जनता सरकार को लोगों की समस्याएं सुलझानी चाहियें। जब तक बेरोजगारी की समस्या नहीं सुलझती तब तक बेरोजगारों को भत्ता दिया जाये।

जनता सरकार गन्ना उत्पादकों की समस्या भी नहीं सुलझा सकी है। लोगों की कठिनाइयाँ दूर की जानी चाहियें अन्यथा लोग वर्तमान सरकार को चलने न देंगे।

सरकार इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे और साहस से काम करे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानोर): मैं श्री लकप्पा के विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि देश में अशिक्षित बेरोजगारों को कुछ भत्ता दिया जाना चाहिये। स्वतंत्रता के गत 30 वर्षों में बेकारी की समस्या बढ़ती रही है। यह और भी गम्भीर होती जा रही है। गत सरकारें भी इसको सुलझा नहीं सकीं और यह गम्भीर से गम्भीरतम होती चली गई है। बेकारी के शिकार लोगों को यह बताना कि हम उनके लिये कुछ नहीं कर सकते, बहुत बुरी बात है। श्री लकप्पा के विधेयक में यह व्यवस्था है कि इन बेकार लोगों को कुछ धन-राशि दी जाये। उन्हें एक प्रकार का बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। इसके लिये 15 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी जो बहुत अधिक नहीं है।

जब तक सरकार पूंजीपति रास्ता नहीं छोड़ती, जब तक बेकारी हमें परेशान करती रहेगी। वियतनाम बहुत अमीर देश नहीं है, परन्तु वहाँ बेकारी नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में शोषण नहीं है। सबको समान रूप से सब कुछ मिलता है। अतः बेकारी का प्रश्न ही वहाँ नहीं है।

विधेयक का उद्देश्य यही है कि लोगों को भूखा न मरने दिया जाये। इसके लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था बहुत बड़ी बात नहीं है। इस राशि की व्यवस्था करना सरकार का नैतिक उत्तरदायित्व है।

मंत्री महोदय को सारे मामले पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये। ठोस सुझाव देकर लाखों बेकारों को लाभ पहुंचाना चाहिये।

श्री बी० पी० कदम (कनारा): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि सभी व्यक्ति इसका समर्थ करेंगे। जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तो श्री एच० वी० कामथ ने यह सुझाव दिया था कि काम करने के अधिकार को संवैधानिक गारण्टी दी जानी चाहिये ताकि बेकारी न बढ़े। परन्तु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया। बेरोजगारी से बढ़कर और कोई बुराई नहीं हो सकती। बहुत सी आत्महत्याओं का कारण बेकारी है। बेकारी का एक कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है जिससे रोजगार मिल सके या रोजगार दिलाने में वह सहायक सिद्ध हो सके? काम करने के अधिकार को लगभग सभी देशों ने स्वीकार किया है। कुछ देशों में जैसे कि ब्रिटेन तथा अमरीका यहां तक कि इजराइल में भी बेकारी भत्ता दिया जाता है। मैं सहायता देने में विश्वास नहीं रखता। उन्हें किसी प्रकार का रोजगार दिया जाना चाहिये जिससे वे पूर्ण रोजगार मिलने तक जीवित रह सकें। सहायता करने का यही एक तरीका है।

चुनाव बैठकों में जनता पार्टी ने इस समस्या को हल करने के लिये कहा था, परन्तु इन 11 महीनों में उन्होंने इस समस्या को हाथ भी नहीं लगाया। अतः मैं माननीय मंत्री से समस्या की गम्भीरता पर विचार करने की अपील करता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं इस विधेयक के उद्देश्यों से सहमत हूं। परन्तु उन के द्वारा दिये गये सुझाव से व्यावहारिक रूप से कोई सन्तोषजनक परिणाम निकलने की आशा नहीं है।

बेकारी की समस्या सब देशों में है, परन्तु भारत में यह बहुत गम्भीर है, आबादी के अधिक होने के कारण यह समस्या और अधिक गम्भीर हो गई है। योग्य शिक्षित लोगों को भी समुचित रोजगार नहीं मिल रहा है।

रोजगार का प्रश्न बहुत जटिल है। लोग इसी के कारण देश को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। हमें उन्हें देश में ही रखना होगा। यदि सरकार इन लोगों को सन्तुष्ट न कर पाई तो अन्य कई समस्याएं पुनः पैदा हो जायेंगी।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह रोजगार के अवसरों के बारे में क्या ठोस कार्यवाही कर रही है। क्या आप अधिक रोजगार पैदा कर रहे हो? क्या आप प्रतिभा पलायन को रोकने जा रहे हैं? क्या आप देश के शिक्षित लोगों को लाभप्रद रोजगार देकर उन्हें देश में रखने का विचार कर रहे हैं? यदि आप इन नवयुवकों को सन्तुष्ट नहीं करते तो समस्या और भी बढ़ जायेगी।

सोचने वाली बात यह है कि क्या हम आज इस स्थिति में हैं कि लोगों को नकद सहायता दे सकें। मेरे विचार में आज भी हमारी अर्थ-व्यवस्था में यह सम्भव नहीं होगा। प्रगतिशील और विकसित देशों को भी इस समस्या को हल करने में वर्षों लगे हैं। हम उनकी कल्याणकारी राज्य की उस अवस्था में नहीं पहुंच पाये हैं।

हमारे देश में आज भी कठोर परिश्रम की कोई कद्र नहीं की जाती। यदि सहायता देना आरम्भ कर दिया तो लोग परिश्रम करना छोड़ देंगे। अतः इस विधेयक का मूल उद्देश्य ठीक भी हो तो इसका वह परिणाम नहीं निकलेगा जो श्री लकप्पा चाहते हैं। मेरा यही विचार है।

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 13 मार्च, 1978/22 फाल्गुन, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sahba then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 13 March, 1978/ Phalugna 22, 1899 (Saka).

MGIPRRND—6 LSS/77—III (N.S.)—26-7-78—210